ध्येयIAS®
most trusted since 2003

PERFECT 7

साप्ताहिक समसामयिकी

दिसम्बर 2018 अंक 4

विषय सूची

दिसम्बर 2018
अंक-4

सात महत्वपूर्ण मुद्दे 01-19

- सोशल मीडियाः समाज को जोड़ता या तोड़ता
- ट्यूबरक्लोसिस (टीबी): एक तीव्रतर वैश्विक पहल की आवश्यकता
- राजनीतिक फंडिंग में अघोषित धन की भूमिका
- नई विश्व व्यवस्थाः भ्रम अथवा वास्तविकता
- जीएम फसलों की पोषणीयता
- विश्व मृदा दिवसः मृदा प्रदूषण का समाधान
- तटीय प्रदूषणः महासागरों जितनी बड़ी समस्या

सात विषयनिष्ठ प्रश्न और उनके मॉडल उत्तर 20-25

सात महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरें 26-32

सात ब्रेन बूस्टर्स तथा उन पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न 33-41

सात महत्वपूर्ण तथ्य 42

सात महत्वपूर्ण डिजिटल पहलें 43-44

सात महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न (मुख्य परीक्षा हेतु) 45

सात महत्वपूर्ण मुद्दे

1. सोशल मीडियाः समाज को जोड़ता या तोड़ता

चर्चा का कारण

हाल ही में बुलंदशहर में गोकशी की अफवाह ने एक बार फिर समाज में व्याप्त जन आक्रोश एवं अदूरदर्शिता को दिखाया है। बुलंदशहर हिंसा में जहाँ एक ओर जिम्मेदार पुलिस सब इंस्पेक्टर की भीड़ द्वारा हत्या कर दी गई वहीं सरकारी संपत्ति को भी काफी नुकसान पहुँचाया गया, जिसके कारण वहाँ तनाव व्याप्त हो गया। बुलंदशहर में चंद मिनटों में भीड़ ने आक्रोशित रूप ले लिया। इस जन आक्रोश को बढ़ाने में सोशल मीडिया का जमकर इस्तेमाल किया गया। सोशल मीडिया के दुरुपयोग की यह कोई नयी घटना नहीं है।

सोशल मीडिया ने सूचनाओं के संसार में बढ़ोत्तरी तो की है किन्तु इसको लेकर उठने वाले सवाल भी महत्वपूर्ण हैं। इस लेख में हम सोशल मीडिया के समाज पर पड़ते प्रभाव या भूमिका की चर्चा करेंगे। साथ ही यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि क्या सोशल मीडिया समाज में ध्रुवीकरण को बढ़ावा दे रहा है?

पृष्ठभूमि

1960 के दशक में 'वैश्विक गाँव' (Global Village) की कल्पना करते हुये मार्शल मैक्लुहान ने सोचा भी नहीं होगा कि दुनिया के लोगों को जोड़ने के लिये फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब और व्हाट्सएप जैसी सोशल वेबसाइटों की उत्पत्ति भी संभव होगी।

लोकतांत्रिक देशों में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जितनी महत्वपूर्ण है उतनी ही पारदर्शिता। भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल अधिकार के रूप में 'वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता' प्रदान की गयी है लेकिन साथ ही इस पर निर्बंधन भी लगाया गया है, जिसका मतलब ये हुआ कि हर देशवासी को अपनी बात को कहने का वहीं तक हक है जहाँ तक वह दूसरे की स्वतंत्रता का हनन न करता हो। लेकिन सोशल मीडिया के आने से इस संवैधानिक अधिकार को एक नया स्वरूप मिला जिसे हम आज के जागरूक और बेबाक समाज के रूप में देख रहे हैं।

परिचय

वर्तमान समय में शायद ही ऐसा कोई होगा जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करता होगा। बच्चे, युवा, बूढ़े सभी आजकल सोशल मीडिया पर सक्रिय रहते हैं।

सोशल मीडिया एक अपरंपरागत मीडिया (Nontraditional Media) है। यह एक वर्चुअल वर्ल्ड बनाता है जिसमें इंटरनेट के माध्यम से पहुंच बना सकते हैं। सोशल मीडिया एक विशाल नेटवर्क है, जो कि सारे संसार को जोड़े रखता है। यह संचार का एक बहुत अच्छा माध्यम है। यह द्रुत गति से सूचनाओं के आदान-प्रदान करने, जिसमें हर क्षेत्र की खबरें होती हैं, को समाहित किए होता है।

सोशल मीडिया के प्रसिद्ध प्लेटफार्म-

- फेसबुक
- ट्विटर
- इन्स्टाग्राम
- यूट्यूब
- गूगल+
- लिंक्ड इन
- व्हाट्सएप
- टम्बलर
- माय स्पेस

सोशल मीडिया द्वारा दी जाने वाली सेवाएँ-

- मुफ्त संदेश भेजना
- मुफ्त फोटो भेजना
- मुफ्त वीडियो भेजना
- मुफ्त कॉलिंग
- मुफ्त वीडियो कॉलिंग
- मुफ्त पैसे भेजने की सुविधा

सोशल मीडिया के फायदे

- सोशल मीडिया आजकल ज्ञान का नया भंडार बन गया है। इस पर लगभग हर तरह की जानकारी प्राप्त की जा सकती है और किसी भी सवाल का जवाब एक्सपर्ट से पूछा जा सकता है।
- सोशल मीडिया (Social Media) सकारात्मक भूमिका अदा करता है जिससे किसी भी व्यक्ति, संस्था, समूह और देश आदि को आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक रूप से समृद्ध बनाया जा सकता है।
- सोशल मीडिया के जरिए ऐसे कई विकासात्मक कार्य हुए हैं जिनसे लोकतंत्र को समृद्ध बनाने का काम हुआ है और किसी भी देश की एकता, अखंडता, पंथनिरपेक्षता, समाजवादी गुणों में अभिवृद्धि हुई है।
- सोशल मीडिया ने भ्रष्टाचार को खत्म करने में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है, उदाहरण के लिए 'INDIA AGAINST CORRUPTION' को देख सकते हैं, जो कि भ्रष्टाचार के खिलाफ महाअभियान था जिसे सड़कों के साथ-साथ सोशल मीडिया पर भी लड़ा गया जिसके कारण विशाल जनसमूह अन्ना हजारे के आंदोलन से जुड़ा और उसे प्रभावशाली बनाया।
- 2014 के आम चुनाव के दौरान राजनीतिक पार्टियों ने जमकर सोशल मीडिया का उपयोग कर आमजन को चुनाव के जागरूक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। इस आम चुनाव में सोशल मीडिया के उपयोग से वोटिंग प्रतिशत बढ़ा, साथ ही साथ युवाओं में चुनाव के प्रति जागरूकता बढ़ी।
- सोशल मीडिया के माध्यम से ही 'निर्भया' को न्याय दिलाने के लिए विशाल संख्या में युवा सड़कों पर आ गए जिससे सरकार दबाव में आकर एक नया एवं ज्यादा प्रभावशाली कानून बनाने पर मजबूर हो गई।

- लोकप्रियता के प्रसार के लिए सोशल मीडिया एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, जहां व्यक्ति स्वयं को अथवा अपने किसी उत्पाद को ज्यादा लोकप्रिय बना सकता है।
- आज फिल्मों के ट्रेलर और टीवी प्रोग्राम आदि का प्रसारण सोशल मीडिया के माध्यम से किया जा रहा है।
- वीडियो तथा ऑडियो चैट भी सोशल मीडिया के माध्यम से सुगम हो पाई है।

सोशल मीडिया के नुकसान

- यह बहुत सारी जानकारी प्रदान करता है जिनमें से बहुत सी जानकारी भ्रामक भी होती हैं।
- जानकारी को किसी भी प्रकार से तोड़-मरोड़कर पेश किया जा सकता है।
- किसी भी जानकारी का स्वरूप बदलकर वह उकसावे वाली बनाई जा सकती है जिसका वास्तविकता से कोई लेना-देना नहीं होता।
- यहां कंटेंट का कोई मालिक न होने से मूल स्रोत का अभाव होता है।
- प्राइवेसी पूर्णत: भंग हो जाती है।
- फोटो या वीडियो की एडिटिंग करके भ्रम फैला सकते हैं जिनके द्वारा कभी-कभी दंगे जैसी आशंका भी उत्पन्न हो जाती है।
- साइबर अपराध सोशल मीडिया से जुड़ी सबसे बड़ी समस्या है।
- सोशल मीडिया में आप सामने वाले व्यक्ति की मनोदशा को समझ नहीं पाते और इसलिए उसकी समस्या को भी नहीं जान पाते, अर्थात् सोशल मीडिया प्रत्यक्ष रूप से मिलने का विकल्प उपलब्ध नहीं करा पाता है।
- खुद एप्पल के सीईओ स्टीव जॉब्स मानते थे कि ईमेल और एसएमएस (SMS) से नए-नए आइडिया उस तरह नहीं निकल सकते, जिस तरह आमने-सामने बैठकर चर्चा करने पर। सामने बैठकर बात करने पर लोग एक-दूसरे को ऐसी ऊर्जा देते हैं, जिसमें नए-नए विचारों का सृजन होता है। ईमेल और एसएमएस से भी आप कुछ बातें साझा करते हैं लेकिन यह सामने बैठकर चर्चा करने का विकल्प नहीं हो सकता। यह माध्यम इतना सक्षम नहीं है कि बारीक भावों को पढ़ सके।
- बच्चा चोरी, गौ हत्या, धर्म विशेष का अपमान, एक दूसरे के धर्मो को नीचा दिखाना, महिलाओं की अस्मिता तार-तार करने वाली झूठी तस्वीरें और कई झूठे आंकड़ों से जुड़ी तमाम वीडियो, संदेशों एवं तस्वीरों से सोशल मीडिया भरा पड़ा है।

सोशल मीडिया द्वारा ध्रुवीकरण

हमारी रोजमर्रा की जिन्दगी, रहन-सहन, खान-पान, मेलजोल, आवागमन, पठन-पाठन, नौकरी व व्यापार, घूमना-फिरना, बात-व्यवहार एवं खेलकूद इत्यादि सभी क्रियाकलापों में सोशल मीडिया पूर्णत: समाहित हो चुका है। हमारे जीवन पर हावी यह 'सोशल मीडिया' असल में हमें किसी के करीब न ले जाकर उससे दूर करता जा रहा है। व्यक्तिगत जीवन से छलांग मारकर सोशल मीडिया अब हमारे सामाजिक परिसर में दाखिल हो चुका है जो निरंतर समाज का ध्रुवीकरण करता जा रहा है जिसकी हमें तनिक भी परवाह नहीं है। धीमे-धीमे वर्गीकृत होता समाज असल में हमारे जीवन को ही प्रभावित कर रहा है जिसमें एक व्यक्ति व परिवार सबके बीच रह कर भी पृथक है। सोशल मीडिया की पहुंच लम्बी तो है मगर यह विभाजनकारी है जो हमें जाति व धर्म के नाम पर लगातार तोड़ता रहा है। अभी तक तो यह विभाजनकारी कार्य केवल राजनेताओं के माध्यम से ही होता था पर अब हर व्यक्ति स्वयं ही इस कुकृत्य को अंजाम दे रहा है जो समाज की एकजुटता और अखंडता को भंग करता जा रहा है।

सोशल मीडिया के द्वारा हर दिन जन्म लेता कोई न कोई विवाद यह दर्शाता है कि सोशल मीडिया मानव रचित ऐसा जाल है जिसमें शिकारी भी मानव और शिकार भी मानव है। समाजवाद, प्रेम, मित्रता, भाईचारे और जानकारी आदि मान्यताओं को ध्यान में रख जन्मा यह सोशल मीडिया आज इस भौतिक दुनिया में अराजकता एवं हिंसा के बीज बो रहा है।

सोशल मीडिया के कारण हाल ही में हुई कुछ घटनाएँ

सोशल मीडिया में पलक झपकते ही हर चीज फैल जाती है फिर वो चाहे अफवाह ही क्यों न हो। सोशल मीडिया का इस्तेमाल अफवाह फैलाने के लिए धड़ल्ले से किया जा रहा है। तेजी से फैलते अफवाह तंत्र से लोगों की जिंदगियाँ छिन रही हैं। अफवाहों को आधार मानकर भीड़ उन्मादी होकर लोगों की पिटाई शुरू कर देती है और कई मर्तबा हत्या भी कर देती है। पिछले कुछ महीनों में बच्चा चोरी के अफवाह की वजह से कई लोगों को अपनी जान गँवानी पड़ी।

- कर्नाटक के बीदर में बच्चा चोरी के अफवाह में एक इंजीनियर की जान चली गई। इंजीनियर मोहम्मद आजम उस्मान अपने तीन दोस्तों के साथ बीदर के एक गाँव में अपने दोस्त से मिलने आए थे। वापसी में रास्ते में कुछ बच्चों को देखकर वो उन्हें चॉकलेट देने लगे। इसी बीच किसी ने उनके बच्चा चोर होने की अफवाह फैला दी। कुछ लोगों ने इनकी तस्वीर बच्चा चोर के नाम से व्हाट्सएप पर डाल दी। इसके बाद यह झूठी खबर तेजी से फैल गई। बच्चा चोर की अफवाह फैलते ही स्थानीय लोगों ने उनकी कार पर हमला कर दिया। लोगों ने झूठे वायरल मैसेज को सच मानकर अगले गाँव में आजम और उसके दोस्तों को घेरकर पिटाई कर दी। इस पिटाई में इंजीनियर आजम की मौत हो गई जबकि उसके तीन दोस्त बुरी तरह से घायल हो गये थे।
- उत्तर प्रदेश के हापुड़ में सोशल मीडिया पर गौहत्या की अफवाह फैली जिसके बाद 19 जून को ग्रामीणों ने अल्पसंख्यक समुदाय के दो शख्स की पिटाई कर दी, बाद में इनमें से एक व्यक्ति की मौत हो गई।
- 2017 और 2018 में अब तक भीड़ ने 32 से ज्यादा लोगों की जान ली है।
- 2013 के मुजफ्फर नगर दंगों में एक बच्चे को गोली मारने का वीडियो वायरल हुआ, बाद में कई मीडिया संस्थानों ने पुष्टि की कि यह वीडियो पाकिस्तान के किसी कबीलाई इलाके का था।
- इसी प्रकार बिहार के नेवादा में एक व्यक्ति को फाँसी पर लटकाने का वीडियो वायरल हुआ तो इलाके में तनाव पैदा हो गया, बाद में मीडिया ने इसे बांग्लादेश का वीडियो बताया।

सरकार द्वारा उठाये गये कदम

- केन्द्र सरकार ने व्हाट्सएप को गैर जिम्मेदार और बवाल मचाने वाले संदेशों को फैलने से रोकने के लिए तत्काल कदम उठाने का निर्देश दिया था, जिसको लेकर सोशल मीडिया कम्पनी ने कदम भी उठाये हैं। व्हाट्सएप ने ऐसा फेरबदल किया है कि उपभोक्ता अब पाँच से अधिक लोगों को एक ही मैसेज फारवर्ड (Forward) नहीं कर पायेंगे।

व्हाट्सएप के कुछ सुझाव

- भावनाओं को भड़काने वाले मैसेज को साझा नहीं करें।
- यकीन से परे तथ्यों की दूसरे स्रोत से जाँच करें।
- ऐसे संदेशों से बचें, जो अलग दिखते हों, जिसमें वर्तनी की गलती हो।
- संदेशों में मौजूद फोटो को ध्यान से देखने की जरूरत है।
- कभी-कभी फोटो सच्ची होती है किन्तु उससे जुड़ी कहानी नहीं, इसके लिए लोगों को ऑनलाइन जाकर फोटो का स्रोत पता करना चाहिए।
- अफवाह फैलाने वाले ग्रुप को छोड़ दें। संदेश का कई बार साझा होना खबर के सच होने का प्रमाण नहीं।

- आईटी विभाग की ओर से जारी बयान में कहा गया कि सभी सोशल मीडिया नेटवर्क यह सुनिश्चित करे कि किसी भी तरह की गैर कानूनी गतिविधियों में उनके मंच का इस्तेमाल न हो।
- राज्यों द्वारा जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है।

नोटः देश के कानूनी तंत्र में मॉब लिंचिंग, फेक न्यूज, फेक मैसेज जैसे किसी शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर कोई ऐसा करता दोषी पाया जाय तो वो कानूनी शिकंजे से बच पाएगा।

- 'सूचना तकनीकी अधिनियम, 2000' (IT Act, 2000) की 'धारा 67' में कहा गया है कि यदि कोई इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों की मदद से ऐसी सामग्री का प्रकाशन या प्रसारण करता है, जो अश्लील हो या जिससे कामुकता झलकती हो और जिससे इसे देखने, पढ़ने या सुनने वालों के ऊपर गलत असर पड़ने की आशंका हों, तो पहली बार किए गए ऐसे अपराध की हालत में उसे अधिकतम पाँच साल तक के कारावास एवं/अथवा एक लाख रुपये तक के जुर्माने की सजा हो सकती है। यदि यह अपराध दोबारा प्रमाणित हो जाए तो आरोपी को अधिकतम दस साल तक का कारावास एवं दो लाख रुपये तक का आर्थिक दंड भुगतना पड़ सकता है। इस कानून में संशोधन की प्रक्रिया द्वारा 67-बी धाराओं को जोड़ा गया है।
- हाल ही में सरकार ने डाटा प्रोटेक्शन पर श्रीकृष्णा पैनल का गठन किया था, जिसने डॉटा प्रोटेक्शन और इसके गलत इस्तेमाल पर अपनी कई सिफारिशें दी हैं। इसमें सोशल मीडिया कम्पनियों के विनियमन हेतु भी सुझाव दिये गए हैं।
- अगर मॉब लिंचिंग की बात की जाए तो कानून में उसके लिए अलग से प्रावधान नहीं है, लेकिन ऐसी घटनाओं के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 यानि हत्या, धारा 307 यानि हत्या का प्रयास, धारा 323 यानि जानबूझकर घायल करना, धारा 147-148 यानि दंगा फसाद और धारा 149 यानि आज्ञा के विरुद्ध इकट्ठे होने समेत कई धाराओं के तहत कार्रवाई की जा सकती है।
- कुल मिलाकर कानून में इस तरह की घटनाओं के खिलाफ प्रावधान तो हैं लेकिन जानकार इन्हें और सख्त बनाने के साथ-साथ सोशल मीडिया रेग्युलेशन के लिए अलग से कानून और नीतियाँ बनाने की दरकार बता रहे हैं।

आगे की राह

सामाजिक माध्यमों की पहुँच आज समाज के हरेक पहलुओं पर अपना अपेक्षित प्रभाव छोड़ता नजर आ रहा है। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जहाँ सोशल मीडिया की जरूरत नहीं हो। आज के समय में सोशल मीडिया के बगैर समाज में मूलभूत व्यवस्थाओं का संचालन मुश्किल हो सकता है। क्षेत्रीय विकास, सामाजिक विकास के साथ देश के सर्वांगिण विकास की परिकल्पना आज सोशल मीडिया के अभाव में अधूरी पड़ सकती है। किन्तु वर्तमान समय में आज हर जाति और समुदाय के लोग ऐसी भीड़ में बदलते जा रहे हैं जो किसी को भी कभी भी मार सकती है। ऐसे में इस तरह की हिंसा और अफवाहों को रोकने के लिए पूरे समाज को एक साथ आगे आना होगा, उन्हें आपस में मिलकर यह तय करना होगा कि जब तक किसी बात की अंतिम रूप से पुष्टि नहीं हो जाती तब तक किसी भी अफवाह पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। सामाजिक संरचना की मजबूती और लोगों का आपसी प्रेम और विश्वास ही इस तरह की सोशल मीडिया द्वारा फैलायी गई अफवाहों पर रोक लगा सकेगा और केवल तभी किसी निर्दोष की जान बचायी जा सकती है।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-1

- भारतीय समाज पर भूमंडलीकरण का प्रभाव।
- सामाजिक सशक्तीकरण, सम्प्रदायवाद, क्षेत्रवाद और धर्म-निरपेक्षता।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-3

- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी-विकास एवं अनुप्रयोग और रोजमर्रा के जीवन पर इसका प्रभाव।
- संचार नेटवर्क के माध्यम से आंतरिक सुरक्षा को चुनौती, आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों में मीडिया और सामाजिक नेटवर्किंग साइटों की भूमिका, साइबर सुरक्षा की बुनियादी बातें, धन-शोधन और इसे रोकना।

■

2. ट्यूबरक्लोसिस (टीबी): एक तीव्रतर वैश्विक पहल की आवश्यकता

चर्चा का कारण

भारत सरकार ने टीबी के समस्या से निपटने के लिए एक नया उपाय खोजा है। सरकार अब टीबी रोगियों की मॉनीटरिंग करने हेतु उनकी त्वचा में एक माइक्रोचिप स्थापित करेगी। इस माइक्रोचिप से पता चल सकेगा कि टीबी रोगी दवाइयों को उचित रीति से ले रहें है या नहीं और उनके इलाज कोर्स पूरा करने के बारे में भी जानकारी मिल सकेगी।

परिचय

टीबी (ट्यूबरक्लोसिस) कोई लाइलाज बीमारी नहीं है। इसके इलाज हेतु आज विभिन्न तरीके की दवाइयाँ उपलब्ध हैं। मात्र 5 से 6 महीने के कोर्स से इस बीमारी से छुटकारा पाया जा सकता है।

पहले टीबी (ट्यूबरक्लोसिस) की बीमारी से वैश्विक स्तर पर लगभग 20 लाख लोगों की प्रतिवर्ष जान चली जाती थी। किन्तु 'विश्व स्वास्थ्य संगठन' (WHO) ने देखा कि टीबी कोई लाइलाज बीमारी नहीं है। इसके इलाज हेतु आज विभिन्न दवाईयाँ उपलब्ध हैं और इस बीमारी से मात्र 5 से 6 महीने के कोर्स से छुटकारा पाया जा सकता है। इस सन्दर्भ में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सितम्बर 2018 में टीबी से निपटने हेतु एक वैश्विक सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन में विभिन्न देशों ने टीबी से निपटने हेतु प्रतिबद्धता दिखाई और एक घोषणापत्र (Declaration) पर हस्ताक्षर किया। इस घोषणापत्र का नाम 'United

to End Tuberculosis : An Urgent Global Response to a Global Epidemic' था।

> टीबी एक संक्रामक बीमारी है जो आमतौर माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस (MTB)' नामक बैक्टीरिया के कारण होती है। यह बैक्टीरिया हवा आदि के माध्यम से तेजी से फैलता है।

भारत में प्रवसन की दर (एक राज्य से दूसरे राज्य) काफी अधिक है। लोग गाँव से शहरों की ओर रोजगार एवं अन्य कारणों से आते हैं और यहाँ विभिन्न कारणों के चलते तरह-तरह की बीमारियों (यथा- टीबी आदि) से ग्रसित हो जाते हैं। टीबी बीमारी से ग्रसित लोग कुछ दिन शहर में इलाज कराते हैं और जल्दी ही उनमें पूर्णत: स्वस्थ्य होने की भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसके चलते वो टीबी के इलाज को आधा-अधूरा छोड़कर वापस गाँव चले जाते हैं। इस स्थिति में सरकार को उनकी मॉनीटरिंग करना काफी चुनौतीपूर्ण हो जाता है।

इसी के चलते भारत सरकार ने हाल ही में टीबी की बीमारी से निपटने हेतु रोगियों की त्वचा में माइक्रोचिप स्थापित करने का निर्णय लिया है, लेकिन सरकार के इस निर्णय से मानवाधिकारों से संबंधित कई मुद्दों ने जन्म लिया है।

माइक्रोचिप से उभरने वाले मुद्दे

- माइक्रोचिप से युक्त रोगी की एकांतता या निजता प्रभावित होगी जबकि भारत के संविधान के 'अनुच्छेद 21' में एकांतता व निजता को मौलिक अधिकार के रूप में परिभाषित किया गया है।
- सरकार के इस निर्णय से संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकार और नीति निदेशक तत्वों (डीपीएसपी) के बीच एक बार फिर विवाद देखने को मिल सकता है। क्योंकि माइक्रोचिप से मौलिक अधिकारों का हनन होगा, जबकि डीपीएसपी के 'अनुच्छेद 47' में 'पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊँचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने' के लिए राज्य के कर्त्तव्यों को इंगित करता है। अत: सरकार तर्क दे सकती है कि उसकी यह योजना (माइक्रोचिप) संविधान में प्रदत्त राज्य के कर्त्तव्यों के तहत एक प्रयास है।
- टीबी से ग्रसित लोगों में यदि चिप स्थापित की जायेगी तो उनके स्किन में संक्रमण होने का खतरा भी बढ़ जायेगा।
- किसी की निजता में दखल देना नैतिक रूप से भी काफी संवेदनशील मुद्दा है। स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित 'आचार संहिता' (Code of Conduct) तो इस कार्य की बिल्कुल इजाजत नहीं देती है।

चुनौतियाँ

माइक्रोचिप, ड्रोन टेबलेट्स और जीपीएस टेबलेट्स जैसी आधुनिक चिकित्सा पद्धतियों को अपनाने में निम्नलिखित चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है-

- ये आधुनिक चिकित्सा पद्धतियों को अपनाने से सरकारी खजाने पर अतिरिक्त दबाव पड़ेगा क्योंकि भारत जैसे विशाल आबादी वाले देश में इस प्रकार की चिकित्सा तकनीकों की आर्थिक लागत काफी आयेगी।
- जब टीबी मरीजों को आधुनिक इलाज प्रदान की जायेगी तो अन्य गम्भीर बीमारियों से ग्रसित मरीज भी अपनी विशेष देखभाल हेतु सरकारी सहायता की माँग उठा सकते हैं।
- माइक्रोचिप जैसी तकनीकी की खरीद और वितरण में धाँधली या भ्रष्टाचार की गुंजाइश भी बन जाती है।
- इस प्रकार की तकनीकियों का भारत में कम विकास हुआ है, अत: सरकार को इनके आयात पर निर्भर होना पड़ सकता है। जिससे 'चालू खाता घाटा (CAD)' के बढ़ने की सम्भवना प्रबल हो जायेगी। बढ़ा हुआ चालू खाता घाटा विभिन्न प्रकार की आर्थिक समस्याओं को जन्म देता है। यथा- मँहगाई इत्यादि।
- टीबी के उपचार की जो दवाइयाँ उपलब्ध कराई जा रही हैं, वो बहुत कम असरदार हैं। उनके बीमारी के ठीक होने में लम्बा समय लगता है और कभी-कभी टीबी के बैक्टीरिया पूरी तरह खत्म नहीं हो पाते हैं।
- सरकार, टीबी की सस्ती दवाईयों की खरीद के मुद्दे पर संसाधनों की कमी को बताती है, तो ऐसे में यह कैसे सरकार इन उन्नत तकनीकों के लिए निवेश कहाँ से लायेगी।
- भारत में चिकित्सा व्यवस्था का काफी बुरा हाल है (मुख्यत: सार्वजनिक चिकित्सा व्यवस्था का)। यहाँ चिकित्सा से संबंधित बुनियादी ढाँचा से लेकर डॉक्टरों आदि की कमी है और डॉक्टर ग्रामीण क्षेत्रों में जाने से कतराते हैं। इन स्थितियों में सरकार को टीबी जैसी बीमारियों से निपटने में काफी दिक्कत होगी।

- टीबी से ग्रसित मजदूर सरकारी स्वास्थ्य केन्द्रों पर जाकर नियमित रूप से दवाई इस कारण नहीं ले पाते हैं क्योंकि सरकार ने नियम बना रखा है कि टीबी से संबंधित दवाई स्वास्थ्य केन्द्र पर उपस्थित सरकारी स्वास्थ्यकर्मी के समक्ष खानी होती है। मरीज को दवाई घर ले जाने की इजाजत नहीं होती है तो इस स्थिति में दूर स्थित अस्पताल में जाकर दवाई खाने से पूरे दिन की मजदूरी का हरजाना होता है। इसलिए मजदूर टीबी के नियमित उपचार से छूट जाते हैं।
- सरकार ने माइक्रोचिप लगाने की तो रणनीति बना ली किन्तु उसकी इस बारे में कोई योजना नहीं है कि बीमारी से ग्रसित कामगार व्यक्ति (मुख्यत: मजदूर) को स्वास्थ्य केन्द्र तक आसानी से उसकी आय को प्रभावित किये बिना कैसे लाया जाये?
- टीबी जैसी बीमारियों की मुख्य वजहों में से एक पोषणयुक्त भोज्य पदार्थ का न लेना भी है। भारत में अभी भी भारी संख्या में ऐसी आबादी है जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करती है। इस परिप्रेक्ष्य में अभी विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा जारी पोषण रिपोर्ट, 2018' आयी थी, जिसमें कहा गया है कि पूरी दुनिया के 5 साल से कम आयु के कुल कुपोषित बच्चों का एक तिहाई भाग भारत में विद्यमान है। इसके अलावा, 'अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान (IFPRI)' द्वारा जारी 'वैश्विक भुखमरी सूचकांक' में भारत की स्थिति 2016 से लगातार निम्नतर होती जा रही है (वर्ष 2016 में भारत की रैंक 97 थी जो 2018 में बढ़कर 103 हो गई)। कुपोषण और भुखमरी की चितांजनक स्थितियों में सरकार द्वारा सिर्फ माइक्रोचिप जैसी तकनीकों का इंतजाम कर लेने से देश 'टीबी मुक्त' नहीं हो पायेगा।

- टीबी के इलाज हेतु माइक्रोचिप जैसी तकनीकियों को अपनाने के लिए निजी क्षेत्र कभी राजी नहीं होगा क्योंकि इन प्रौद्योगिकियों को लाने में भारी निवेश की आवश्यकता होती है और निजी क्षेत्र कम लाभ को देखते हुए भारी निवेश करने से हिचकिचाता है। विदित हो कि निजी क्षेत्र के बारे में कहा जाता है कि वे अतिरिक्त खर्च से बचने के लिए टीबी से संबंधित रोगियों का रिकार्ड तैयार नहीं करते हैं जिससे सरकार को इस बीमारी का उचित डाटा प्राप्त नहीं हो पाता है।

सरकारी प्रयास

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय टीबी उन्मूलन के लिए भारत सरकार की नोडल एजेंसी है। इस मंत्रालय द्वारा देश में क्षय रोग के मामलों को नियोजित (Control) करने के लिए 'राष्ट्रीय कार्यनीति योजना (2017-2025)' [National Strategic Plan for TB Elimination] को प्रारम्भ किया गया है। इसमें सरकार ने 2025 तक देश से टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा है। इस योजना के सन्दर्भ में निम्नलिखित बातें महत्वपूर्ण हैं-

- आधारभूत डॉट्स सेवाओं (DOTS Services) की गुणवत्ता का सुदृढ़ीकरण एवं उसमें सुधार लाना।

> डॉट्स (DOTS- Directly Observed Treatment Short Course), विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टीबी नियंत्रण एवं उन्मूलन अनुशंसित (Recommended) रणनीति है, इसमें निम्नलिखित पाँच घटक शामिल हैं-
> - टीबी से छुटकारा पाया जा सकता है यदि इसके लिए पर्याप्त संसाधन जुटाये जायें और राजनीतिक व प्रशासनिक समर्थन प्रदान किया जाये।
> - टीबी के परीक्षण हेतु 'स्पुटुम-स्मीयर माइक्रोस्कोपी' (Sputum-Sumear Microscopy) जैसी जाँच पद्धतियों का इस्तेमाल करने पर बल दिया जाये।
> - सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि रोगी टीबी की सही दवाईयों को उचित रीति से ले। इसके लिए सरकार पर्यावेक्षण (Supervision) कर सकती है।
> - उच्च गुणवत्ता वाली एंटी-टीबी दवाइयों की नियमित व निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करना।
> - टीबी से संबंधित मानकीकृत रिकार्ड्स या डेटा संरक्षित किया जाये।

- क्षय रोग की निगरानी हेतु सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) के उपयोग को बढ़ावा देना।

> भारत सरकार 'निक्षय वेब पोर्टल' के माध्यम से टीबी रोगियों के बैंक खाते में सीधे आर्थिक मदद पहुँचाती है।

- ग्राउंड स्तर पर प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों की उचित संख्या बनाये रखना।
- क्षय रोग निदान में सभी हितधारकों (यथा- निजी क्षेत्र, नागरिक समाज इत्यादि) की सहायता लेना।
- सभी हितधारकों के बीच समन्वयन स्थापित करना।
- अनुसंधान एवं विकास (आर एण्ड डी) को बढ़ावा देना।

मौलिक सुझाव

अगर सरकार को विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा निर्धारित अवधि (2030 तक) में भारत को टीबी से मुक्त करना है तो उसे अपनी स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार करना होगा। टीबी उन्मूलन से संबंधित निम्न उपायों पर ध्यान दिय जा सकता है-

- टीबी (ट्यूबरक्लोसिस) से संबंधित उत्तम दवाईयाँ- बेडाक्लीलिन (Bedaqviline), डेलामानिड (Delamanid) इत्यादि हैं। सरकार को अपने संसाधनों को इन दवाईयों की खरीद पर लगाना चाहिए न कि माइक्रोचिप या जीपीएस टेबलेट्स आदि की खरीद पर। ये दवाईयाँ टीबी का त्वरित और सुरक्षित निदान कर देंगी, जिससे इस बीमारी से ग्रसित व्यक्ति का रोजगार आदि भी अपेक्षाकृत कम प्रभावित होगा।
- वर्तमान में भारत जनांकिकीय लाभांश की स्थिति में है और यहाँ 'सामुदायिक स्वास्थ्य देखभाल कर्मचारी' (Community Health Care Workers) काफी ज्यादा हैं। अतः सरकार को इन कर्मचारियों को टीबी बीमारी से संबंधित उचित प्रशिक्षण प्रदान करना चाहिए और इनके रोजगार की स्थिति को भी सुदृढ़ करना चाहिए। सरकार ने इन प्रयासों से टीबी रोगियों और स्वास्थ्य कर्मियों की बीच मानव इंटरफेस बढ़ेगा, जो माइक्रोचिप या जीपीएस टेबलेट्स आदि से ज्यादा अच्छे परिणाम दे सकेगा। उल्लेखनीय है कि पोलियो जैसी बीमारियों को भारत से उखाड़कर फेंकने में इन सामुदायिक स्वास्थ्य कर्मियों की भूमिका प्रमुख रही थी।
- पोलिया की खुराक देने हेतु सरकार लोगों के दरवाजे गई थी, अतः यह प्रयोग टीबी बीमारी के उन्मूलन में भी अपनाया जा सकता है। इससे टीबी से ग्रसित रोगी को मजदूरी आदि भी प्रभावित नहीं होगी और उसकी स्वास्थ्य देखभाल अच्छे से सुनिश्चित हो पायेगी। लोगों के घर तक टीबी के इलाज की सुविधायें पहुँचाने हेतु सरकार चलायमान अस्पताल (Movade Hospital) और सामुदायिक स्वास्थ्य कर्मियों आदि का सहारा ले सकती है।
- भारत में अभी सार्वजनिक हेल्थ केयर सिस्टम का ढाँचा काफी कमजोर है। अतः स्थिति से निपटने के लिए सरकार समुदाय आधारित स्वास्थ्य संरचनाओं (यथा- क्लिनिक समितियाँ आदि) का सहारा लेना चाहिए। इसके अतिरिक्त, सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र में जमीनी स्तर पर कार्य करने वाले नागरिक समाज संगठनों (यथा- एनजीओ, स्वयं सहायता समूह आदि) की भी मदद ले सकती है। क्लिनिक समितियाँ (Clinic Committees), एनजीओ और स्वयं सहायता समूह आदि कम खर्च में शहर से लेकर दूर-दराज गाँवों तक टीबी इलाज की सुविधा प्रदान कर सकती हैं और इसके संबंधित विभिन्न हितधारकों की जवाबदेहिता भी निर्धारित कर सकती हैं।
- टीबी जैसी बीमारियों के उन्मूलन हेतु डोनेशन प्रदान करने वाले संस्थानों एवं व्यक्तियों को सरकार पर दबाव बनान चाहिए कि वह टीबी उन्मूलन हेतु उचित व व्यवहारिक नीतियों को अपनाये।
- सरकार को टीबी मिटाने के लिए उचित पोषण युक्त खाद्यान्न उपलब्ध कराना होगा।

आगे की राह

सरकार को टीबी उन्मूलन हेतु निगरानी आदि का अनन्य अधिकार है लेकिन उसे टीबी बीमारी की निगरानी और व्यक्ति की निजता (या एकांतता) के बीच संतुलन स्थापित करना होगा। सरकार को रोगी की गरिमा सुनिश्चित करने के साथ-साथ टीबी के उचित उपचार को उपलब्ध कराना चाहिए और टीबी से संबंधित समाज में ज्यादा से ज्याद जागरूकता फैलानी होगी ताकि लोग इस बीमारी के प्रति सजग हो सकें।

> **सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2**
> - स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधनों से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित मुद्दे।

■

3. राजनीतिक फंडिंग में अघोषित धन की भूमिका

चर्चा का कारण

वर्ष 2018 के शुरूआत में केन्द्र सरकार ने चुनावी फंडिंग को साफ-सुथरा और पारदर्शी बनाने के लिए 'चुनावी बॉण्ड योजना' (Electoral Bond Scheme) की शुरूआत की थी। चुनावी बॉण्ड योजना आम नागरिकों के लिए राजनीतिक दलों को (नामरहित) चंदा देने का एक वित्तीय साधन है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान और तेलंगाना में संपन्न हुए हालिया विधानसभा चुनावों से पहले अब तक चुनावी बॉण्डों के माध्यम से आम नागरिकों द्वारा राजनीतिक दलों को 10 बिलियन से ज्यादा चन्दा दिया गया और इसमें भी अधिकांश चन्दा (लगभग 40 प्रतिशत) अक्टूबर में दिये गये थे। 'द क्विंट' को दिए गये साक्षात्कार में पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त ओपी रावत के अनुसार चुनावी बॉण्ड योजना में दानदाता के नाम को गुप्त रखने तथा इसमें पारदर्शिता न होने से ये लोकतंत्र के लिए खतरनाक शाबित हो सकता है।

परिचय

विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश, भारत में राजनीतिक दलों के अघोषित धन में लगातार वृद्धि हो रही है। ये कोई एक राजनीतिक दल की नहीं बल्कि देश के सभी राजनीतिक दलों के अघोषित धन में वृद्धि को इंगित करता है। वास्तव में यह सामान्य रूप से स्वीकार भी किया जाता है कि अधिकतर राजनीतिक दल अघोषित (काले धन) धन के द्वारा ही संचालित होते हैं फिर भी अधिकांश राजनीतिक दल इस तथ्य को स्वीकार नहीं करते हैं। हालांकि ग्लोबल इंटीग्रिटी रिपोर्ट समेत वैश्विक निगरानी एजेंसियों द्वारा यह समर्थित तथ्य है।

इससे पहले जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 29-सी के सिद्धांतों का दुरुपयोग करते हुए राजनीतिक पार्टियाँ विशाल मात्रा में अघोषित धन (काला धन) एकत्रित करती थीं, क्योंकि इस अधिनियम के तहत 20,000 रुपये से कम चंदा देने वाले लोगों का नाम राजनीतिक दलों द्वारा घोषित न करने का प्रावधान है। परिणामस्वरूप देश की दो बड़ी राष्ट्रीय पार्टियों को चंदा देने वाले लगभग 85% व्यक्तियों की पहचान नहीं की जा सकी है क्योंकि इन लोगों द्वारा 20,000 से कम का चंदा दिया गया है जिससे इन पार्टियों के राजनीतिक चंदे में बेतहाशा वृद्धि हुई है, ऐसा ऐसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म जैसी संस्था का मानना है।

चुनाव आयोग ने चुनावी सुधार के लिए अनेक प्रस्ताव सुझाए लेकिन किसी भी सरकार ने पर्याप्त रूप से इन प्रस्तावों पर ध्यान नहीं दिया है। ऐसा ही एक प्रस्ताव चुनाव आयोग द्वारा सुझाया गया कि अघोषित चंदे की अधिकतम सीमा 20,000 से घटाकर 2,000 कर दी जाये। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा आयकर (आईटी) अधिनियम में संशोधन कर अघोषित चंदे की अधिकतम सीमा 2000 रुपये कर दी गयी। फिर भी इस सुधार की प्रभावकारिता संदिग्ध बनी हुई है, क्योंकि राजनीतिक दल यह तर्क देते हुए बच सकते हैं कि उनके पास राजनीतिक चंदे के रूप में उपलब्ध धन, एक बड़ी राशि का परिणाम न होकर 2000 रु. से कम की राशि के रूप में प्राप्त चंदे का परिणाम है। इसके अलावा दो नये सुधार और भी हैं जो एक बड़ी चिंता का विषय है; पहला- चुनावी बॉण्ड योजना और दूसरा- विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम-2010 में संशोधन है।

चुनावी बॉण्ड योजना

चुनावी बॉण्ड योजना की अवधारणा को वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अपने बजट भाषण के दौरान चुनावी वित्त पोषण की प्रक्रिया में कुछ पारदर्शिता लाने के लिए पेश किया था। "दरअसल, चुनावी बॉण्ड योजना एक वचन पत्र (प्रोमिसरी नोट) की तरह है, जिस पर बैंकों द्वारा किसी भी तरह का ब्याज नहीं दिया जाता है"। यह सामान्यत: बैंक नोट की तरह ही होता है जो माँगकर्ता की माँग पर दिया जा सकता है। इसे भारत के किसी भी नागरिक या भारत में स्थित संस्था/निकाय द्वारा खरीदा जा सकता है।

राजनीतिक दलों को प्राप्त होने वाला चंदा अर्थात चुनावी फंडिंग को साफ-सुथरा और पारदर्शी बनाने के लिए सरकार ने चुनावी बॉण्ड (Electoral Bond) की रूपरेखा जारी की थी जिसका उद्देश्य राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले नकद व गुप्त चंदे के चलन को रोकना था। ये चुनावी बॉण्ड एक हजार, दस हजार, एक लाख, दस लाख और एक करोड़ रुपये के मूल्य में उपलब्ध होंगे। इस बॉण्ड को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की चुनिन्दा शाखाओं से ही खरीदा जा सकेगा।

अन्य प्रावधान

जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की 'धारा 29A' के तहत पंजीकृत प्रत्येक राजनीतिक दलों, जिन्होंने हाल ही में संपन्न लोकसभा या राज्य विधान सभा के चुनाव में कम से कम एक प्रतिशत वोट प्राप्त किए हों, को भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा एक सुरक्षित खाता आवंटित किया जाता है। चुनावी बॉण्ड का लेन-देन सिर्फ इसी खाते के माध्यम से किया जा सकता है। चुनावी बॉण्ड प्रत्येक तिमाही की शुरूआत में उपलब्ध होंगे अर्थात जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर में या केन्द्र सरकार के निर्देशानुसार उपलब्ध होंगे। लोक सभा चुनाव के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा 30 दिनों की अतिरिक्त अवधि निर्दिष्ट की जा सकेगी।

चुनावी बॉण्ड का विश्लेषण

चुनावी बॉण्डों का मुख्य उद्देश्य देश के राजनीतिक दलों को मिलने वाले चन्दे या वित्त पोषण में अपारदर्शिता को समाप्त करना है। राजनीतिक दलों को कितना धन मिल रहा है और धन किन क्षेत्रों में और कैसे खर्च होता है इसकी जानकारी आम जनता में कभी नहीं जाती है, दूसरे शब्दों में आम जनता इससे अनभिज्ञ रहती है। चेक के माध्यम से भुगतान जैसे कुछ प्रयासों के परिणाम अपेक्षानुरूप नहीं रहे हैं और राजनीतिक दलों में अघोषित धन (राजनीतिक चंदे) प्राप्त करने की प्रथा अभी भी प्रचलित है। चुनावी बॉण्ड योजना इसी प्रथा को रोकने के लिए लायी गयी थी जिसके लक्ष्य निम्नलिखित हैं-

प्रथम, राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता लाना और बैंकों द्वारा चंदा देने वालों के नाम को गोपनीय रखना है।

दूसरा, चंदा देने वालों की गोपनीयता होने से यह पोर्टल और अधिक लोगों को जोड़ सकेगा साथ ही विपक्षी दलों की आलोचना से भी सरकार तथा दाता को बचाना है।

तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण बात यह योजना भारत को डिजिटल और नकद रहित अर्थव्यवस्था की ओर ले जाने में मदद करेगी।

चौथा, यह राजनीतिक फंडिंग में सुधार लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा।

लेकिन इस योजना में महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि राजनीतिक चन्दा देने वालों का नाम उजागर

नहीं किया जाता है न ही लाभार्थी दल का खुलासा किया जा सकता है; दूसरे शब्दों में कहें तो पूरी प्रक्रिया गुप्त तरीके से संचालित होती है। इसके अलावा चंदे के रूप में मिला धन असीमित हो सकता है।

वर्ष 2017 से पहले कंपनी अधिनियम 2013 की 'धारा 182' के तहत यह निर्धारित किया गया कि कंपनियाँ अपने पिछले तीन वर्ष के औसत लाभ का केवल 7.5% राजनीतिक चंदे के रूप में किसी राजनीतिक दल को दे सकती हैं इस राशि का लाभ प्राप्त राजनीतिक दल सार्वजनिक भी करेंगे। लेकिन अब चुनावी बॉण्ड योजना के माध्यम से कंपनियों द्वारा राजनीतिक चंदा दिये जाने की कोई सीमा नहीं है साथ ही इन कंपनियों के तीन वर्षों में प्राप्त औसत लाभ की आवश्यकता को भी हटा दिया गया है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि ऐसी कंपनियाँ भी अब चुनावी बॉण्ड खरीद सकती हैं चाहे वे लाभ अथवा हानि किसी भी स्थिति में हो। वास्तव में चाहे आम आदमी हो या कोई राजनीतिक दल इस चुनावी बॉण्ड योजना का उपयोग कर राजनीतिक दलों को असीमित मात्रा में धन दान कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त चुनावी फंडिंग को रोकने के लिए ये भी व्यवस्था की गयी थी कि किसी भी फर्म या कंपनी को राजनीतिक चंदा देने के लिए कम से कम तीन साल पहले स्थापित होना चाहिए, चुनावी बॉण्ड योजना के तहत इस प्रावधान को भी हटा दिया गया है।

आईटी अधिनियम की 'धारा 13ए' के तहत, चुनावी बॉण्ड के माध्यम से राजनीतिक फंडिंग करने वाली कम्पनियों को ऐसी फंडिंग का कोई रिकॉर्ड या ब्योरा भी रखने की आवश्यकता नहीं है। इस तरह से देखा जाए तो अगर कंपनियों द्वारा ऐसे किसी भी प्रकार के रिकॉर्ड न रखने से ये आईटी अधिकारियों की पहुँच से दूर होंगी अर्थात आईटी अधिकारियों द्वारा इन कंपनियों से कोई प्रश्न नहीं पूछा जा सकता है।

इसके अतिरिक्त जन प्रतिनिधित्व अधिनियम में एक संशोधन यह भी किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति अथवा दल 2000 रुपये से अधिक का चंदा चुनावी बॉण्ड के माध्यम से प्राप्त करता है तो उसके लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह इस चँदे के बारे में चुनाव आयोग को सूचित करे। यह कदम अपारदर्शिता को बढ़ावा देगा क्योंकि चुनाव आयोग चाह कर भी चंदा देने वाले का नाम सार्वजनिक नहीं कर सकता, भले ही सूचना आरटीआई अधिनियम के तहत क्यों न माँगी गयी हो।

वहीं सरकार का यह दावा है कि चूँकि ये बॉण्ड बैंकिंग चैनलों के माध्यम से खरीदे जाते हैं, इसलिए यह योजना चुनावी फंडिंग में प्रचलित काले धन के प्रचलन को समाप्त कर देगी लेकिन सरकार का यह तर्क स्पष्ट रूप से सही नहीं है क्योंकि इस योजना के नियमों को पढ़ने से पता चलता है कि यह कार्यक्रम भी राजनीतिक फंडिंग में भ्रष्टाचार का समर्थन करता है। उदाहरणस्वरूप, यह योजना न तो राजनीतिक फंडिंग करने वालों का नाम उजागर करने की अनुमति देती है न ही चुनावी बॉण्ड खरीदार और न तो राजनीतिक दल जो फंडिंग प्राप्त कर रहे हैं कि अनिवार्यता है कि वह चंदा देने वालों के नाम का खुलासा करें। इस प्रकार किसी निगम के शेयर धारकों को इस बात की जानकारी नहीं होगी कि कंपनी ने कितना फंडिंग किया है और न ही मतदाताओं को भी इस बात की जानकारी मिल सकेगी कि कैसे और किस माध्यम से किसी राजनीतिक दल को कितना फंड प्राप्त हुआ है।

यह योजना कम से कम दो आधारभूत दोषों से ग्रसित है। पहला- इसे कानून में किये गये संशोधनों के माध्यम से लाया गया है जिसमें जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, आयकर अधिनियम और कंपनी अधिनियम शामिल हैं जिन्हें संसद में धन विधेयक के रूप में पेश किया गया था। दूसरा- यह योजना कई मौलिक अधिकारों का उल्लंघन भी करती है।

संविधान का 'अनुच्छेद 110' लोकसभा अध्यक्ष को यह अधिकार प्रदान करता है कि वह सदन में प्रस्तावित किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में वर्गीकृत कर सकता है और लोक सभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है। इसमें 7 विषयों को शामिल किया गया है, जैसे कर लगाना, भारत सरकार की ओर से ऋण लेना, भारत की संचित निधि या आकस्मिक निधि में कुछ धन डालना या निकालना तथा आय एवं व्यय के प्रति अन्य किसी प्रकार का मामला जो अनुच्छेद 110 में समाहित हो आदि। लेकिन यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि चुनावी बॉण्ड योजना अनुच्छेद 110 के प्रावधानों के अंतर्गत है या नहीं? वित्त अधिनियम, जिसके माध्यम से इन संशोधनों को संसद में पेश किया गया था, का उद्देश्य अनुच्छेद 110 में निहित प्रावधानों से इतर अन्य मामलों से निपटना था।

यह योजना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ-साथ मौलिक अधिकारों के लिए भी विनाशकारी है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि संविधान में वोट देने के अधिकार को लागू करने के लिए स्पष्ट प्रावधान नहीं है लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और जानकारी प्राप्त करने का अधिकार इसमें स्पष्ट रूप से अंतर्निहित है।

हमारी अदालतों ने भी 'वोटिंग की स्वतंत्रता' को लोगों के अभिव्यक्ति की आजादी तथा राजनीतिक समानता की एक आवश्यक शर्त के रूप में लगातार बल दिया है या देखा है। विभिन्न पार्टियों को राजनीतिक चंदा देने वालों की पहचान के अभाव में यह समझना मुश्किल है कि एक नागरिक सार्वजनिक जीवन और राजनीति में भागीदार है कि नहीं। एक व्यक्ति एक वोट जैसे सिद्धांतों के माध्यम से समानता का और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के माध्यम से भारत की गणतंत्रात्मक संरचना को बनाए रखना काफी महत्वपूर्ण था। लेकिन जब उस वोट देने के अधिकार को राजनीतिक फंडिंग के माध्यम से कमजोर किया जाता है तो लोकतंत्र पूरी तरह से अपने आंतरिक मूल्य को खो देता है।

देश में चुनाव और पारदर्शिता पर काम करने वाली संस्था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिव रिफॉर्म (ADR) की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2012-13 से वर्ष 2015-16 के बीच देश के 5 राष्ट्रीय राजनीतिक दलों को कुल 957 करोड़ रुपया राजनीतिक चंदे के रूप में प्राप्त हुए हैं। अकेले बीजेपी को 706 करोड़ रुपए कंपनियों से मिले हैं जो उसकी कुल कमाई का 92 फीसदी है। जबकि कांग्रेस को 198 करोड़ रुपये मिले जो उसके कुल कमाई का 85% है। खास बात ये है कि सभी पार्टियों को चार साल में मिले कुल चंदे 957 करोड़ रुपये में से 573 करोड़ रुपये लोकसभा चुनाव के साल 2015 में आए हैं।

विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम (FCRA), 2010 में संशोधन

वित्त विधेयक-2018 में एक दूसरा संशोधन किया गया जिसे लोकसभा में समय की कमी के चलते बिना चर्चा के ही पारित किया गया था जिसका संबंध 'विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम, 2010' से है, जिसे 1976 से पूर्व व्यापी प्रभाव के साथ राजनीतिक दलों द्वारा प्राप्त होने वाले विदेशी धन की जाँच से मुक्त करने के लिए संशोधित किया गया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 2014 में कांग्रेस और बीजेपी दोनों को मौजूदा एफसीआरए अधिनियम का उल्लंघन करने पर फटकार लगाई तथा वेदांता और इसकी सहायक कंपनियों से विदेशी धन प्राप्त करने के लिए दोषी ठहराया था। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम

का मुख्य उद्देश्य पार्टियों को विदेशी स्रोतों से प्राप्त होने वाले चंदे की आवक को रोकना है। अदालत ने सरकार और ईसी (EC) से दो राजनीतिक दलों के खिलाफ कार्य करने के लिए कहा था। इसके बदले सरकार ने एफसीआरए अधिनियम में संशोधन किया परिणामस्वरूप सभी राजनीतिक पार्टियों को 1976 के बाद से लेकर अब तक प्राप्त चंदे को जाँच से छूट प्रदान कर दिया गया। इसके अलावा संशोधित कंपनी अधिनियम अब राजनीतिक दलों के लिए और लाभकारी साबित हुआ है क्योंकि इसके माध्यम से कोई भी पंजीकृत विदेशी कंपनी अब राजनीतिक फंडिंग कर सकती है। इन कंपनियों के वास्तविक मालिक कौन हैं, कहाँ हैं या इनके वित्त पोषण का स्रोत क्या है, जैसे प्रश्नों को समाप्त कर दिया गया है।

आगे की राह

यह पहली बार है जब सरकार ने स्वीकार किया है कि राजनीतिक वित्त पोषण की पारदर्शिता नहीं है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के लिए राजनीतिक फंडिंग की पारदर्शिता लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन आजादी के 70 वर्षों के बाद भी राजनीतिक दलों में प्रचलित सियासी चंदे की पारदर्शिता स्पष्ट नहीं हो पायी है। इसके लिए एक ऐसी व्यवस्था बनाने की आवश्यकता है कि जैसे कोई व्यक्ति या संस्था किसी सब्जी विक्रेता और ऑटो चालक से डिजिटल रूप से पारदर्शी भुगतान स्वीकार करने के लिए उम्मीद रखता है तो उसी प्रकार राजनीतिक दल भी अपनी पारदर्शिता बनाए रखें। राजनीतिक फंडिंग में भ्रष्टाचार नैतिक मूल्यों और सिद्धांतों के खिलाफ है।

पूरी चुनावी प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाने के लिए यह आवश्यक है कि राजनीतिक दलों को मिलने वाले राजनीतिक फंडिंग को डिजिटल लेन-देन के माध्यम से संपन्न किया जाना चाहिए। 1999 में स्थापित इंद्रजीत गुप्ता समिति ने भी अपनी सिफारिशों में कहा कि राज्य वित्त पोषण पारदर्शी होना चाहिए।

वर्तमान कानून के अनुसार राजनीतिक दलों को 20 हजार रुपये से कम के किसी भी चंदे का हिसाब देने की कोई जरूरत नहीं है इसका लाभ उठाकर तमाम नेता व बड़ी पार्टियाँ हवाला प्रापर्टी और भ्रष्टाचार के माध्यम से काली कमाई को राजनैतिक चंदे के तौर पर दिखा काले धन को सफेद कर लेते हैं। इसके लिए आवश्यक है कि हिसाब न देने की छूट को पूरी तरह से खत्म किया जाए जिससे कि राजनीतिक दल भी अपने प्रत्येक चंदे का हिसाब दे सकें या रख सकें। यह चंदा भले ही नकद हो या चेक के रूप में।

कोई भी पार्टी कैश में कितना धन ले सकती है उसकी भी अधिकतम सीमा तय करने की आवश्यकता है और यह नियम बनाने की भी आवश्यकता है कि पार्टियाँ अपने कुल चंदे का अधिकतम 10 प्रतिशत ही नकद के रूप में ले सकती हैं।

चुनावी बॉण्ड योजना के आधार पर एक राष्ट्रीय फण्ड बनाने की आवश्यकता है। 'राष्ट्रीय चुनावी फंड' जो पूरे देश के राजनीतिक दलों के लिए होगा न कि किसी पार्टी विशेष के लिए। इस तरह इस फंड में कोई भी पैसा जमा कर सकता है और इसका लाभ राजनीतिक दलों के चुनावी प्रदर्शन के आधार पर बाँटा जाना चाहिए जिससे पूर्ण पारदर्शिता स्थापित की जा सके, साथ ही ये उन लोगों के लिए भी लाभकारी होगा जो राजनीतिक चंदा देना चाहते हैं।

संविधान की प्रस्तावना भारत को लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करती है और लोकतंत्र भारत की मूलभूत विशेषता है तथा लोकतंत्र की निरंतरता मुक्त और निष्पक्ष चुनावों में निहित है। देश में विभिन्न विधायी निकायों के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव लोकतांत्रिक राजनीति के विकास की गारंटी दे सकते हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी कई बार विधायिका और चुनाव आयोग से चुनावी प्रक्रिया में काले धन के प्रवाह को रोकने के लिए राजनीतिक फंडिंग की प्रक्रिया में सुधार लाने के लिए कहा है। सरकारों ने चुनावी सुधारों की घोषणा की और समितियों का गठन भी किया लेकिन सुधार की प्रक्रिया अत्यन्त धीमी है। इसके लिए ये आवश्यक है कि राजनैतिक इच्छा शक्ति को मजबूत किया जाए साथ ही नौकरशाही को भी अपनी महती भूमिका निभाने की आवश्यकता है जिससे कि चुनाव सुधारों को लागू किया जा सके, तभी भारत वास्तविक रूप से सच्चे लोकतांत्रिक मूल्यों को प्राप्त कर सकता है।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

- जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की मुख्य विशेषताएं।
- शासन व्यवस्था, पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्वपूर्ण पक्ष, ई-गवर्नेंस- अनुप्रयोग, मॉडल, सफलताएं, सीमाएं और संभावनाएं, नागरिक घोषणा-पत्र, पारदर्शिता एवं जवाबदेही और संस्थागत तथा अन्य उपाय।

■

4. नई विश्व व्यवस्थाः भ्रम अथवा वास्तविकता

चर्चा का कारण

हाल ही में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति 'जॉर्ज एच. डब्ल्यू. बुश' का देहांत हो गया है। बुश ने 1990 में अमेरिकी कांग्रेस (संसद) के संयुक्त सत्र में एक भाषण दिया था, जिसका शीर्षक 'नई विश्व व्यवस्था' (New World Order) था।

परिचय

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और सोवियत संघ के बीच शीत युद्ध का दौर शुरू हो गया। समय-समय पर इस शीत युद्ध ने ऐसा रूप भी धारण किया था जिससे तृतीय विश्व युद्ध की आशंकाओं ने जन्म ले लिया था, यथा- क्यूबा का मिसाइल संकट। संयुक्त राष्ट्र संघ में अमेरिका कोई प्रस्ताव लाता, तो सोवियत संघ उस पर वीटो कर देता या फिर सोवियत संघ के प्रस्ताव पर अमेरिका वीटो कर देता था। लेकिन जब अमेरिका के राष्ट्रपति 'रोनाल्ड रीगन' बने, तो उन्होंने धीरे-धीरे अमेरिका की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना शुरू किया क्योंकि उनका मानना था कि वैश्विक शक्ति बनने की पूर्वापेक्षा (Prerequisite) आर्थिक रूप से मजबूत होना है। रोनाल्ड रीगन ने एक तरफ अमेरिका की शक्ति को पुनर्जीवित किया तो वहीं दूसरी तरफ धीरे-धीरे सोवियत संघ क्षीण हो रहा था, जिसका परिणाम यह हुआ कि 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया।

ज्ञातव्य है कि 1990 में सद्दाम हुसैन (इराक के शासक) ने कुवैत पर आक्रमण कर दिया और कुवैत की रक्षा हेतु संयुक्त राष्ट्र में एक प्रस्ताव पारित हुआ जिस पर अमेरिका और सोवियत संघ दोनों का समर्थन था।

उपर्युक्त दोनों घटनाओं के समय अमेरिका के राष्ट्रपति 'जॉर्ज एच. डब्ल्यू. बुश' (रोनाल्ड रीगन के अनुवर्ती) थे और उन्होंने इसी समय अमेरिकी कांग्रेस के समक्ष अपना विश्व प्रसिद्ध भाषण 'नई विश्व व्यवस्था' दिया। उन्होंने कहा कि अब

विश्व शीत युद्ध के काले बादलों और अनावश्यक संघर्ष को छोड़कर एक नए युग में प्रवेश कर रहा है। इस नई विश्व व्यवस्था में सभी को बराबर का सम्मान हासिल होगा और वैश्विक शांति कायम करने के साथ-साथ लोकतांत्रिक मूल्यों व मानवाधिकारों की रक्षा की जाएगी।

सोवियत संघ के विघटन के बाद

नई विश्व व्यवस्था में सोवियत संघ ने कुवैत की रक्षा के प्रस्ताव पर अमेरिका का साथ दिया था तथा अमेरिका ने इसी प्रकार की उम्मीद सोवियत संघ के अनुवर्ती या उत्तराधिकारी 'रूस' से भी की, जिसकी भरपाई रूस ने शुरूआत में जरूर की लेकिन उसे निम्नलिखित घटनाओं से जल्द ही एहसास हो गया कि अमेरिका के द्वारा प्रस्तावित 'नई विश्व व्यवस्था' एक छलावा मात्र थी-

- 1999 में युगोस्लाविया ने अपने प्रांत कोसोवो में अल्बानियाई लोगों के आंदोलन को कुचलने के लिए सैन्य कार्रवाई की। इसके जवाब में अमरीकी नेतृत्व में नाटो के सदस्य देशों ने यूगोस्लावियाई क्षेत्रों पर लगभग दो महीने तक बमबारी की।
- नैरोबी (केन्या) और दारे-सलाम (तंजानिया) के अमरीकी दूतावासों पर बमबारी के जवाब में 1998 में अमेरिका ने अतिवादी इस्लामी विचारों से प्रभावित आतंकवादी संगठन 'अलकायदा' के खिलाफ 'ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच' (Operation Infinite Reach) चलाया। इस अभियान के अन्तर्गत अमरीका ने सूडान और अफगानिस्तान के अलकायदा के ठिकानों पर कई बार क्रूज मिसाइल से हमले किए। अमेरिका ने अपनी इस कार्रवाई के लिए संयुक्त राष्ट्रसंघ की अनुमति लेने या इस सिलसिले में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की परवाह भी नहीं की।

  अमरीका पर आरोप लगा कि उसने इस अभियान में कुछ नागरिक ठिकानों पर निशाना साधा जबकि इनका आतंकवाद से कोई लेना-देना नहीं था। पीछे मुड़कर अब देखने पर पता लगता है कि यह तो एक शुरूआत भर थी।
- 11 सितंबर 2001 के दिन विभिन्न अरब देशों के 19 अपहरणकर्त्ताओं ने उड़ान भरने के चंद मिनटों बाद चार अमरीकी व्यावसायिक विमानों पर कब्जा कर लिया। अपहरणकर्त्ता इन विमानों को अमरीका की महत्वपूर्ण इमारतों की सीध में उड़ाकर ले गये। दो विमान न्यूयार्क स्थित 'वर्ल्ड ट्रेड सेंटर' के टावर से टकराए। तीसरा विमान वर्जिनिया स्थित अमरीकी रक्षा विभाग के मुख्यालय 'पेंटागन' से टकराया। चौथे विमान को अमरीकी कांग्रेस की मुख्य इमारत से टकराना था लेकिन वह असफल रहा। इस हमले को 'नाइन इलेवन' कहा जाता है (अमेरिका में महीने को तारीख से पहले लिखने का चलन है। इसी का संक्षिप्त रूप '9/11' है।)।

  9/11 के जवाब में अमरीका ने फौरन कदम उठाये और भयंकर कारवाई की। 'आतंकवाद के विरुद्ध विश्वव्यापी युद्ध' के अंग के रूप में अमेरिका ने 'ऑपरेशन एन्डयूरिंग फ्रीडम' चलाया। यह अभियान उन सभी देशों के खिलाफ चला जिन पर उन्हें '9/11' की घटना में संलिप्त होने का शक था। इस अभियान में मुख्य निशाना अलकायदा और अफगानिस्तान के तालिबान-शासन को बनाया गया। इसके अलावा, अमरीकी सेना ने पूरे विश्व में गिरफ्तारियाँ कीं। अकसर गिरफ्तार लोगों के बारे में उनकी सरकार को जानकारी नहीं दी गई।
- 2003 के 19 मार्च को अमरीका ने 'ऑपरेशन इराकी फ्रीडम' के कूटनाम से इराक पर सैन्य-हमला किया। अमरीकी अगुआई वाले 'कोलिशन ऑफ वीलिंग' (Coalition of Willing)' में 40 से ज्यादा देश शामिल हुए। संयुक्त राष्ट्रसंघ ने इराक पर इस हमले की अनुमति नहीं दी थी। दिखावे के लिए कहा गया कि सामूहिक संहार के हथियार (वीपंस ऑफ मास डिस्ट्रक्शन) बनाने से रोकने के लिए इराक पर हमला किया गया है। इराक में सामूहिक संहार के हथियारों की मौजूदगी के कोई प्रमाण नहीं मिले। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि हमले के मकसद कुछ और ही थे, जैसे इराक के तेल-भंडार पर नियंत्रण और इराक में अमरीका की मनपसंद सरकार कायम करना।

वर्तमान परिदृश्य

- आज अमरीका की सैन्य शक्ति अपने आप में अनूठी है और बाकी देशों की तुलना में बेजोड़। अनूठी इस अर्थ में कि आज अमरीका अपनी सैन्य क्षमता के बूते पूरी दुनिया में कहीं भी निशाना साध सकता है। एकदम सही समय में अचूक और घातक वार करने की क्षमता है उसके पास। अपनी सेना को युद्धभूमि से अधिकतम दूरी पर सुरक्षित रखकर वह अपने दुश्मन को उसके घर में ही पंगु बना सकता है।

  अमेरिका अपनी सैन्य शक्ति के दम पर विभिन्न देशों को धमकाता रहता है। उदाहरण के रूप में हाल ही में चले अमेरिका और उत्तर कोरिया के संघर्ष को देखा जा सकता है।
- खुली वैश्विक अर्थव्यवस्था में मुक्त-व्यापार समुद्री व्यापार-मार्गों के खुलेपन के बिना संभव नहीं है। ताकतवर देश अपनी नौसेना की ताकत से समुद्री व्यापार-मार्गों पर आवाजाही के नियम तय करता है और अंतर्राष्ट्रीय समुद्र में अबाध आवाजाही को सुनिश्चित करता है। दूसरे विश्वयुद्ध के बाद ब्रिटिश नौसेना का वर्चस्व घट गया। अब यह भूमिका अमरीकी नौसेना निभाती है जिसकी उपस्थिति दुनिया के लगभग सभी महासागरों में है।

  दक्षिण चीन सागर दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री मार्गों में से एक है, जिस पर चीन बेवजह विवाद खड़ा करता रहता है, किन्तु अमेरिका दक्षिण चीन सागर के ऊपर अपने फाइटर प्लेन उड़ाकर यह साबित करता रहता है कि विश्व में अभी भी उसी का प्रभुत्व है।
- इंटरनेट के जरिए वर्ल्ड वाइड वेब (www) का आभासी संसार साकार हो गया दिखता है, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इंटरनेट अमरीकी सैन्य अनुसंधान परियोजना का परिणाम है। यह परियोजना 1950 में शुरू हुई थी। आज भी इंटरनेट उपग्रहों के एक वैश्विक तंत्र पर निर्भर है और इनमें से अधिकांश उपग्रह अमरीका के हैं।
- अमरीका की आर्थिक प्रबलता वैश्विक

अर्थव्यवस्था को एक खास शक्ल में ढालने की ताकत से जुड़ी हुई है। दूसरे विश्वयुद्ध के बाद ब्रेटनवुड प्रणाली कायम हुई थी। अमरीका द्वारा कायम यह प्रणाली आज भी विश्व की अर्थव्यवस्था की बुनियादी संरचना का काम कर रही है। इस तरह हम विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व व्यापार संगठन को अमरीकी वर्चस्व का परिणाम मान सकते हैं।

- हमें अमरीकी वर्चस्व पर विचारधारा या संस्कृति के संदर्भ में भी विचार करना चाहिए। आज अच्छे जीवन और व्यक्तिगत सफलता के बारे में जो धारणाएँ पूरे विश्व में प्रचलित हैं तथा दुनिया के अधिकांश लोगों और समाजों के जो सपने हैं- वे सब बीसवीं सदी के अमरीका में प्रचलित व्यवहार-बरताव के ही प्रतिबिंब हैं।

प्रभाव

- 9/11 की घटना के पश्चात अमेरिकी हमलों की वजह से तालिबान के शासन के पाँव जल्दी ही उखड़ गए लेकिन तालिबान और अल-कायदा के अवशेष अब भी सक्रिय हैं। 9/11 की घटना के बाद से अब तक इनकी तरफ से पश्चिमी मुल्कों में कई जगहों पर हमले हुए हैं। इससे इनकी सक्रियता की बात स्पष्ट हो जाती है।
- अमेरिका के संकीर्ण हितों (तेल की राजनीति आदि) ने विश्व के समक्ष नई-नई चुनौतियों को जन्म दिया है।
- पश्चिम एशिया से लेकर आज आतंकवाद ने विश्वव्यापी रूप धारण कर लिया है। पश्चिम एशिया में इसी आतंकवाद ने प्रवसन व भुखमरी की भी गम्भीर स्थितियाँ उत्पन्न की हैं। सीरिया जैसे देशों में गृह युद्ध की स्थितियों के लिए जिम्मेदार अमेरिका व रूस जैसी वैश्विक शक्तियाँ हैं। इसके अतिरिक्त, अफगानिस्तान और ओमान आदि देशों में जो तबाही मची हुयी हैं, उसके तार भी अमेरिकी दादागीरी से जोड़े जा सकते हैं।
- सद्दाम हुसैन की सरकार तो चंद रोज में ही जाती रही, लेकिन इराक को 'शांत' कर पाने में अमरीका सफल नहीं हो सका है। इराक में अमरीका के खिलाफ एक पूर्णव्यापी विद्रोह भड़क उठा। अमरीका के 3000 सैनिक इस युद्ध में मारे गए जबकि इराक के सैनिक अत्यधिक संख्या में मारे गये। अब यह बात बड़े व्यापक रूप में मानी जा रही है कि एक अर्थ में इराक पर अमरीकी हमला सैन्य और राजनीतिक धरातल पर असफल सिद्ध हुआ है।
- इराक के उदाहरण से प्रकट होता है कि अमरीका की सैन्य क्षमता अधिक है। इसी तरह अवरुद्ध करने और दंड देने की भी उसकी क्षमता स्वत:सिद्ध है। लेकिन अमरीकी सैन्य क्षमता की कमजोरी सिर्फ एक बात में जाहिर हुई है कि वह अपने अधिकृत भू-भाग में कानून व्यवस्था बहाल नहीं कर पाया है।
- अमेरिका अपनी मनमानी करते हुए विभिन्न देशों पर तरह-तरह के आर्थिक प्रतिबंध लगाता है, यथा- रूस, ईरान, उत्तर कोरिया इत्यादि पर लगे प्रतिबंध। जो भी देश अमेरिकी हितों की पूर्ति नहीं करता है उसे विभिन्न तरह के आर्थिक परिणाम भुगतने पड़ते हैं अर्थात् आर्थिक प्रतिबंधों से उसकी अर्थव्यवस्था चौपट कर दी जाती है, क्योंकि वर्तमान समय में पूरा विश्व व्यापारिक दृष्टि से एकसूत्र में बंधा हुआ है और इस सूत्र की धुरी अमेरिका है।
- अमेरिका खुद तो परमाणु हथियारों के संग्रहण में लगा हुआ है लेकिन यदि कोई अन्य देश अपनी सुरक्षा हेतु परमाणु हथियार बनाता है तो अमेरिका उस पर भिन्न-भिन्न तरह के प्रतिबंध लगाता है। उदाहरण के लिए, हाल ही में ईरान पर लगाये गए विभिन्न प्रतिबन्ध।
- अमेरिका ने अब उन वैश्विक व प्रतिष्ठित संस्थाओं को भी दरकिनार करना शुरू कर दिया है जो उसके मनमुताबिक कार्य नहीं कर रही हैं। यथा- संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार परिषद इत्यादि।

नई विश्व व्यवस्था और भारत

शीत युद्ध के पहले चरण में भारत ने तटस्था की नीति अपना रखी थी लेकिन 1971 में सोवियत संघ के साथ मैत्री संधि होने के बाद भारत का झुकाव सोवियत संघ की तरफ अधिक हो गया। सोवियत संघ के बिखरने के बाद भारत ने पाया कि लगातार कटुतापूर्ण होते अंतर्राष्ट्रीय माहौल में वह मित्रविहीन हो गया है। इसी अवधि में भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण करने तथा उसे वैश्विक अर्थव्यवस्था से जोड़ने का भी फैसला किया। इस नीति और हाल के वर्षों में प्रभावशाली आर्थिक वृद्धि-दर के कारण भारत अब अमरीका समेत कई देशों के लिए आकर्षक आर्थिक सहयोगी बन गया है।

भारत ने अमेरिका के साथ कई महत्वपूर्ण समझौतों (यथा, परमाणु समझौता, कॉमकासा करार इत्यादि) को करके दोस्ती के नए दौर को शुरू किया है लेकिन भारत इसके साथ-साथ अपने पुराने दोस्त 'रूस' से भी संबंधों की उपेक्षा नहीं की है, जिसे 'एस-400 खरीद' के रूप में देखा जा सकता है।

नई विश्व व्यवस्था किस ओर

इतिहास यह भी बताता है कि वर्चस्व अपने चरमोत्कर्ष के समय अजेय जान पड़ता है लेकिन यह हमेशा के लिए कायम नहीं रहता। इसके ठीक विपरीत शक्ति-संतुलन की राजनीति वर्चस्वशील देश की ताकत को आने वाले समय में कम कर देती है। 1660 में लुई 14वें के शासनकाल में फ्रांस अपराजेय था लेकिन 1713 तक इंग्लैंड, हैंबस्बर्ग, आस्ट्रिया और रूस फ्रांस की ताकत को चुनौती देने लगे। 1860 में विक्टोरियाई शासन का सूर्य अपने पूरे उत्कर्ष पर था और ब्रिटिश साम्राज्य हमेशा के लिए सुरक्षित लगता था। 1910 तक यह स्पष्ट हो गया कि जर्मनी, जापान और अमरीका ब्रिटेन की ताकत को ललकारने के लिए उठ खड़े हुए हैं। इसी तरह, अब से 20 साल बाद एक और महाशक्ति या कहें कि शक्तिशाली देशों का गठबंधन उठ खड़ा हो सकता है क्योंकि तुलनात्मक रूप से देखें तो अमरीका की ताकत कमजोर पड़ रही है।

कुछ विद्वान वर्तमान विश्व व्यवस्था को 'बहुध्रुवीय व्यवस्था' की ओर स्थानांतरित होने की बात कर रहे हैं। इन बहुध्रुवों में अमेरिका सहित चीन, भारत व रूस आदि होंगे। चीन की आर्थिक शक्ति का लोहा लगभग पूरे विश्व ने मान लिया है। इसी प्रकार भारत ने भी अंतरिक्ष, सेवा और मजबूत बाजार के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है।

अमेरिकी वर्चस्व को खत्म करने की चुनौती

फिलहाल हमें यह बात मान लेनी चाहिए कि कोई भी देश अमरीकी शक्ति के जोड़ का वर्तमान में नहीं है। भारत, चीन और रूस जैसे बड़े देशों में अमरीकी वर्चस्व को चुनौती दे पाने की संभावना है लेकिन इन देशों के बीच आपसी मतभेद हैं

और इन मतभेदों के कारण अमरीका के विरुद्ध इनका कोई गठबंधन होना काफी चुनौतीपूर्ण होगा।

आगे की राह

जब वर्तमान में अभी भी अमेरिका एक महाशक्ति बना हुआ है तो उससे अलग होना भारत जैसी बड़ी जनसंख्या और सेवा क्षेत्र के रूप में मजबूत वाले देश के लिए फायदेमंद नहीं होगा तथा भारत और अमरीका के बीच संबंध इतने जटिल हैं कि किसी एक रणनीति पर निर्भर नहीं रहा जा सकता। अर्थात् अमरीका से निर्वाह करने के लिए भारत को विदेश नीति की कई रणनीतियों का एक समुचित मेल तैयार करना होगा।

विश्व व्यवस्था किसी भी करवट बैठे लेकिन आज सभी देशों को प्रमुख चुनौतियों (यथा- आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन आदि) से मिलकर लड़ना होगा। इसके अलावा, विश्व शांति को कायम करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार करना होगा और उसे मजबूत करना होगा।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

- द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और भारत से संबंधित और/अथवा भारत के हितों को प्रभावित करने वाले समझौते।
- भारत के हितों, भारतीय डायसपोरा पर विकसित तथा विकासशील देशों की नीतियों तथा राजनीति का प्रभाव।

■

5. जीएम फसलों की पोषणीयता

चर्चा का कारण

हाल ही में कृषि वैज्ञानिक एम.एस. स्वामीनाथन ने अपने एक शोधपत्र में बीटी कपास जैसी जेनेटिक मॉडिफाइड कृषि फसलों को विफल बताया है। उनका यह निष्कर्ष एक पेपर में प्रकाशित हुआ जिसका नाम है- 'सतत खाद्य एवं पोषण सुरक्षा के लिए आधुनिक तकनीक'। इस पेपर में भारत की फसलों के विकास एवं परिवर्तित जीन वाली फसलों (Transgenic Crops) - विशेषकर बीटी कपास और बीटी बैंगन तथा DMH-11 (परिवर्तित जीन वाली संकर सरसों) की समीक्षा की गई है।

परिचय

स्वामीनाथन ने अपने पेपर में कहा है कि परिवर्तित जीन बीटी कपास भारत में असफल रहा है। यह न केवल सतत कृषि तकनीक के रूप में विफल है, अपितु कपास उपजाने वाले किसानों की आजीविका भी इससे सुरक्षित नहीं हुई। इसके अतिरिक्त संशोधित जीन वाली फसलों (GM crops) के मूल्यांकन में न तो सावधानी के सिद्धांत (Precautionary Principle – PP) को अपनाया गया है और न ही इसमें विज्ञान पर आधारित तथा जैव-सुरक्षा से सम्बन्धित कठोर नियमों पर बल दिया गया है। पेपर में जीन इंजीनियरिंग की तकनीक पर ही प्रश्न यह कहते हुए खड़ा कर दिया गया है कि इससे बुआई की लागत बढ़ जाती है। इसके अतिरिक्त किसी पौधे में बाहरी जीन (Foreign Gene) प्रविष्ट करने से उस पौधे के अणु एवं कोष में ऐसे बदलाव आ सकते हैं जिन्हें अभी तक ठीक से समझा नहीं जा सका है।

जीएम फसलों की पृष्ठभूमि

18वीं शताब्दी में आनुवंशिकता के जन्मदाता ग्रेगर जॉन मेंडल के महान शोध के बाद कई साल तक अनुवांशिकता पर कोई बड़ा शोध नहीं हुआ। मेंडल ने 1856 से 1863 के बीच जेनेटिक इंजीनियरिंग की नींव रखी। इसके लगभग सौ साल बाद 1954 में वाट्सन एवं क्रिक ने जब डीएनए की खोज की तो जेनेटिक इंजीनियरिंग को एक और दिशा मिली। डीएनए के सिद्धान्त ने कई प्राकृतिक रहस्यों को खोल दिया। इसी रास्ते पर आगे चलकर जेनेटेकली मॉडिफाइड फसलों की बारी आयी। 1970 के दशक में अमेरिकी कंपनी मॉनसेंटो के केमिस्ट जॉन प्रोज को सब्जियों पर प्रयोग की जिम्मेदारी दी गई। जॉन प्रोज का प्रयोग सफल रहा और मॉनसेंटो ने जल्द ही 'राउण्ड अप' नाम से अपना उत्पादन किसानों के बीच मशहूर कर दिया। इसी दौरान 1972-73 में अमेरिकी बायोकेमिस्ट हर्बड बोवर और स्टेनली कोहीन ने एक जीव के डीएनए को कई जगह काटकर दूसरे जीव के डीएनए के टुकड़ों से मिलाने की तकनीक विकसित कर ली। 1976 में बायोटेक्नोलॉजी का व्यावसायीकरण शुरू हुआ और मेडिकल, खाद्य और रासायनिक कारणों के लिए एक जीव के जीन दूसरे जीव के जीन से मिलाने का चलन भी शुरू हो गया। 1982 में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने जीएम जीव पेटेंट करने की इजाजत दे दी। 1988 में वैज्ञानिकों ने सोयाबीन के जीन में बदलाव करके उसे ग्लासोपेट रोधी सोयाबीन में तब्दील कर दिया। ये किसानों में काफी लोकप्रिय हुआ और धीरे-धीरे आलू, कपास, चावल, चीनी, गन्ना और टमाटर में यही प्रयोग हुए। कुछ रिपोर्टों के अनुसार पहला जीन संवर्द्धित पौधा 1982 में पैदा किया गया जो तंबाकू का था। 1994 में अमेरिका में ऐसा जीन संवर्धित टमाटर बाजार में आया जो काफी समय तक खराब नहीं होता था। सन् 2000 में वैज्ञानिकों ने अधिक पोषक तत्वों वाले जीन संवर्द्धित 'सुनहरे चावल' (Golden Rice) का विकास किया।

भारत में बीटी कॉटन को 2002 में कानूनी मान्यता मिली। देश में यह पहली जीन संवर्द्धित व्यावसायिक फसल थी। इसके साथ ही जीएम सरसों को खेतों में उगाने के लिए जरूरी फील्ड ट्रॉयल होने के बाद सरकार की 'जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी' से हरी झंडी मिल चुकी है। अगर जीएम सरसों को खेतों में उगाया गया तो यह भारत में पहली जीएम खाद्य फसल होगी।

जीएम संवर्द्धन तकनीक

जीएम तकनीक में सबसे पहले किसी जीव के जीनोम यानि जीन के समूह में डीएनए को प्रवेश कराया जाता है। ये डीएनए किसी पौधे या जीव के जीनोम में जाकर कोशिकाओं में बदल जाता है। इसके बाद इन कोशिकाओं का टिश्यू कल्चर (Tissue Culture) किया जाता है, जहाँ वे पौधों में विकसित हो जाते हैं। इन पौधों द्वारा बने बीज नये डीएनए यानि जीएम डीएनए के आनुवंशिक होते हैं, यानि इन पौधों द्वारा उत्पादित बीज में वंशानुगत रूप से जीएम बीज का डीएनए शामिल हो जाता है। जीव या पौधे की विशेषता उनके आनुवंशिक बनावट और पर्यावरण के साथ उनके तालमेल पर निर्भर करती है। जीव के आनुवंशिक बनावट का कारण उसका जीनोम और डीएनए के निर्धारित क्षेत्र होते हैं जो सामान्य तौर पर किसी जीव में प्रोटीन बनाने में सहायक होते हैं। यही प्रोटीन किसी भी पौधे या जीव की विशेषता को निर्धारित करता है। जीएम तकनीक में पौधों के आनुवंशिक बदलाव के लिए जीनोम में डीएनए के खास हिस्से को शामिल किया जाता है जिससे कि उसमें नया या अलग गुण विकसित हो सके। इसके जरिए पौधों को घटाना-बढ़ाना और उनके प्रतिरोधक क्षमता का विकास किया जाता है। इसके बाद नया डीएनए जीएम पौधों के जीनोम

का हिस्सा बन जाता है, जो इन पौधों द्वारा उत्पादित बीज में शामिल होता है। इसके बाद शुरू होती है जीएम प्लांट बनाने की प्रक्रिया। जीएम प्लांट बनाने के पहले चरण में किसी भी पौधे की कोशिका मे सबसे पहले डीएनए को डाला जाता है। इसके लिए कई तरीकों का इस्तेमाल होता है, जो सबसे प्रचलित तरीका है उसमें रोपित करने वाले डीएनए के सतह को छोटे धातु के कणों से कोट कर दिया जाता है और जिन पौधों में इसे डालना होता है उनकी कोशिकाओं पर इन कणों की बौछार की जाती है। दूसरे चरण में बैक्टीरियम यानि वायरस का इस्तेमाल किया जाता है। कई वायरस और बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो अपने डीएनए को सामान्य जीवन चक्र के हिस्से की तरह दूसरे कोशिका में बदल देते हैं। जीएम पौधों के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल किये जाने वाले जीवाणु को एग्रो बैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस (Agro Bacterium Tumefaciens) कहा जाता है, इसके जरिए जीन के डीएनए को बैक्टीरियम और बेक्टेरियल सेल (Bacterial Cell) में डाला जाता है और नये डीएनए को इस पौधे के जीनोम में बदल दिया जाता है। इस तरह जिन पौधों में नये डीएनए सफलतापूर्वक डाल दिया जाता है तो उससे एक नये पौधे का विकास होता है। नये पौधे का विकास इसलिए संभव हो पाता है क्योंकि अलग-अलग पौधों के प्रत्येक कोशिकाओं में यह क्षमता होती है कि वो एक पूरा का पूरा नया पौधा विकसित कर सकें। इस तरह जेनेटिक मॉडिफाइड पौधा तैयार हो जाता है।

जीएम तकनीक को कई नामों से जाना जाता है, जिनमें जीन टेक्नोलॉजी, रिकॉंबिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी (Recombinant DNA Technology) और जेनेटिक इंजीनियरिंग (Genetic Engineering) शामिल हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार जीएम आर्गेनिज्म (GM Organism) में डीएनए को इस तरह डाला जाता है जैसे प्राकृतिक तरीके से उत्पन्न होने वाले प्रजनन प्रक्रिया में नहीं होता।

जीएम फसलों के लाभ

- पारंपरिक फसल उत्पादन से इतर जीन बदलाव से फसलों को न केवल हानिकारक कीटनाशकों से जूझने की क्षमता प्राप्त होती है, बल्कि उनमें सूखा झेलने और बेहतर पोषकता देने के गुण भी आ जाते हैं।
- जीएम फसलें जल्द उगती हैं। ऐच्छिक बदलाव कुछ ही फसलें उगाकर प्राप्त किए जा सकते हैं। फसल के स्वाद आदि में बेहतरी के साथ गुणकारी तत्वों में बेहतरी से चुनने की क्षमता प्राप्त होती है और फसल में अनैच्छिक व व्यर्थ तत्वों की पुनरावृत्ति नहीं होती।
- विशेषज्ञों के अनुसार इन क्षमताओं से कृषि उत्पादन में कम से कम श्रम की जरूरत होती है और कीटनाशकों का कम इस्तेमाल होता है। फसलों को विपरीत वातावरण में भी उगाया जा सकता है। कई देशों में विभिन्न किस्म की जीएम फसलें उगाई जा चुकी हैं।
- भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और कृषि विश्व विद्यालय देश में अनाज, तिलहन, दलहन और कपास की 22 जीएम फसलों पर अनुसंधान कर रही हैं। 1985 में पूसा में जैव प्रौद्योगिकी केन्द्र स्थापित होने के बाद चावल की सिक्वेंसिंग, टमाटर और आलू तथा अरहर जीनोम के साथ कई दिशाओं में काम हुआ है।
- डॉ. एम.एस. स्वामीनाथन की अध्यक्षता में 2004 में जैव प्रौद्योगिकी के प्रयोग संबंधी कार्यदल ने स्वीकारा था कि जीएम फसलों के प्रयोग से खाद्य उत्पादन दुगुना हो सकता है और पर्याप्त पौष्टिकता सुनिश्चित करते हुए छोटे किसानों की गरीबी मिटाई जा सकती है। किन्तु कार्यदल ने बासमती चावल, दार्जिलिंग की चाय और सोयाबीन जैसी फसलों के साथ कोई छेड़-छाड़ नहीं करने की वकालत की।

जेनेटिक इंजीनियरिंग के तहत अभिनव प्रयोग

दुनिया के अनेक देशों में जेनेटिक इंजीनियरिंग के तहत अभिनव प्रयोग हो रहे हैं। जैसे जर्मनी में मकड़ी के जीन को बकरी के जीन में डालकर बकरी के दूध को गाढ़ा और रेशेदार बनाने की कोशिश हो रही है। वहां वैज्ञानिक इस विधि से दूध से यार्न निकाल कर रेशमी कपड़ा बनाने की कोशिश में हैं। दूसरी ओर चीन में जुगनू के जीन को पौधे में डालकर यह कोशिश की जा रही है कि फसल रात को जगमगा सके ताकि कीड़ों का हमला कम हो।

जीएम फसल उगाने वाले देश

वैसे तो आज दुनिया के 28 देशों में किसी न किसी स्तर पर जीएम फसल (खाद्य या अखाद्य) उगाई जा रही हैं या उगाने की तैयारी है लेकिन इसकी अधिक पैदावार केवल निम्न देशों में ही हो रही है। ये देश हैं- अमेरिका, ब्राजील, कनाडा, चीन, भारत और अर्जेंटीना। दुनिया में कुल 18 करोड़ हेक्टेयर में इसकी खेती हो रही है और उसमें 92% हिस्सा इन 6 देशों की कृषि भूमि का ही है। इसमें अमेरिका का हिस्सा 40% और ब्राजील का हिस्सा 25% है जबकि बाकी 27% भारत, चीन, कनाडा और अर्जेंटीना की कृषि भूमि का है जहां जीएम पैदावार हो रही है।

भारत द्वारा उगाई जाने वाली जीएम फसलें

भारत में जीएम फसलों का नियमन केन्द्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय के हाथ में है लेकिन 2011 से जीएम फसलों की प्रायोगिक खेती के बारे में राज्य सरकारों की अनुमति लेना अनिवार्य हो गया है। जैव सुरक्षा समितियाँ इनकी पूरी जाँच-पड़ताल करती हैं। रिव्यू कमेटी ऑन जेनेटिक मेन्यूपलेशन (RCGEM) और जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी (GEC) काफी कड़े मूल्यांकन के बाद ही इन बीजों के इस्तेमाल को अनुमति देती है। दोनों समितियाँ पर्यावरण और वन मंत्रालय के अधीन हैं।

भारत में एक मात्र जीएम फसल बीटी कपास है जिसकी खेती की अनुमति सन् 2002 में दी गई। फिलहाल दस राज्यों में जीएम कपास की खेती हो रही है।

अमेरिकी कंपनी मॉनसेंटो और महिको, भारत में 1996 से बीटी कपास के विकास में लगी हैं। इनका दावा है कि कपास में ऐसा जीन प्रतिरोपित किया गया है, जिसमें कीट प्रकोप को रोकने की क्षमता है। 2002 में 450 ग्राम के 1.05 लाख पैकेट बीटी कपास से एक नई क्रान्ति की शुरूआत का दावा हुआ।

जीएम फसलों से जुड़े विवाद

भारत एक कृषि प्रधान देश है यहाँ कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की धुरी है। लेकिन एक कड़वा सच यह भी है कि भारत में सबसे ज्यादा आत्महत्या किसान ही करते हैं। सन् 2000 के बाद से देश भर में हर साल 12000 किसान अपनी जान दे रहे हैं। इसके पीछे कृषि की बढ़ती लागत और घाटा है। कृषि की लागत में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी बीज और कीटनाशकों की है। 1996 में जब जीएम या जेनेटिकली मोडिफाइड बीजों के इस्तेमाल को पहली बार मंजूरी मिली तो दावा किया गया कि ये देश में कृषि की शक्ल बदल देंगें। इस दावे में कहा गया कि न सिर्फ उपज बल्कि किसानों का मुनाफा भी कई गुना बढ़ जाएगा। इस बात को 20 वर्ष से ज्यादा गुजर गए हैं, मगर इस दौरान किसानों की बदहाली सिर्फ

बढ़ी है, जबकि जीएम बीज उपलब्ध कराने वाली कंपनियों का मुनाफा कई गुना बढ़ गया है।

यूपीए-2 शासनकाल में 10 फसलों गेहूँ, धान, कपास, ज्वार, बाजरा और मक्का आदि के परीक्षण की मंजूरी दी गई, लेकिन 2010 में तत्कालीन पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने इस पर रोक लगा दी, हालांकि जब वीरप्पा मोइली पर्यावरण मंत्री बने तो उनका रूख जयराम रमेश से अलग था। जीएम फसलों के मसले पर पहली बार संसद की कृषि संबंधी स्थायी समिति ने 2013-14 में गहन जाँच पड़ताल की। समिति की रिपोर्ट में यह बात उभर कर सामने आई कि जीमए खाद्य फसलों से मानव और पशु स्वास्थ्य के प्रभावित होने के साथ दूसरी फसलों पर भी असर पड़ सकता है।

जीएम फसलों के नुकसान

- अभी यह पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं है कि जीएम फसलों (GM crops) का मानव स्वास्थ्य एवं पर्यावरण पर कैसा प्रभाव पड़ेगा? स्वयं वैज्ञानिक लोग भी इसको लेकर पक्के नहीं हैं। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि ऐसी फसलों से लाभ से अधिक हानि है। कुछ वैज्ञानिक यह भी कहते हैं कि एक बार जीएम फसल तैयार की जायेगी तो फिर उस पर नियंत्रण रखना संभव नहीं हो पायेगा।
- भारत में जीएम विरोधियों का यह कहना है कि बहुत सारी प्रमुख फसलें, जैसे- धान, बैंगन, सरसों आदि की उत्पत्ति भारत में ही हुई है और इसलिए यदि इन फसलों के संशोधित जीन वाले संस्करण लाए जाएँगे तो इन फसलों की घरेलू और जंगली किस्मों पर बहुत बड़ा खतरा उपस्थित हो जाएगा।
- वास्तव में आज पूरे विश्व में यह स्पष्ट रूप से माना जा रहा है कि जीएम फसल वहाँ नहीं अपनाए जाएँ जहाँ किसी फसल की उत्पत्ति हुई हो और जहाँ उसकी विविध किस्में पाई जाती हों। विदित हो कि भारत में कई बड़े-बड़े जैव-विविधता वाले स्थल हैं, जैसे- पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट- जहाँ समृद्ध जैव-विविधता है और साथ ही जो पर्यावरण की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील है।
- यह भी डर है कि जीएम फसलों के द्वारा उत्पन्न विषाक्तता के प्रति कीड़ों में प्रतिरक्षा पैदा हो जाएँ जिनसे पौधों के अतिरिक्त अन्य जीवों को भी खतरा हो सकता है। यह भी डर है कि इनके कारण हमारे खाद्य पदार्थों में एलर्जी लाने वाले तत्व (Allergen) और अन्य पोषण विरोधी तत्व प्रवेश कर जाएँ।
- कृषि प्रधान देशों में आमतौर पर किसानों को अपनी पिछली फसल के कुछ बीजों को बचा कर रखना पड़ता है ताकि उन बीजों का इस्तेमाल अगली फसल को रोपने में किया जा सके, लेकिन जीएम फसलों के साथ ऐसा नहीं है। जीएम बीजों की एक मुख्य समस्या यह है कि यह एक बार इस्तेमाल होने के बाद दोबारा इनका प्रयोग नहीं किया जा सकता है। जिससे कृषि में लागत बढ़ती है इसके साथ ही मृदा की उर्वरकता में कमी भी आती है। इसके अलावा जीएम बीज काफी मंहगे होते हैं जिससे ये आम किसान की पहुँच से दूर होते हैं।

जीएम फसलों से जुड़ी आर्थिक जंग

जीएम फसलों को लेकर आर्थिक पहलू काफी अहम और विवाद खड़े करने वाला है। अमेरिका का जीएम फसलों के उत्पादन में बड़ा हिस्सा है और इसलिए वह चाहता है कि वैश्विक बाजार में जीएम फसलों को लेकर अधिक से अधिक स्वीकार्यता और सहमति बने। यह महत्वपूर्ण है कि अमेरिका ही नहीं बल्कि जर्मनी और स्विट्जरलैंड जैसे देशों की कंपनियां इसमें पेटेंट अधिकारों को लेकर बड़ी मुहिम चला रही हैं।

यह बड़ा दिलचस्प है कि जर्मनी और स्विट्जरलैंड की सरकारों ने अपने देश में जीएम खाद्यान्न पर पाबंदी लगाई हुई है लेकिन इन देशों की कंपनियाँ पूरे विश्व बाजार में जीएम के माध्यम से एकाधिकार तलाश रही हैं। जीएम फसलों के खिलाफ लड़ रही कविता कुरुगंटी का कहना है कि ''जीएम तकनीक के माध्यम से जितनी आसानी से कंपनियों को पेटेंट मिलता है, वह शायद दूसरी कृषि-तकनीकों में नहीं मिल पाता।'' मिसाल के तौर पर प्रकृति में सरसों के पौधे में 85 हजार से अधिक जीन मौजूद होते हैं और जीएम तकनीक के तहत सिर्फ दो या तीन जीन बाहर से डालकर आप उस पूरी प्रजाति पर पेटेंट का दावा कर सकते हैं। इस तरह से मिलने वाले पेटेंट के बाद बाजार में इन बड़ी कंपनियों के एकाधिकार का खतरा है।

समीक्षा

देश में बीटी कपास की शुरूआती लोकप्रियता की सबसे बड़ी वजह कीटनाशकों पर नियंत्रण था। इससे पहले कपास को 166 से ज्यादा कीट पतंगे नुकसान पहुँचाते थे। अमेरिकी बोलवर्म (Bollworm) तो कपास की फसल के लिए मौत का दूत बना हुआ था। इससे 30 प्रतिशत से लेकर 60 प्रतिशत तक की उपज नष्ट हो जाती थी। ऐसे माहौल में देश में बीटी कॉटन की आमद हुई। भारत ने पहली बार 1996 में जीएम कपास के लिए अपने दरवाजे खोले। इससे पहले 25 देशों में इनका इस्तेमाल हो रहा था। शुरूआत में इसका लाभ किसानों को मिला किंतु जल्द ही इसके बुरे प्रभाव भी नजर आने लगे। जिन जगहों पर बीटी कपास उगाई गई उन क्षेत्रों में मिट्टी के पोषक तत्वों में भारी कमी दर्ज की गई। इसकी खली दुधारू पशुओं को खिलाने से दूध की मात्रा पर बुरे असर की शिकायतें किसानो ने की।

इससे आगे बढ़कर हमारी खाद्य शृंखला और आखिर में इंसानों के शरीर पर पड़ने वाले इसके असर पर न थमने वाली बहस शुरू हो गई। बीटी कपास के आने का सबसे बुरा असर कपास की देशीय प्रजातियों पर पड़ा। भारतीय कृषि वैज्ञानिकों ने कपास की 250 किस्में विकसित की थी। इसके अलावा कुछ देशीय प्रजातियाँ भी थीं लेकिन धीरे-धीरे वो सब लापता हो गईं। इसके अलावा बीटी कपास के बीज सामान्य बीजों से 200 गुना तक महँगे हैं। बीटी कपास के नकली बीज भी बाजार में उपलब्ध हैं इसके चलते किसान बरबादी के कगार पर पहुँच चुके हैं। कपास इलाकों में किसानों के आत्महत्यायें और कर्ज के दलदल में फँसने के समाचार मिलते रहते हैं।

हालांकि कुछ वैज्ञानिक दावा करते हैं कि लोगों ने बेजा डर बैठा दिया है, वरना जीएम फसलें ऐसा बड़ा खतरा नहीं है। लेकिन भारतीय बीज कारोबार का 75 फीसदी हिस्सा आज निजी क्षेत्र के कब्जे में है। देश में पौध किस्मों के संरक्षण के कानून के तहत सन् 2001 में राष्ट्रीय जीन बैंक बना जरूर है लेकिन परंपरागत फसलें खत्म हो रही हैं। इसके साथ ही इन फसलों के पर्यावरण और दूसरे पेड़ पौधों पर असर को लेकर भी स्थिति साफ नहीं है। जीएम बीज बनाने वाली कंपनियों का एकाधिकार और बाजार पर पकड़ को लेकर भी चिंताएँ हैं। ऐसे में जीएम फसलों के फायदे और नुकसान का आकलन आसान नहीं है।

आगे की राह

वैज्ञानिक शोध पर आधारित वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट में स्पष्ट कहा गया है कि विकासशील देशों में जीएम तकनीक से अमूमन सभी फसलों का उत्पादन 25 प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकता

है। पर्यावरणविदों और पर्यावरण बचाओ आंदोलन से जुड़े लोगों का सम्मान करते हुए इस बात को रेखांकित किया जाना जरूरी है कि विरोध केवल विरोध के लिए ही नहीं होना चाहिए। जीएम फसलों को उगाने में जैव निरापदता (Biosaftey) की अनदेखी को सुनिश्चित करना चाहिए। इसके साथ ही जीएम उत्पादों या खाद्य पदार्थों पर लेबल लगाने चाहिए ताकि उपभोक्ता को उन्हें अपनाने या खारिज करने की स्वतंत्रता हो। अब भी बाजार में आर्गेनिक या कार्बनिक खाद्य पदार्थ परंपरागत खाद्य पदार्थों के साथ देखने को मिलते हैं। अतः यह उपभोक्ता पर छोड़ दिया जाना चाहिए कि वह उन्हें खरीदे या नहीं। जीएम फसलों पर उठे विवादों के मद्देनजर विश्व स्वास्थ्य संगठन की सहायता से पर्यावरण एवं स्वास्थ्य पर इन फसलों के पड़ने वाले प्रभावों की संपूर्ण जाँच एवं मूल्यांकन करने की आवश्यकता है ताकि जीएम फसलों का निर्धारण हो सके।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-3

- प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कृषि सहायता तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य से संबंधित विषय, जन वितरण प्रणाली-उद्देश्य, कार्य, सीमाएं, सुधार; बफर स्टॉक तथा खाद्य सुरक्षा संबंधी मुद्दे; प्रौद्योगिकी मिशन; पशु पालन संबंधी अर्थशास्त्र।

■

6. विश्व मृदा दिवसः मृदा प्रदूषण का समाधान

चर्चा का कारण

प्रतिवर्ष 5 दिसम्बर को विश्व मृदा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस को 'संयुक्त राष्ट्र के खाद्य व कृषि संगठन' (UNFAO) द्वारा मनाया जाता है। इस वर्ष विश्व मृदा दिवस की थीम ''मृदा प्रदूषण रोको'' है।

संयुक्त राष्ट्र के अनुसार विश्व की कुल एक तिहाई मृदा का क्षरण हो चुका है। मृदा की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाला एक प्रमुख कारक मृदा प्रदूषण भी है। मृदा प्रदूषण का खाद्यान्न, जल तथा वायु पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है, जो प्रत्यक्ष रूप से स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। मृदा प्रदूषण का प्रमुख कारण औद्योगिक प्रदूषण तथा खराब मृदा प्रबंधन है।

विश्व मृदा दिवस की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

मृदा दिवस को एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने के लिए 2002 में 'इंटरनेशनल यूनियन ऑफ सॉइल साइंसेज (आईयूएसएस)' द्वारा सिफारिश की गई थी जिसका बाद में एफएओ और थाइलैण्ड ने भरपूर समर्थन किया। दिसंबर 2013 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 68वीं सामान्य सभा की बैठक में पारित संकल्प के द्वारा '5 दिसंबर' को विश्व मृदा दिवस मनाने का संकल्प लिया था।

गौरतलब है कि प्रथम विश्व मृदा दिवस '5 दिसंबर 2014' को संपूर्ण विश्व में मनाया गया था। यह कार्यक्रम मिट्टी के बारे में जागरूकता बढ़ाने और महत्वपूर्ण संसाधन के स्थायी उपयोग को बढ़ावा देने हेतु मनाया गया। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य किसानों और आम लोगों को मिट्टी की महत्ता के बारे में जागरूक करना है। विश्व के बहुत से भागों में किसानो द्वारा ज्यादा रसायनिक खादों और कीटनाशक दवाईओं का इस्तेमाल करने से मिट्टी के जैविक गुणों में कमी आने के कारण इसकी उपजाऊ क्षमता में गिरावट आ रही है और यह प्रदूषण का भी शिकार हो रही है। इसलिए किसानों और आम जनता को इसकी सुरक्षा के लिए जागरूक करने की जरूरत है।

मृदा स्वास्थ्य या गुणवत्ता

- मृदा स्वास्थ्य को मिट्टी की उस गुणवत्ता या क्षमता के रूप में जाना जाता है जो पारिस्थितिक तंत्र की जीवंतता को बनाये रखती है।
- मृदा का मुख्य कार्य खाद्य पदार्थों के उत्पादन से संबंधित है, इसलिए स्वस्थ मृदा 'खाद्य स्थिरता' (Food Sustainability) के लिए महत्वपूर्ण है। वास्तव में, 95 प्रतिशत भोजन मिट्टी में सीधे या परोक्ष रूप से उत्पादित होता है और प्रति व्यक्ति औसत कैलोरी खपत का लगभग 80 प्रतिशत मिट्टी में उगाई जाने वाली फसलों से ही आता है। इसके अलावा, मृदा के अन्य प्रमुख कार्यो में शामिल हैं-
  - भूमिगत जल को इकट्ठा करने में विभिन्न मृदा संस्तर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
  - संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन (यूएनएफएओ) के अनुसार वायुमंडल की तुलना में मृदा तीन गुणा अधिक कार्बन धारण कर सकती है और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने में मदद कर सकती है।
  - मृदा कई पोषक तत्त्वों (यथा-नाइट्रोजन, फास्फोरस, कार्बन इत्यादि) के चक्रीय प्रक्रम को पूरा करने और इनके संग्रहण में प्रमुख भूमिका निभाती है।
  - मृदा, भवनों आदि को एक मजबूत आधार प्रदान करती है।
  - मृदा की उपर्युक्त विशेषताओं से स्पष्ट है कि मृदा सिर्फ भूपर्पटी का एक हिस्सा भर नहीं है बल्कि यह मानवीय जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है। उपजाऊ मृदा का निर्माण एक दिन में नहीं होता बल्कि इसके लिए लाखों साल लगते हैं।

मृदा की गुणवत्ता को कम करने के लिए कौन जिम्मेदार है?

मृदा की गुणवत्ता के ह्रास के लिए दो कारक मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं- मृदा प्रदूषण (Soil Pollution) और मृदा अपरदन (Soil Erosion)। इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च (ICAR) और नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज (NAAS) का अनुमान है कि देश की 71 प्रतिशत कृषि योग्य भूमि काफी गंभीर स्थिति में है, अर्थात् यहाँ या तो मृदा की गुणवत्ता नष्ट हो गई है या नष्ट होने की कगार पर है।

मृदा प्रदूषण का अर्थ है कि मृदा की गुणवत्ता या स्वास्थ्य में क्षरण/कमी आना, अर्थात् मृदा प्रदूषण हर उस चीज को संदर्भित करती है जो मृदा के स्वास्थ्य के ह्रास का कारण बनता है और मृदा की गुणवत्ता को कम करता है। मृदा प्रदूषण प्राकृतिक और मानवीय दोनों कारणों से होता है लेकिन वर्तमान में इसका प्रमुख कारण मानवीय गतिविधियाँ ही हैं।

मृदा अपरदन या क्षरण पृथ्वी पर घटित होने वाली वह प्रक्रिया है जिसमें किसी प्राकृतिक या मानवीय घटना के कारण मिट्टी के ऊपरी परत का विस्थापन एक स्थान से दूसरे स्थान पर होता है।

पहले मृदा अपरदन की प्रक्रिया मुख्यतः प्राकृतिक कारकों (यथा-पानी या हवा के तेज बहाव) द्वारा होती थी और मृदा के इस नुकसान की भरपाई प्रकृति द्वारा ही धीरे-धीरे कर दी जाती थी। किन्तु अब मानव की बढ़ती विभिन्न क्रियाओं

और प्रकृति में हस्तक्षेप ने मृदा के अपरदन की दर काफी बढ़ा दिया है जिसकी भरपाई लगभग असंभव हो गई है।

मृदा की गुणवत्ता या स्वास्थ्य को कम करने के प्रमुख कारक निम्नलिखित हैं-

1. **कीटनाशक:** कीटनाशक, ऐसे कृत्रिम जहरीले रसायन (Synthetic Toxic Chemical) होते हैं जिन्हें विभिन्न प्रकार के कीटों या अन्य खरपतवार को मारने या नष्ट के लिए मानव कृषि एवं अन्य गतिविधियों में उपयोग करता है।

   ये कीटनाशक आम तौर पर पानी में अघुलनशील और गैर-बायोडिग्रेडेबल (Non-Biodegradable) होते हैं, परिणामत: ये मृदा में धीरे-धीरे इकट्ठे होते रहते हैं। वर्तमान में एल्ड्रिन और डईएल्ड्रिन (Aldrin and Dieldrin) जैसे घातक रसायनों का कीटनाशकों में वृहद स्तर पर उपयोग किया जा रहा है।

2. **क्लोरिनेटेड कार्बनिक विषाक्त पदार्थ (Chlorinated Organic Toxins):** कार्बेमेट्स और ऑर्गेनोफॉस्फेट (Carbamates and Organophosphates) जैसे रसायनों से युक्त डीडीटी और अन्य क्लोरीनेटेड कार्बनिक पदार्थों ने मृदा को वृहद स्तर पर दूषित किया है। मृदा के द्वारा पौधों और जीवों में पहुँचकर इन पदार्थों ने स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव डाले हैं। डीडीटी के प्रयोग से कई चिड़ियों (यथा-गिद्ध इत्यादि) के अण्डे समय से पहले टूटने लगे और इनकी किडनी भी खराब होने लगी, जिससे ये लुप्तप्राय हो गए।

3. **हर्बीसाइड्स (Herbicides):** हर्बीसाइड्स भी एक प्रकार के कीटनाशक (Pesticites) होते हैं जिन्हें कृषि में खरपतवार को नष्ट करने में प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए, सोडियम आर्सेनाइट ($Na_3 AsO_3$) और सोडियम क्लोरेट ($NaCl O_3$) आदि प्रमुख हर्बीसाइट्स हैं। हर्बीसाइड्स कुछ महीनों में अपघटित हो सकते हैं किन्तु इनका भी पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इनसे विषाक्त अनाज के सेवन से मानव आनुवांशिक बीमारियों से ग्रसित हो रहा है।

4. **अकार्बनिक उर्वरक:** अकार्बनिक नाइट्रोजन के अत्यधिक उपयोग से मिट्टी के अम्लीकरण को बढ़ावा देकर मृदा स्वास्थ्य को नुकसान पहुँचाया है। इन्हें 'एग्रोकेमिकल पाल्युशन' के रूप में भी जाना जाता है।

5. **औद्योगिक प्रदूषण:** औद्योगिक इकाइयों द्वारा अपशिष्टों के गलत तरीके से निपटान के कारण बड़े स्तर पर मृदा प्रदूषण हो रहा है। ज्ञातव्य है कि औद्योगिक अपशिष्टों में भारी धातुएँ और जहरीले रसायन आदि विद्यमान होते हैं।

6. **सिंचाई:** सिंचाई के अनुचित विधियों ने भी मृदा की लवणता बढ़ाकर, इसके स्वास्थ्य को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। इसके अलावा जलाशयों, बांध, नहरों एवं सिंचाई चैनलों आदि के गलत रखरखाव और अनुचित फसल पैटर्न एवं गहन खेती (Intensive Farming) आदि से भी मृदा की गुणवत्ता में धीरे-धीरे कमी आयी है।

7. **ठोस अपशिष्ट (Solid Waste):** प्लास्टिक, डिब्बे, बैटरी और अन्य ठोस अपशिष्टों का अनुचित निपटान भी मृदा प्रदूषण की श्रेणी में आता है। उदाहरण के लिए, विद्युत बैटरी में मौजूद लीथियम तत्व मृदा में लीचिंग (Leaching) की प्रक्रिया को बढ़ावा देता है।

8. **शहरी गतिविधियाँ:** शहरों में भारी मात्रा में विभिन्न प्रकार के अपशिष्टों का निर्माण होता है जो मृदा को प्रदूषित करते हैं। वर्तमान में शहरों से प्रवाहित होने वाला प्रदूषित जल और सीवेज मृदा की रासायनिक संरचना को नकारात्मक रूप से बदल रहा है। इसके अलावा, निर्माण कार्यों आदि से मिट्टी की ऊपरी परत का कटाव (मृदा अपरदन) अधिक तीव्र हो गया है।

संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन (UNFAO) ने मिट्टी के प्रदूषण पर कई वर्षों तक गहन अध्ययन के बाद एक रिपोर्ट प्रकाशित की, जिसमें उन कम ज्ञात स्रोतों पर भी प्रकाश डाला गया है जो वर्षों से मिट्टी को प्रदूषित कर रहे थे-

i) **परमाणु परीक्षण:** परमाणु हथियारों के परीक्षण और परमाणु दुर्घटनाएं (जैसे-चेरनोबिल दुर्घटना आदि) पर्यावरण में वृहद मात्रा में रेडियोएक्टिव पदार्थों को छोड़ती हैं, जिससे मृदा भी प्रदूषित होती है। उल्लेखनीय है कि रेडियोएक्टिव तत्त्व सदियों तक मिट्टी में बने रहते हैं और उन्हें पौधों द्वारा अवशोषित किया जाता है, अंतत: ये रेडियोएक्टिव पदार्थ मानव सहित पृथ्वी पर मौजूद अन्य जीवों में गंभीर स्वास्थ्य समस्यायें पैदा कर देते हैं।

ii) **युद्ध के अवशेष:** आधुनिक युद्धों में परमाणु हथियारों और घातक रसायनिक हथियारों का प्रयोग बढ़ गया है जो मिट्टी की गुणवत्ता को प्रभातिव करते हैं।

iii) **सड़क:** सड़कों पर चलने वाले वाहन जीवाश्म ईंधन (जैसे- डीजल, पेट्रोल आदि) से युक्त वाहनों ने भी सड़क किनारे स्थित खेतों की मृदा की गुणवत्ता को प्रभावित किया है। एफएओ ने अपने अध्ययन के दौरान पाया कि सड़कों के पास की मृदा में भारी धातुओं, पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन और अन्य प्रदूषकों की सान्द्रता उच्च मात्रा में थी।

प्रभाव

संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन के अपनी रिपोर्ट में मृदा की गुणवत्ता में कमी को लेकर कई तरह के प्रभावों को उल्लेख किया है। खराब मृदा से होने वाले प्रभाव निम्नांकित हैं-

i) **मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव:** एफएओ ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि मृदा प्रदूषण से मानव की तंत्रिका तंत्र से लेकर गुर्दे, यकृत और हड्डी आदि सभी नकारात्मक रूप प्रभावित हो रहे हैं। रिपोर्ट में मृदा प्रदूषण से संबंधित छह मानव स्वास्थ्य जोखिमों की पहचान की गई है। इसके अलावा, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी मृदा प्रदूषण से मानव स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों का उल्लेख किया है।

   ज्ञातव्य है कि मृदा प्रदूषण से मानव शरीर की आनुवांशिक बनावट भी प्रभावित होती है, जिसके परिणामस्वरूप जन्मजात बीमारियाँ और लंबी अवधि वाली अन्य गंभीर बीमारियाँ उत्पन्न हो सकती हैं।

ii) **आर्थिक प्रभाव:** मानव स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर पड़ने से अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान होता है। इसके अलावा, मृदा प्रदूषण से पशुपालन पर भी नकारात्मक असर होता है।

iii) **खाद्यान्न संकट:** मृदा में उपस्थित जहरीले रसायन पौधों को विषाक्त करने के साथ-साथ उनकी उत्पादकता को भी कम कर देते हैं, इससे खाद्यान्न संकट गहराने की समस्या उत्पन्न होती है। एफएओ के मुताबिक, मृदा दूषित पदार्थों को फिल्टर करने की क्षमता रखती है किन्तु एक स्तर से अधिक दूषित होने से इसका यह गुण समाप्त हो जाता है और प्रदूषित पदार्थ धीरे-धीरे पौधों से लेकर संपूर्ण खाद्य श्रृंखला में व्याप्त हो जाते हैं।

iv) **मृदा अपरदन में तीव्रता:** स्वस्थ मृदा में विभिन्न कवक और जीवाणु उपस्थित होते हैं

और एक साथ बंधे रहते हैं किंतु जब दूषित पदार्थ मृदा में पहुँचते हैं तो इन कवक और जीवाणुओं को धीरे-धीरे खत्म कर देते हैं जिससे मृदा की बंध क्षमता कमजोर हो जाती है तथा वह अपरदन के प्रति अधिक सुभेद्य हो जाती है।

v) **जल संचयन में कमी:** प्रदूषित मृदा वर्षा के समय जल का संचयन भी कम कर पाती है और जो कुछ भी जल संचय होता भी है तो वह काफी विषाक्त हो जाता है।

चुनौतियाँ

- मिट्टी एक ऐसा संसाधन है, जो सीमित है। पूरी धरती के सिर्फ 22 फीसदी भू-भाग पर ही खाद्यान्न उपजता है। एफएओ के अनुसार, इसमें से लगभग एक तिहाई (करीब 33 फीसदी) अब बंजर हो चुकी है। इसकी मुख्य वजहें कटाव (Erosion), प्रदूषण (Contamination) और वनों का कटाव (Desertification) आदि हैं। धरती को इतना नुकसान सिर्फ पिछले 50 वर्ष में हुआ है।
- यूएनएफएओ के मुताबिक पूरे विश्व में 815 मिलियन लोग खाद्य असुरक्षा का तथा 2 अरब लोग पोषण असुरक्षा का सामना कर रहे हैं।
- विश्व की बढ़ती आबादी भी मृदा से संबंधित विभिन्न चिंतायें पैदा कर रही है। बढ़ी हुई आबादी एक तरफ कृषि योग्य भूमि का आच्छादन करती है तो वहीं दूसरी तरफ मृदा को प्रदूषित भी करती है। ऐसा अनुमान है कि 2050 तक पूरी दुनिया की आबादी 9 अरब तक हो जायेगी।
- मृदा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए पूर्वापेक्षा है कि इससे संबंधित डेटा उपलब्ध हो लेकिन अभी विश्व के किसी भी देश ने इससे संबंधित डेटा को वृहद स्तर पर एकत्रित नहीं किया है।
- मिट्टी में दूषित पदार्थों को फिल्टर करने और बफर करने, प्रदूषण के नकारात्मक प्रभावों को कम करने और क्षीण करने की एक बड़ी संभावना है, लेकिन यह क्षमता सीमित है।

सरकारी प्रयास

- मृदा गुणवत्ता में ह्रास के फलस्वरूप सन् 2015 में भारत सरकार ने 'मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना' का शुभारंभ किया था।
- सरकार द्वारा जैविक कृषि को विभिन्न योजनाओं के द्वारा प्रोत्साहन देना; यथा-राष्ट्रीय गोकुल मिशन, परम्परागत कृषि विकास योजना (PKVY) इत्यादि।
- सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन (NMSA); इसके तहत कृषि के सतत विकास हेतु विभिन्न योजनाओं को संचालित किया गया है।

सुझाव

- **पर्माकल्चर (Permaculture):** यह परम्परागत और आधुनिक कृषि पद्धतियों का मिलाजुला स्वरूप है। पर्माकल्चर पद्धति एक प्रकार से 'पारिस्थितिकी खेती' है, इसमें कृषि कार्य अपने वृहद पारिस्थितिकी तंत्र के अनुरुप सम्पन्न किये जाते हैं। इस प्रकार के प्रयास 'संवहनीय कृषि पारिस्थितिकी तंत्र' की ओर ले जाते हैं। उल्लेखनीय है कि भारत में कुल 20 कृषि-पारिस्थितिकी क्षेत्र हैं।
- **जीरो बजट प्राकृतिक खेती (Zero Budget Natural Farming):** इस प्रकार की खेती में किसान कृषि लागत हेतु बाहर से कुछ भी आयात नहीं करते हैं। किसान उर्वरक के रूप में जैविक खाद और स्वदेशी बीजों आदि का प्रयोग करते हैं। हाँलाकि सरकार 'जीरो बजट प्राकृतिक खेती' को बढ़ावा दे रही है, जिसे तीव्र करने की आवश्यकता है।
- सरकार को एकल फसल प्रतिरूप की जगह किसानों को मिश्रित फसल प्रतिरूप और बहुफसली कृषि के लिए प्रोत्साहित करना होगा।
- आवश्यकता से अधिक खाद एवं कीटनाशकों के प्रयोग से बचना होगा।

आगे की राह

आज जलवायु परिवर्तन ने कृषि पर विपरीत असर डाला है और खाद्यान्न संकट पैदा किया है, जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने में मृदा अपनी महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है क्योंकि मृदा में कार्बन को संग्रहित रखने की अद्भूत क्षमता होती है। एफएओ के अनुसार खाद्यान्न संकट का शमन मृदा की गुणवत्ता को सुधारकर किया जा सकता है।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-3

- संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण, पर्यावरण प्रभाव का आकलन।

■

7. तटीय प्रदूषणः महासागरों जितनी बड़ी समस्या

चर्चा का कारण

राष्ट्रीय तटीय अनुसंधान केन्द्र (NCCR) ने हाल ही में अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि भारत वायु और जल प्रदूषण के साथ-साथ अब तटीय प्रदूषण (Beach Pollution) से भी जूझ रहा है और तटीय प्रदूषण का प्रमुख कारण प्लास्टिक है जिसे मुख्यत: पर्यटकों और मछुआरों द्वारा फैलाया जाता है।

परिचय

भारत का प्रायद्वीपीय भाग समुद्र से घिरा हुआ है, इसके पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर है। भारत की 7517 किलोमीटर की लम्बी 'तट रेखा' (Coastline) है जो जैव-विविधता से समृद्ध पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करती है और भारतीय अर्थव्यवस्था में अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है। इस तटरेखा में मैंग्रोव, लैगून, प्रवाल भित्तियाँ, सीग्रास बेड (Seagrass Bed) और एश्चुयरी आदि प्रचुर मात्रा में हैं जो भारत के समुद्री प्राकृतिक संसाधनों का महत्वपूर्ण स्रोत हैं।

समुद्री प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण यह तटरेखा अब धीरे-धीरे विभिन्न कारणों से प्रदूषित होने लगी है, जिसे तटीय प्रदूषण (Beach Pollution) के नाम से जाना जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा तटीय प्रदूषण की परिभाषा इस तरह दी जाती है कि 'मानव द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समुद्री पारितंत्र में ऐसे पदार्थों या ऊर्जा (Substance or Energy) का प्रवेश कराना, जो समुद्री पारितंत्र की सेहत के लिए हानिकारक हों तो उसे तटीय प्रदूषण कहते हैं।' इस तटीय प्रदूषण से यहाँ की जैवविविधता सहित अन्य सभी प्राकृतिक संसाधनों को एक गम्भीर खतरा उत्पन्न हो गया है। भारत के समुद्र तटों में नदियों आदि के माध्यम से मानव द्वारा कृषि या अन्य दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले पोषक पदार्थ (Nutrients) पहुँचने लगे हैं, जिससे यूट्रोफिकेशन जैसे क्रियाओं को बढ़ावा मिल रहा है जो समुद्री पारितंत्र के लिए खतरा है। इसके अलावा पर्यटन

या अन्य मानवीय गतिविधियों से प्लास्टिक, काँच, धातु और अन्य कचरा हर साल हजारों टन की मात्रा में महासागर में पहुँच जाता है, जो समुद्री प्रदूषण को बढ़ाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। इस कचरे से अब समुद्री जीवों व वनस्पतियों का बड़े स्तर पर ह्रास हो रहा है। मछुआरों द्वारा समुद्र में छोड़े गये मछली जाल (Fish Nets) से हर वर्ष हजारों जीव-जन्तु उलझकर मर जाते हैं।

उल्लेखनीय है कि सामाजिक-आर्थिक विकास में तटीय क्षेत्र एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है और दुनिया की लगभग 60 प्रतिशत आबादी समुद्र तट के 100 किमी के दायरे में निवास करती है। लेकिन अब इन क्षेत्रों में मानव गतिविधियों में काफी इजाफा हुआ है जिससे यहाँ काफी तनाव देखने को मिल रहा है।

एनसीसीआर की रिपोर्ट

एनसीसीआर (राष्ट्रीय तटीय अनुसंधान केन्द्र) ने भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों के छह अलग-अलग समुद्र तटों पर कूड़े/कचरे के गुणात्मक व मात्रात्मक विश्लेषण में पाया कि-

- समुद्री तट पर प्लास्टिक कचरे का प्रमुख कारण पर्यटन से फैलने वाला प्लास्टिक अपशिष्ट है। समुद्री बीचों पर कुल प्लास्टिक कचरे में पर्यटन गतिविधियों का योगदान विभिन्न तटों पर निम्नलिखित है-
  - इलियट बीच (चेन्नई)- 40%
  - फोर्ट कोच्चि बीच (केरल)- 66%
  - रंगचांग बीच (अण्डमान एवं निकोबार द्वीप)- 81%
  - आर.के. बीच (विशाखापट्टनम)- 87%
  - गोपालपुर बीच (ओडिशा)- 96%
- रिपोर्ट के अनुसार, पर्यटन के बाद मछली पकड़ने की गतिविधियों द्वारा सबसे अधिक प्लास्टिक प्रदूषण होता है। मछुआरे जाल एवं अन्य प्लास्टिक सामग्री समुद्र में बहा देते हैं। कुल प्लास्टिक कचरे में मछली पकड़ने की गतिविधियों का विभिन्न तटों पर योगदान निम्नांकित है-
  - फोर्ट कोच्चि बीच (केरल)- 22%
  - इलियट (Elliot) बीच (चेन्नई)- 15%
  - कारवार बीच (कर्नाटक)- 10%
- **नोटः** शहरी तटों पर बायोमेडिकल कचरे का अनुपात अधिक था; जैसे- इलियट और फोर्ट कोच्चि बीच।

राष्ट्रीय तटीय अनुसंधान केन्द्र (National Centre for Coastal Research)

1992 में ब्राजील के रियो-डि-जेनेरियो में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में एजेंडा-21 (Agenda-21) को अपनाया गया। इसमें तटीय और समुद्री संसाधनों के सतत उपयोग और समुद्री पर्यावरण के अपघटन की रोकथाम के लिए 'एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन' (Integrated Coastal Zone Management- ICZM) को अपनाने की आवश्यकता पर भी बल दिया गया है।

इसी भावना की पूर्ति हेतु पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (पूर्व में महासागर विभाग)- जो भारत में समुद्री पर्यावरण के संरक्षण और विकास के लिए एक नोडल एजेंसी है- ने चेन्नई (तमिलनाडु) में 1998 को 'आईसीएमएएम परियोजना निदेशालय' (Integrated Coastal and Marine Area Management Project Directorate) की स्थापना की। इसके निम्नलिखित उद्देश्य थे-

- एजेंडा-21 की नीतियों को क्रियान्वित करना,
- समुद्री क्षेत्रों में समस्याओं के समाधान के लिए एकीकृत प्रबंधन समाधान का विकास,
- अनुसंधान एवं विकास पर जोर,
- अंतर्राष्ट्रीय विकास संगठनों (यथा- विश्व बैंक आदि) द्वारा वित्तपोषित योजनाओं की निगरानी करना।

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने 'आईसीएमएएम परियोजना निदेशालय' का 20 अप्रैल, 2018 को नाम बदलकर 'राष्ट्रीय तटीय अनुसंधान केन्द्र' रख दिया।

तटीय प्रदूषण के कारक

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (भारत सरकार) के अनुसार, भारतीय तटों में प्रदूषण मुख्यतः औद्योगिक बहिस्राव छोड़े जाने, अनुपचारित रिसाव के निपटान, कृषि अपशिष्ट, तटीय शहरों, नगरों के पास उर्वरक संयंत्रों के प्रचालन तथा पत्तनों और बंदरगाहों में उर्वरकों के रखरखाव के कारण होता है।

भारत में तटीय पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित करने वाले कुछ प्रमुख कारकों का वर्णन निम्नांकित रूप से किया जा सकता है-

- शैवाल प्राकृतिक रूप से जलाशयों में पाये जाते हैं लेकिन जब इन्हें मानवीय गतिविधियों के द्वारा अधिक पोषक तत्वों की प्राप्ति होती है तो इनकी वृद्धि अचानक बढ़ जाती है, जिसे 'एल्गी बूम' (Algae Boom) कहते हैं। ये बढ़े हुए शैवाल पानी में घुलित ऑक्सीजन को खींच लेते हैं और जब मृत शैवालों का विघटन होता है तो पूरे जल पारितंत्र के खत्म होने का खतरा पैदा हो जाता है।
- बढ़ते शहरीकरण के फलस्वरूप समुद्रों में सीवेज भी काफी अधिक मात्रा में पहुँचने लगा है। समुद्री जल में सीवेज की घटना तब और अधिक हो जाती है, जब भारी बारिश होती है।
- माइक्रोप्लास्टिक (Microplastics) भी भारी मात्रा में महासागरों में मिश्रित हो रहे हैं। माइक्रोप्लास्टिक पानी में मुख्यतः दो तरीकों से पहुँचते हैं-
  - प्लास्टिक युक्त कैमिकल को पानी में बहाना,
  - प्लास्टिक के बड़े-बड़े टुकड़ों को समुद्री लहरें छोटे-छोटे माइक्रोप्लास्टिक में परिवर्तित कर देती हैं।
- खेतों में प्रयुक्त केमिकल युक्त खाद और कीटनाशक वर्षा के जल के साथ बहकर महासागरों में पहुँचते हैं, जिससे समुद्र में प्रदूषण का स्तर बढ़ जाता है।
- समुद्र में जहाजों की दुर्घटना और उनके कारण होने वाले रिसाव से समुद्री पर्यावरण पर बहुत घातक प्रभाव पड़ता है। नदियों के ज्वारीय मार्गों और बंदरगाहों के प्रवेश मार्गों के रास्ते जहाज ले जाने के लिए अक्सर इन मार्गों की गाद निकालनी पड़ती है ताकि वे खुले रहें। यह गाद, जिसमें भारी धातुएँ और दूसरे प्रदूषक होते हैं, अकसर समुद्र में डाल दी जाती हैं।
- गहरे सागरों में तेल की खोज और निकासी से भी समुद्र का जल काफी प्रदूषित होता है।

प्रभाव

समुद्री या तटीय प्रदूषण के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और पर्यावरण आदि सभी क्षेत्रों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। मानव द्वारा फैलाये गए इस प्रदूषण के खतरनाक प्रभाव अंतिम रूप से उसे ही भुगतने पड़ते हैं। समुद्र या तटीय प्रदूषण के प्रभाव के सन्दर्भ में निम्नांकित बिन्दुओं को देखा जा सकता है-

- पादप प्लवकों के फूलों या 'लाल लहरों' से बड़ी मात्रा में कार्बनिक अपशिष्ट पैदा होता है जो पूरे क्षेत्र के जल को दूषित कर देता है।
- प्रदूषण के कारण समुद्री प्रजातियों के गलफड़ ठीक से काम नहीं कर पाते हैं। इसका प्रभाव वाणिज्यिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण समुद्री प्रजातियों पर भी पड़ता है, जिससे समुद्री खाद्य के बाजार मूल्य घट जाते हैं।
- तेल की चिकनाई (समुद्र में तेल रिसाव) के कारण समुद्री जीव-जंतुओं और पक्षियों को हानि होती है तथा मैंग्रोव वनों पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है जिनमें तेल फंस जाता है और फूल खिलने, फल बनने तथा अंकुरण पर प्रभाव पड़ता है।

- इससे प्रभावित मछलियों और समुद्री खाद्य वस्तुओं की गंध अप्रिय हो जाती है अतः तेल रिसाव के कारण मछलियों की उत्पादन सुविधाओं को होने वाली आर्थिक क्षति से समुद्री खाद्य उद्योग को काफी खतरे का सामना करना पड़ता है।
- समुद्री तल पर फेंका गया ड्रिल का कचरा ऑक्सीजन को समाप्त कर देता है और इससे निचले तलछटों पर विषैले सल्फाइड बनते हैं जिससे समुद्र तल पर रहने वाले जीव मर जाते हैं।
- महासागरों में प्रदूषण से, इनसे प्राप्त होने वाली सुविधायें (यथा- औषधि पौधे एवं जीव, खाद्य पदार्थ, तटीय पर्यटन तथा अन्य समुद्री पौधे एवं जीव आदि) दूषित हों जाती हैं, जिससे मानव को काफी सामाजिक-आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है।
- समुद्री पारितंत्र की जैवविविधता पर भी गम्भीर खतरा उत्पन्न होता है।
- सीवेज के समुद्री जल में मिलने से 'ई-कोलाई बैक्टीरिया' (E-Coli Bacteria) की सान्द्रता समुद्री जल में उच्च हो जाती है, जिससे मनुष्य कई प्रकार की बीमरियों व संक्रमण से ग्रस्त हो सकता है। यथा- उल्टी, दस्त, पेट संबंधी बीमारी और आँख एवं कान के संक्रमण इत्यादि।
- समुद्री पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में जब संदूषक प्रवेश कर जाते हैं तो जैव-संचयन और जैव-आवर्द्धन का खतरा उत्पन्न हो जाता है-
  - **जैव-संचयन (Bioaccumulation):** 'हानिकारक पदार्थों या प्रदूषकों (Pollutants)' का किसी जीव में इकट्ठा होना 'जैव-संचयन' कहलाता है। प्रदूषक खाद्य श्रृंखला के विभिन्न पोषण स्तर में पहुंच जाते हैं और ये जीवों के द्वारा उपापचयित (Metabolism) भी नहीं हो पाते हैं।
  - **जैव-आवर्द्धन (Biomagnification):** जैव-आवर्द्धन का तात्पर्य है कि जैसे-जैसे एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर हम बढ़ते जाते हैं, वैसे-वैसे इन प्रदूषकों (Pollutants) का सांद्रण भी बढ़ता जाता है अर्थात् बढ़ते पोषण स्तर के साथ प्रदूषकों का सांद्रण भी बढ़ता जाता है।

नोटः हानिकारक संदूषकों में प्रमुख हैं- डीडीटी (डाईक्लोरो डाईफिनाइल ट्राईक्लोरो ईथेन)), भारी धातुएँ (जैसे- पारा, कैडियम और सीसा आदि) माइक्रोप्लास्टिक तथा क्लोरिनेटेड हाइड्रोकार्बन प्रमुख हैं। सन् 1950 में जापान के निकट मिनामाता खाड़ी में पारा (मर्करी) धातु का विलय हो गया जिससे वहाँ की मछलियाँ विषाक्त हो गयीं और जब वहाँ के निवासियों ने इन विषाक्त मछलियों को खाया तो उन्हें विभिन्न प्रकार की गम्भीर बीमारियाँ हो गयीं।

- समुद्री प्रदूषण के अधिक होने पर वहाँ उपस्थित वनस्पति व जीव तेजी से मरने लगते हैं जिनके अपघटन हेतु पानी में घुलित ऑक्सीजन की डिमांड अधिक हो जाती है।

चुनौतियाँ

- भारत में समुद्र तटों के पास आर्थिक गतिविधियाँ और शहरीकरण, दोनों ही अनियोजित तरीके से विकास कर रही हैं तो ऐसे में किस प्रकार उम्मीद की जा सकती है कि समुद्रों में कचरा पहुँचने की दर धीमी होगी।
- बढ़ती जनसंख्या और नदियों के किनारे अवस्थित औद्योगिक संयत्रों ने आज भारत की लगभग सभी नदियों को गम्भीर रूप से प्रदूषित कर रखा है। ये नदियाँ अपने साथ प्रदूषण लेकर महासागरों में पहुँचती हैं, जिससे तटीय या समुद्री प्रदूषण में भारी इजाफा होता है। स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन (NMCG) के कई चरण पूरे हो चुके हैं लेकिन गंगा और इसकी सहायक नदियों में अभी कोई उल्लेखनीय सुधार देखने को नहीं मिला है।
- भारत में तटीय प्रदूषण को कम करने के लिए निवेश, तकनीकी और विकास एवं अनुसंधान (आर एण्ड डी) आदि की कमी है।
- 'राष्ट्रीय झील आकलन' की रिपोर्ट में पाया गया कि भारत की अधिकतर झीलें (मीठे एवं खारे पानी) प्रदूषित हैं। इनमें घरेलू से लेकर औद्योगिक स्तर पर अपशिष्ट छोड़ा जाता है।

सरकारी प्रयास

- भारत के संविधान में पर्यावरण संरक्षण हेतु कई प्रावधान दिये गये हैं। सर्वोच्च न्याायालय ने अपने विभिन्न निर्णयों (यथा- सुभाष कौर बनाम बिहार राज्य, एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ इत्यादि) से स्वच्छ पर्यावरण को 'अनुच्छेद 21' के तहत मौलिक अधिकार घोषित किया है।
- तटीय प्रदूषण की स्थिति का आकलन करने के लिए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, 'तटीय समुद्री मॉनीटरिंग एवं अनुमान प्रणाली' (सीओएमएपीएस) के अन्तर्गत एक 'राष्ट्रीय समन्वित मॉनीटरिंग कार्यक्रम' कार्यान्वित कर रहा है। प्रदूषण स्तर के रूझानों को समझने के लिए तटीय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लगभग कई स्थानों को मॉनीटर किया जा रहा है।
- पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने निर्धारित मानकों का उद्योगों द्वारा अनुपालन सुनिश्चित करने के क्रम में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत बहिस्राव मानक निर्धारित किये हैं।

  मंत्रालय इसी अधिनिमय के तहत 'तटीय विनियमन जोन' (Coastal Regulation Zone, CRZ) घोषित करता है। सीआरजेड के तहत तटीय क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियों को प्रबंधित (Manage) किया जाता है। सीआरजेड को कई श्रेणियों में विभक्त किया गया है।
- केंद्रीय और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तटीय जल गुणवत्ता की पुनर्स्थापना हेतु 'जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974' के तहत जल प्रदूषण का नियमन कर रहे हैं।
- भारत में नदियों के प्रदूषण को कम करके महासागरीय प्रदूषण में कमी लाने हेतु 'राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय' ने 'राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना' को वित्तीय बल प्रदान कर रहा है।
- 'राष्ट्रीय नम भूमि संरक्षण कार्यक्रम' एवं 'राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना' को समन्वित

बढ़ते पोषण स्तर के साथ प्रदूषकों का बढ़ता स्तर

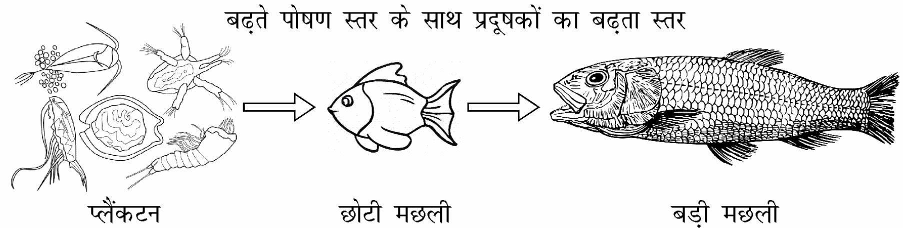

करके केन्द्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने 'जलीय पारिस्थितिकी प्रणाली के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय योजना' (NPCA- National Plan for Conservation of Aquatic Ecosystem) को आरम्भ किया। इस योजना का लक्ष्य जल की गुणवत्ता में सुधार लाने हेतु आर्द्र भूमियों का संरक्षण करना है।

- महासागरों के संसाधनों के सतत दोहन और उन्हें प्रदूषण से बचाने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2017 में ओसियन कॉन्फरेंस आयोजित की थी। यह संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा समुद्री संरक्षण के क्षेत्र पर पहली कॉन्फरेंस आयोजित हुयी थी।
- संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) में से 14वाँ लक्ष्य महासागरों को संरक्षित करने से संबंधित है। इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु हर वर्ष 'ग्लोबल ओसियन कॉन्फरेंस' (GOC) आयोजित की जाती है। वर्ष 2018 की जीओसी (GOC) मई में 'स्वीडन' में आयोजित हुई।

आगे की राह

पृथ्वी के लगभग 70 प्रतिशत भाग पर महासागर अवस्थित हैं और ये सम्पूर्ण पृथ्वी के जैवमण्डल को किसी न किसी रूप से प्रभावित करते हैं अर्थात् वर्षा से लेकर अन्य जलवायुविय गतिविधियों के निर्धारण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए समुद्री या तटीय प्रदूषण पर हमें गहन चिंतन करना होगा ताकि इस अमूल्य प्राकृतिक धरोहर को संरक्षित किया जा सके।

भारत सरकार को समुद्र तटों के पास अनियंत्रित मानवीय गतिविधियों व औद्योगिक संयंत्रों पर लगाम लगाने के साथ-साथ अनियोजित तरीके से समुद्री संसाधनों (यथा- पेट्रोलियम पदार्थ, प्रवाल भित्ति, समुद्री जीव इत्यादि) के दोहन पर भी रोक लगानी चाहिए और इस क्षेत्र में भी सतत विकास सुनिश्चित करना चाहिए।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-3

- संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण, पर्यावरण प्रभाव का आकलन।

■

सात विषयनिष्ठ प्रश्न और उनके मॉडल उत्तर

सोशल मीडियाः समाज को जोड़ता या तोड़ता

प्र. हाल ही में सोशल मीडिया के दुरुपयोग के कई मामले प्रकाश में आये हैं। इस संदर्भ में सोशल मीडिया के स्याह पक्ष को उजागर करते हुए बताइए कि क्या यह मंच सामाजिक ध्रुवीकरण को बढ़ावा दे रहा है?

उत्तरः

दृष्टिकोण

- चर्चा का कारण
- पृष्ठभूमि
- परिचय
- सोशल मीडिया के फायदे
- सोशल मीडिया के नुकसान
- सोशल मीडिया द्वारा ध्रुवीकरण
- सरकार द्वारा उठाये गये कदम
- आगे की राह

चर्चा का कारण

- हाल ही में बुलंदशहर में गोकशी की अफवाह ने एक बार फिर समाज में व्याप्त जन आक्रोश एवं अदूरदर्शिता को दिखाया है।
- बुलंदशहर में चंद मिनटों में भीड़ ने आक्रोशित रूप ले लिया। इस जन आक्रोश को बढ़ाने में सोशल मीडिया का जमकर इस्तेमाल किया गया। सोशल मीडिया के दुरुपयोग की यह कोई नयी घटना नहीं है।

पृष्ठभूमि

- 1960 के दशक में 'वैश्विक गाँव' (Global Village) की कल्पना करते हुये मार्शल मैक्लुहान ने सोचा भी नहीं होगा कि दुनिया के लोगों को जोड़ने के लिये फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब और व्हाट्सएप जैसी सोशल वेबसाइटों की उत्पत्ति भी संभव होगी।

परिचय

- वर्तमान समय में शायद ही ऐसा कोई होगा जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करता होगा। बच्चे, युवा, बूढ़े सभी आजकल सोशल मीडिया पर सक्रिय रहते हैं।

सोशल मीडिया के फायदे

- सोशल मीडिया आजकल ज्ञान का नया भंडार बन गया है। इस पर लगभग हर तरह की जानकारी प्राप्त की जा सकती है और किसी भी सवाल का जवाब एक्सपर्ट से पूछा जा सकता है।
- सोशल मीडिया (Social Media) सकारात्मक भूमिका अदा करता है जिससे किसी भी व्यक्ति, संस्था, समूह और देश आदि को आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक रूप से समृद्ध बनाया जा सकता है।

सोशल मीडिया के नुकसान

- यह बहुत सारी जानकारी प्रदान करता है जिनमें से बहुत सी जानकारी भ्रामक भी होती हैं।
- जानकारी को किसी भी प्रकार से तोड़-मरोड़कर पेश किया जा सकता है।

सोशल मीडिया द्वारा ध्रुवीकरण

- हमारी रोजमर्रा की जिन्दगी, रहन-सहन, खान-पान, मेलजोल, आवागमन, पठन-पाठन, नौकरी व व्यापार, घूमना-फिरना, बात-व्यवहार एवं खेलकूद इत्यादि सभी क्रियाकलापों में सोशल मीडिया पूर्णतः समाहित हो चुका है।
- हमारे जीवन पर हावी यह 'सोशल मीडिया' असल में हमें किसी के करीब न ले जाकर उससे दूर करता जा रहा है।
- व्यक्तिगत जीवन से छलांग मारकर सोशल मीडिया अब हमारे सामाजिक परिसर में दाखिल हो चुका है जो निरंतर समाज का ध्रुवीकरण करता जा रहा है जिसकी हमें तनिक भी परवाह नहीं है।

सरकार द्वारा उठाये गये कदम

- 'सूचना तकनीकी अधिनियम, 2000' (IT Act, 2000) की 'धारा 67' में कहा गया है कि यदि कोई इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों की मदद से ऐसी सामग्री का प्रकाशन या प्रसारण करता है, जो अश्लील हो या जिससे कामुकता झलकती हो और जिससे इसे देखने, पढ़ने या सुनने वालों के ऊपर गलत असर पड़ने की आशंका हों।
- आईटी विभाग की ओर से जारी बयान में कहा गया कि सभी सोशल मीडिया नेटवर्क यह सुनिश्चित करे कि किसी भी तरह की गैर कानूनी गतिविधियों में उनके मंच का इस्तेमाल न हो।

आगे की राह

- सामाजिक संरचना की मजबूती और लोगों का आपसी प्रेम और विश्वास ही इस तरह की सोशल मीडिया द्वारा फैलायी गई अफवाहों पर रोक लगा सकेगा और केवल तभी किसी निर्दोष की जान बचायी जा सकती है।■

ट्यूबरक्लोसिस (टीबी): एक तीव्रतर वैश्विक पहल की आवश्यकता

प्र. ट्यूबरक्लोसिस (टीबी) की बीमारी से निपटने हेतु भारत सरकार ने रोगी की त्वचा में माइक्रोचिप स्थापित करने का निर्णय लिया है। भारत सरकार के इस कदम से उभरने वाले मुद्दों की चर्चा करें।

उत्तरः

दृष्टिकोण

- चर्चा का कारण
- परिचय
- माइक्रोचिप से उभरने वाले मुद्दे
- चुनौतियाँ
- सरकारी प्रयास
- मौलिक सुझाव
- आगे की राह

चर्चा का कारण

- भारत सरकार ने टीबी के समस्या से निपटने के लिए एक नया उपाय खोजा है। सरकार अब टीबी रोगियों की मॉनीटरिंग करने हेतु उनकी त्वचा में एक माइक्रोचिप स्थापित करेगी।

परिचय

- टीबी (ट्यूबरक्लोसिस) कोई लाइलाज बीमारी नहीं है। इसके इलाज हेतु आज विभिन्न तरीके की दवाइयाँ उपलब्ध हैं।
- भारत में प्रवसन की दर (एक राज्य से दूसरे राज्य) काफी अधिक है। लोग गाँव से शहरों की ओर रोजगार एवं अन्य कारणों से आते हैं और यहाँ विभिन्न कारणों के चलते तरह-तरह की बीमारियों (यथा- टीबी आदि) से ग्रसित हो जाते हैं।
- इसी के चलते भारत सरकार ने हाल ही में टीबी की बीमारी से निपटने हेतु रोगियों की त्वचा में माइक्रोचिप स्थापित करने का निर्णय लिया है, लेकिन सरकार के इस निर्णय से मानवाधिकारों से संबंधित कई मुद्दों ने जन्म लिया है।

माइक्रोचिप से उभरने वाले मुद्दे

- माइक्रोचिप से युक्त रोगी की एकांतता या निजता प्रभावित होगी जबकि भारत के संविधान के 'अनुच्छेद 21' में एकांतता व निजता को मौलिक अधिकार के रूप में परिभाषित किया गया है।
- टीबी से ग्रसित लोगों में यदि चिप स्थापित की जायेगी तो उनके स्किन में संक्रमण होने का खतरा भी बढ़ जायेगा।

चुनौतियाँ

- ये आधुनिक चिकित्सा पद्धतियों को अपनाने से सरकारी खजाने पर अतिरिक्त दबाव पड़ेगा क्योंकि भारत जैसे विशाल आबादी वाले देश में इस प्रकार की चिकित्सा तकनीकों की आर्थिक लागत काफी आयेगी।
- जब टीबी मरीजों को आधुनिक इलाज प्रदान की जायेगी तो अन्य गम्भीर बीमारियों से ग्रसित मरीज भी अपनी विशेष देखभाल हेतु सरकारी सहायता की माँग उठा सकते हैं।

सरकारी प्रयास

- आधारभूत डॉट्स सेवाओं (DOTS Services) की गुणवत्ता का सुदृढ़ीकरण एवं उसमें सुधार लाना।
- भारत सरकार 'निक्षय वेब पोर्टल' के माध्यम से टीबी रोगियों के बैंक खाते में सीधे आर्थिक मदद पहुँचाती है।

मौलिक सुझाव

- टीबी जैसी बीमारियों के उन्मूलन हेतु डोनेशन प्रदान करने वाले संस्थानों एवं व्यक्तियों को सरकार पर दबाव बनान चाहिए कि वह टीबी उन्मूलन हेतु उचित व व्यवहारिक नीतियों को अपनाये।

आगे की राह

- सरकार को टीबी उन्मूलन हेतु निगरानी आदि का अनन्य अधिकार है लेकिन उसे टीबी बीमारी की निगरानी और व्यक्ति की निजता (या एकांतता) के बीच संतुलन स्थापित करना होगा। ■

राजनीतिक फंडिंग में अघोषित धन की भूमिका

प्र. हाल ही में संपन्न हुए विधान सभा चुनावों, से पहले चुनावी बॉण्ड योजना के माध्यम से राजनीतिक दलों को 10 मिलियन से ज्यादा राजनीतिक फंडिंग प्राप्त हुई है। इस संदर्भ में चुनावी बॉण्ड योजना की प्रासंगिकता की समीक्षा कीजिए।

उत्तरः

दृष्टिकोण

- चर्चा का कारण
- परिचय
- चुनावी बॉण्ड योजना
- चुनावी बॉण्ड का विश्लेषण
- आगे की राह

चर्चा का कारण

- छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान और तेलंगाना में संपन्न हुए हालिया विधानसभा चुनावों से पहले अब तक चुनावी बॉण्डों के माध्यम से आम नागरिकों द्वारा राजनीतिक दलों को 10 बिलियन से ज्यादा चन्दा दिया गया और इसमें भी अधिकांश चन्दा (लगभग 40 प्रतिशत) अक्टूबर में दिये गये थे।
- 'द क्विंट' को दिए गये साक्षात्कार में पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त ओपी रावत के अनुसार चुनावी बॉण्ड योजना में दानदाता के नाम को गुप्त रखने तथा इसमें पारदर्शिता न होने से ये लोकतंत्र के लिए खतरनाक शाबित हो सकता है।

परिचय

- विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश, भारत में राजनीतिक दलों के अघोषित धन में लगातार वृद्धि हो रही है। ये कोई एक राजनीतिक दल की नहीं बल्कि देश के सभी राजनीतिक दलों के अघोषित धन में वृद्धि को इंगित करता है।

चुनावी बॉण्ड योजना

- वर्ष 2018 के शुरूआत में केन्द्र सरकार ने चुनावी फंडिंग को साफ-सुथरा और पारदर्शी बनाने के लिए 'चुनावी बॉण्ड योजना' (Electoral Bond Scheme) की शुरूआत की थी।
- राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता लाना और बैंकों द्वारा चंदा देने वालों के नाम को गोपनीय रखना है।

- चंदा देने वालों की गोपनीयता होने से यह पोर्टल और अधिक लोगों को जोड़ सकेगा साथ ही विपक्षी दलों की आलोचना से भी सरकार तथा दाता को बचाना है।

चुनावी बॉण्ड का विश्लेषण

- आईटी अधिनियम की 'धारा 13ए' के तहत, चुनावी बॉण्ड के माध्यम से राजनीतिक फंडिंग करने वाली कम्पनियों को ऐसी फंडिंग का कोई रिकॉर्ड या ब्योरा भी रखने की आवश्यकता नहीं है। इस तरह से देखा जाए तो अगर कंपनियों द्वारा ऐसे किसी भी प्रकार के रिकॉर्ड न रखने से ये आईटी अधिकारियों की पहुँच से दूर होंगी अर्थात आईटी अधिकारियों द्वारा इन कंपनियों से कोई प्रश्न नहीं पूछा जा सकता है।
- इस योजना में महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि राजनीतिक चन्दा देने वालों का नाम उजागर नहीं किया जाता है न ही लाभार्थी दल का खुलासा किया जा सकता है; दूसरे शब्दों में कहें तो पूरी प्रक्रिया गुप्त तरीके से संचालित होती है। इसके अलावा चंदे के रूप में मिला धन असीमित हो सकता है।

आगे की राह

- संविधान की प्रस्तावना भारत को लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करती है और लोकतंत्र भारत की मूलभूत विशेषता है तथा लोकतंत्र की निरंतरता मुक्त और निष्पक्ष चुनावों में निहित है।
- चुनावी बॉण्ड योजना के आधार पर एक राष्ट्रीय फण्ड बनाने की आवश्यकता है। 'राष्ट्रीय चुनावी फंड' जो पूरे देश के राजनीतिक दलों के लिए होगा न कि किसी पार्टी विशेष के लिए। इस तरह इस फंड में कोई भी पैसा जमा कर सकता है और इसका लाभ राजनीतिक दलों के चुनावी प्रदर्शन के आधार पर बाँटा जाना चाहिए जिससे पूर्ण पारदर्शिता स्थापित की जा सके, साथ ही ये उन लोगों के लिए भी लाभकारी होगा जो राजनीतिक चंदा देना चाहते हैं। ■

नई विश्व व्यवस्थाः भ्रम अथवा वास्तविकता

प्र. ''नब्बे के दशक में अमेरिका द्वारा प्रस्तावित 'नई विश्व व्यवस्था' वास्तव में अमेरिका के हितों की पूर्ति करने वाली एक सुनियोजित रणनीति थी।'' उपर्युक्त कथन का विश्लेषण करने के साथ-साथ यह भी बतायें कि वर्तमान विश्व व्यवस्था किस स्वरूप को धारण करने की ओर अग्रसर है और इसके समक्ष किस प्रकार की चुनौतियाँ हैं?

उत्तरः

दृष्टिकोण

- चर्चा का कारण
- परिचय
- सोवियत संघ के विघटन के बाद
- वर्तमान परिदृश्य
- प्रभाव
- नई विश्व व्यवस्था और भारत
- नई विश्व व्यवस्था किस ओर
- अमेरिकी वर्चस्व को खत्म करने की चुनौती
- आगे की राह

चर्चा का कारण

- हाल ही में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति 'जॉर्ज एच. डब्ल्यू. बुश' का देहांत हो गया है।
- बुश ने 1990 में अमेरिकी कांग्रेस (संसद) के संयुक्त सत्र में एक भाषण दिया था, जिसका शीर्षक 'नई विश्व व्यवस्था' (New World Order) था।

परिचय

- 1990 में सद्दाम हुसैन (इराक के शासक) ने कुवैत पर आक्रमण कर दिया और कुवैत की रक्षा हेतु संयुक्त राष्ट्र में एक प्रस्ताव पारित हुआ जिस पर अमेरिका और सोवियत संघ दोनों का समर्थन था।
- सोवियत संघ का विघटन।
- नई विश्व व्यवस्था में सभी को बराबर का सम्मान हासिल होगा और वैश्विक शांति कायम करने के साथ-साथ लोकतांत्रिक मूल्यों व मानवाधिकारों की रक्षा की जाएगी।

सोवियत संघ के विघटन के बाद

- 1999 में युगोस्लाविया ने अपने प्रांत कोसोवो में अल्बानियाई लोगों के आंदोलन को कुचलने के लिए सैन्य कार्रवाई की। इसके जवाब में अमरीकी नेतृत्व में नाटो के सदस्य देशों ने यूगोस्लावियाई क्षेत्रों पर लगभग दो महीने तक बमबारी की।
- 9/11 के जवाब में अमरीका ने फौरन कदम उठाये और भयंकर कारवाई की। 'आतंकवाद के विरुद्ध विश्वव्यापी युद्ध' के अंग के रूप में अमेरिका ने 'ऑपरेशन एन्डयूरिंग फ्रीडम' चलाया। यह अभियान उन सभी देशों के खिलाफ चला जिन पर उन्हें '9/11' की घटना में संलिप्त होने का शक था।

वर्तमान परिदृश्य

- दक्षिण चीन सागर दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री मार्गों में से एक है, जिस पर चीन बेवजह विवाद खड़ा करता रहता है, किन्तु अमेरिका दक्षिण चीन सागर के ऊपर अपने फाइटर प्लेन उड़ाकर यह साबित करता रहता है कि विश्व में अभी भी उसी का प्रभुत्व है।
- अमेरिका अपनी सैन्य शक्ति के दम पर विभिन्न देशों को धमकाता रहता है। उदाहरण के रूप में हाल ही में चले अमेरिका और उत्तर कोरिया के संघर्ष को देखा जा सकता है।

प्रभाव

- अमेरिका के संकीर्ण हितों (तेल की राजनीति आदि) ने विश्व के समक्ष नई-नई चुनौतियों को जन्म दिया है।
- अमेरिका खुद तो परमाणु हथियारों के संग्रहण में लगा हुआ है लेकिन यदि कोई अन्य देश अपनी सुरक्षा हेतु परमाणु हथियार बनाता है तो अमेरिका उस पर भिन्न-भिन्न तरह के प्रतिबंध लगाता है। उदाहरण के लिए, हाल ही में ईरान पर लगाये गए विभिन्न प्रतिबन्ध।

नई विश्व व्यवस्था और भारत

- भारत ने अमेरिका के साथ कई महत्वपूर्ण समझौतों (यथा, परमाणु

समझौता, कॉमकासा करार इत्यादि) को करके दोस्ती के नए दौर को शुरू किया है लेकिन भारत इसके साथ-साथ अपने पुराने दोस्त 'रूस' से भी संबंधों की उपेक्षा नहीं की है, जिसे 'एस-400 खरीद' के रूप में देखा जा सकता है।

नई विश्व व्यवस्था किस ओर

- कुछ विद्वान वर्तमान विश्व व्यवस्था को 'बहुध्रुवीय व्यवस्था' की ओर स्थानांतरित होने की बात कर रहे हैं। इन बहुध्रुवों में अमेरिका सहित चीन, भारत व रूस आदि होंगे। चीन की आर्थिक शक्ति का लोहा लगभग पूरे विश्व ने मान लिया है। इसी प्रकार भारत ने भी अंतरिक्ष, सेवा और मजबूत बाजार के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है।

अमेरिकी वर्चस्व को खत्म करने की चुनौती

- फिलहाल हमें यह बात मान लेनी चाहिए कि कोई भी देश अमरीकी शक्ति के जोड़ का वर्तमान में नहीं है। भारत, चीन और रूस जैसे बड़े देशों में अमरीकी वर्चस्व को चुनौती दे पाने की संभावना है लेकिन इन देशों के बीच आपसी मतभेद हैं और इन मतभेदों के कारण अमरीका के विरुद्ध इनका कोई गठबंधन होना काफी चुनौतीपूर्ण होगा।

आगे की राह

- विश्व व्यवस्था किसी भी करवट बैठे लेकिन आज सभी देशों को प्रमुख चुनौतियों (यथा- आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन आदि) से मिलकर लड़ना होगा। इसके अलावा, विश्व शांति को कायम करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार करना होगा और उसे मजबूत करना होगा।■

जीएम फसलों की पोषणीयता

प्र. ''भारत एक कृषि प्रधान देश है जहाँ कृषि अर्थव्यवस्था की धुरी है''। इस कथन के संदर्भ में बताएँ कि किस प्रकार जेनेटिकली मॉडिफाइड बीज खाद्यान्न सुरक्षा को सुनिश्चित कर सकता है? साथ ही इसके पर्यावरण एवं स्वास्थ्य पर पड़ने वाले संभावित प्रभावों की चर्चा भी करें।

उत्तर:

दृष्टिकोण

- चर्चा का कारण
- परिचय
- जीएम फसलों की पृष्ठभूमि
- जीएम संवर्द्धन तकनीक
- जीएम फसलों के लाभ
- जीएम फसलों से जुड़े विवाद
- जीएम फसलों के नुकसान
- आगे की राह

चर्चा का कारण

- हाल ही में कृषि वैज्ञानिक एम.एस. स्वामीनाथन ने अपने एक शोध पत्र में बीटी कपास जैसी जेनेटिक मॉडिफाइड कृषि फसलों को विफल बताया है।
- उनका यह निष्कर्ष एक पेपर में प्रकाशित हुआ जिसका नाम है- 'सतत खाद्य एवं पोषण सुरक्षा के लिए आधुनिक तकनीक'।

परिचय

- पेपर में जीन इंजीनियरिंग की तकनीक पर ही प्रश्न यह कहते हुए खड़ा कर दिया गया है कि इससे बुआई की लागत बढ़ जाती है। इसके अतिरिक्त किसी पौधे में बाहरी जीन (Foreign Gene) प्रविष्ट करने से उस पौधे के अणु एवं कोष में ऐसे बदलाव आ सकते हैं जिन्हें अभी तक ठीक से समझा नहीं जा सका है।

जीएम फसलों की पृष्ठभूमि

- 18वीं शताब्दी में आनुवंशिकता के जन्मदाता ग्रेगर जॉन मेंडल के महान शोध के बाद कई साल तक अनुवांशिकता पर कोई बड़ा शोध नहीं हुआ।
- सन् 2000 में वैज्ञानिकों ने अधिक पोषक तत्वों वाले जीन संवर्द्धित 'सुनहरे चावल' (Golden Rice) का विकास किया।
- भारत में बीटी कॉटन को 2002 में कानूनी मान्यता मिली।

जीएम संवर्द्धन तकनीक

- जीएम तकनीक में सबसे पहले किसी जीव के जीनोम यानि जीन के समूह में डीएनए को प्रवेश कराया जाता है।
- जीएम तकनीक को कई नामों से जाना जाता है, जिनमें जीन टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी (Recombinant DNA Technology) और जेनेटिक इंजीनियरिंग (Genetic Engineering) शामिल हैं।

जीएम फसलों के लाभ

- पारंपरिक फसल उत्पादन से इतर जीन बदलाव से फसलों को न केवल हानिकारक कीटनाशकों से जूझने की क्षमता प्राप्त होती है, बल्कि उनमें सूखा झेलने और बेहतर पोषकता देने के गुण भी आ जाते हैं।
- जीएम फसलें जल्द उगती हैं। ऐच्छिक बदलाव कुछ ही फसलें उगाकर प्राप्त किए जा सकते हैं। फसल के स्वाद आदि में बेहतरी के साथ गुणकारी तत्वों में बेहतरी से चुनने की क्षमता प्राप्त होती है और फसल में अनैच्छिक व व्यर्थ तत्वों की पुनरावृत्ति नहीं होती।

जीएम फसलों से जुड़े विवाद

- भारत एक कृषि प्रधान देश है यहाँ कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की धुरी है। लेकिन एक कड़वा सच यह भी है कि भारत में सबसे ज्यादा आत्महत्या किसान ही करते हैं। सन् 2000 के बाद से देश भर में हर साल 12000 किसान अपनी जान दे रहे हैं। इसके पीछे कृषि की बढ़ती लागत और घाटा है। कृषि की लागत में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी बीज और कीटनाशकों की है।
- 1996 में जब जीएम या जेनेटिकली मोडिफाइड बीजों के इस्तेमाल को पहली बार मंजूरी मिली तो दावा किया गया कि ये देश में कृषि की शक्ल बदल देंगें। इस दावे में कहा गया कि न सिर्फ उपज बल्कि किसानों का मुनाफा भी कई गुना बढ़ जाएगा। इस बात को 20 वर्ष से ज्यादा गुजर गए हैं, मगर इस दौरान किसानों की बदहाली सिर्फ बढ़ी है, जबकि जीएम बीज उपलब्ध कराने वाली कंपनियों का मुनाफा कई गुना बढ़ गया है।

जीएम फसलों के नुकसान

- अभी यह पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं है कि जीएम फसलों (GM crops) का मानव स्वास्थ्य एवं पर्यावरण पर कैसा प्रभाव पड़ेगा? स्वयं वैज्ञानिक लोग भी इसको लेकर पक्के नहीं हैं। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि ऐसी फसलों से लाभ से अधिक हानि है। कुछ वैज्ञानिक यह भी कहते हैं कि एक बार जीएम फसल तैयार की जायेगी तो फिर उस पर नियंत्रण रखना संभव नहीं हो पायेगा।

आगे की राह

- जीएम फसलों को उगाने में जैव निरापदता (Biosaftey) की अनदेखी को सुनिश्चित करना चाहिए।
- जीएम फसलों पर उठे विवादों के मद्देनजर विश्व स्वास्थ्य संगठन की सहायता से पर्यावरण एवं स्वास्थ्य पर इन फसलों के पड़ने वाले प्रभावों की संपूर्ण जाँच एवं मूल्यांकन करने की आवश्यकता है ताकि जीएम फसलों का निर्धारण हो सके। ■

विश्व मृदा दिवसः मृदा प्रदूषण का समाधान

प्र. हाल ही में विश्व मृदा दिवस मनाया गया। इस दिवस को मनाने के पीछे निहित उद्देश्यों की चर्चा करते हुए बतायें कि किन कारकों से मृदा के स्वास्थ्य को भारी क्षति पहुँची है और उनके प्रभाव क्या है?

उत्तरः

दृष्टिकोण

- चर्चा का कारण
- विश्व मृदा दिवस की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
- मृदा स्वास्थ्य या गुणवत्ता
- मृदा की गुणवत्ता को कम करने के लिए कौन जिम्मेदार है?
- प्रभाव
- चुनौतियाँ
- सरकारी प्रयास
- सुझाव
- आगे की राह

चर्चा का कारण

- प्रतिवर्ष 5 दिसम्बर को विश्व मृदा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस को 'संयुक्त राष्ट्र के खाद्य व कृषि संगठन' (UNFAO) द्वारा मनाया जाता है।

विश्व मृदा दिवस की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

- मृदा दिवस को एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने के लिए 2002 में 'इंटरनेशनल यूनियन ऑफ सॉइल साइंसेज (आईयूएसएस)' द्वारा सिफारिश की गई थी जिसका बाद में एफएओ और थाइलैण्ड ने भरपूर समर्थन किया।
- गौरतलब है कि प्रथम विश्व मृदा दिवस '5 दिसंबर 2014' को संपूर्ण विश्व में मनाया गया था। यह कार्यक्रम मिट्टी के बारे में जागरूकता बढ़ाने और महत्वपूर्ण संसाधन के स्थायी उपयोग को बढ़ावा देने हेतु मनाया गया।

मृदा स्वास्थ्य या गुणवत्ता

- मृदा स्वास्थ्य को मिट्टी की उस गुणवत्ता या क्षमता के रूप में जाना जाता है जो पारिस्थितिक तंत्र की जीवंतता को बनाये रखती है।
- मृदा का मुख्य कार्य खाद्य पदार्थों के उत्पादन से संबंधित है, इसलिए स्वस्थ मृदा 'खाद्य स्थिरता' (Food Sustainability) के लिए महत्वपूर्ण है। वास्तव में, 95 प्रतिशत भोजन मिट्टी में सीधे या परोक्ष रूप से उत्पादित होता है और प्रति व्यक्ति औसत कैलोरी खपत का लगभग 80 प्रतिशत मिट्टी में उगाई जाने वाली फसलों से ही आता है।

मृदा की गुणवत्ता को कम करने के लिए कौन जिम्मेदार है?

- मृदा की गुणवत्ता के ह्रास के लिए दो कारक मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं- मृदा प्रदूषण (Soil Pollution) और मृदा अपरदन (Soil Erosion)। इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च (ICAR) और नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज (NAAS) का अनुमान है कि देश की 71 प्रतिशत कृषि योग्य भूमि काफी गंभीर स्थिति में है, अर्थात् यहाँ या तो मृदा की गुणवत्ता नष्ट हो गई है या नष्ट होने की कगार पर है।
- कीटनाशक
- क्लोरिनेटेड कार्बनिक विषाक्त पदार्थ

प्रभाव

- एफएओ ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि मृदा प्रदूषण से मानव की तंत्रिका तंत्र से लेकर गुर्दे, यकृत और हड्डी आदि सभी नकारात्मक रूप प्रभावित हो रहे हैं।
- मानव स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर पड़ने से अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान होता है। इसके अलावा, मृदा प्रदूषण से पशुपालन पर भी नकारात्मक असर होता है।

चुनौतियाँ

- यूएनएफएओ के मुताबिक पूरे विश्व में 815 मिलियन लोग खाद्य असुरक्षा का तथा 2 अरब लोग पोषण असुरक्षा का सामना कर रहे हैं।
- मृदा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए पूर्वापेक्षा है कि इससे संबंधित डेटा उपलब्ध हो लेकिन अभी विश्व के किसी भी देश ने इससे संबंधित डेटा को वृहद स्तर पर एकत्रित नहीं किया है।

सरकारी प्रयास

- मृदा गुणवत्ता में ह्रास के फलस्वरूप सन् 2015 में भारत सरकार ने 'मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना' का शुभारंभ किया था।

सुझाव

- सरकार को एकल फसल प्रतिरूप की जगह किसानों को मिश्रित फसल प्रतिरूप और बहुफसली कृषि के लिए प्रोत्साहित करना होगा।
- आवश्यकता से अधिक खाद एवं कीटनाशकों के प्रयोग से बचना होगा।

आगे की राह

- आज जलवायु परिवर्तन ने कृषि पर विपरीत असर डाला है और खाद्यान्न संकट पैदा किया है, जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने में मृदा

अपनी महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है क्योंकि मृदा में कार्बन को संग्रहित रखने की अद्‌भूत क्षमता होती है। ■

तटीय प्रदूषणः महासागरों जितनी बड़ी समस्या

प्र. हाल ही में तटीय या समुद्री प्रदूषण पर जारी 'राष्ट्रीय तटीय अनुसंधान केन्द्र' (NCCR) की रिपोर्ट में किस प्रकार की चिंताएँ उभरकर सामने आयी हैं। समुद्री प्रदूषण से निपटने के लिए किस प्रकार के उपाय अपनाये जा सकते हैं? चर्चा करें।

उत्तरः

दृष्टिकोण

- चर्चा का कारण
- परिचय
- एनसीसीआर की रिपोर्ट
- तटीय प्रदूषण के कारक
- प्रभाव
- चुनौतियाँ
- सरकारी प्रयास
- आगे की राह

चर्चा का कारण

- राष्ट्रीय तटीय अनुसंधान केन्द्र (NCCR) ने हाल ही में अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि भारत वायु और जल प्रदूषण के साथ-साथ अब तटीय प्रदूषण (Beach Pollution) से भी जूझ रहा है और तटीय प्रदूषण का प्रमुख कारण प्लास्टिक है जिसे मुख्यतः पर्यटकों और मछुआरों द्वारा फैलाया जाता है।

परिचय

- समुद्री प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण यह तटरेखा अब धीरे-धीरे विभिन्न कारणों से प्रदूषित होने लगी है, जिसे तटीय प्रदूषण (Beach Pollution) के नाम से जाना जाता है।

एनसीसीआर की रिपोर्ट

- समुद्री तट पर प्लास्टिक कचरे का प्रमुख कारण पर्यटन से फैलने वाला प्लास्टिक अपशिष्ट है।
- पर्यटन के बाद मछली पकड़ने की गतिविधियों द्वारा सबसे अधिक प्लास्टिक प्रदूषण होता है।

तटीय प्रदूषण के कारक

- बढ़ते शहरीकरण के फलस्वरूप समुद्रों में सीवेज भी काफी अधिक मात्रा में पहुँचने लगा है। समुद्री जल में सीवेज की घटना तब और अधिक हो जाती है, जब भारी बारिश होती है।
- खेतों में प्रयुक्त केमिकल युक्त खाद और कीटनाशक वर्षा के जल के साथ बहकर महासागरों में पहुँचते हैं, जिससे समुद्र में प्रदूषण का स्तर बढ़ जाता है।
- माइक्रोप्लास्टिक (Microplastics) भी भारी मात्रा में महासागरों में मिश्रित हो रहे हैं।

प्रभाव

- महासागरों में प्रदूषण से, इनसे प्राप्त होने वाली सुविधायें (यथा- औषधि पौधे एवं जीव, खाद्य पदार्थ, तटीय पर्यटन तथा अन्य समुद्री पौधे एवं जीव आदि) दूषित हों जाती हैं, जिससे मानव को काफी सामाजिक-आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है।
- समुद्री पारितंत्र की खाद्य शृंखला में जब संदूषक प्रवेश कर जाते हैं तो जैव-संचयन और जैव-आवर्द्धन का खतरा उत्पन्न हो जाता है।

चुनौतियाँ

- भारत में समुद्र तटों के पास आर्थिक गतिविधियाँ और शहरीकरण, दोनों ही अनियोजित तरीके से विकास कर रही हैं तो ऐसे में किस प्रकार उम्मीद की जा सकती है कि समुद्रों में कचरा पहुँचने की दर धीमी होगी।
- भारत में तटीय प्रदूषण को कम करने के लिए निवेश, तकनीकी और विकास एवं अनुसंधान (आर एण्ड डी) आदि की कमी है।

सरकारी प्रयास

- तटीय प्रदूषण की स्थिति का आकलन करने के लिए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, 'तटीय समुद्री मॉनीटरिंग एवं अनुमान प्रणाली' (सीओएमएपीएस) के अन्तर्गत एक 'राष्ट्रीय समन्वित मॉनीटरिंग कार्यक्रम' कार्यान्वित कर रहा है। प्रदूषण स्तर के रूझानों को समझने के लिए तटीय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लगभग कई स्थानों को मॉनीटर किया जा रहा है।
- केंद्रीय और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तटीय जल गुणवत्ता की पुनर्स्थापना हेतु 'जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974' के तहत जल प्रदूषण का नियमन कर रहे हैं।

आगे की राह

- भारत सरकार को समुद्र तटों के पास अनियंत्रित मानवीय गतिविधियों व औद्योगिक संयंत्रों पर लगाम लगाने के साथ-साथ अनियोजित तरीके से समुद्री संसाधनों (यथा- पेट्रोलियम पदार्थ, प्रवाल भित्ति, समुद्री जीव इत्यादि) के दोहन पर भी रोक लगानी चाहिए और इस क्षेत्र में भी सतत विकास सुनिश्चित करना चाहिए। ■

सात महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरें

राष्ट्रीय

1. संयुक्त राष्ट्र का लेखा-परीक्षक पैनल

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) 'राजीव महर्षि' संयुक्त राष्ट्र के लेखा-परीक्षक पैनल (Auditor Panel) में उपाध्यक्ष नियुक्त किये गये हैं।

यह लेखा-परीक्षकों का एक दल है जो संयुक्त राष्ट्र और उसकी एजेंसियों के अंकेक्षण (Audit) का कार्य देखता है। ये लेखा-परीक्षक, बाह्य लेखा-परीक्षक होते हैं। 1959 में पहली बार संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बाह्य लेखा-परीक्षकों का एक पैनल बनाया था जिसमें संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के ऐसे लोग बाह्य लेखा-परीक्षक थे, जो अपने-अपने देश में अंकेक्षण की सबसे बड़ी संस्था के प्रमुख थे।

वर्तमान में इस पैनल में 11 देश हैं- भारत, जर्मनी, चिली, कनाडा, फ्रांस, इटली, फिलीपींस, घाना, इंडोनेशिया, स्विट्जरलैंड और यूनाइटेड किंगडम। वर्तमान में इस पैनल की अध्यक्षता यूनाइटेड किंगडम के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कर रहे हैं।

इस पैनल के सभी सदस्य अपने अनुभवों एवं कार्य-पद्धतियों को साझा करते हैं जिससे समूची संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के अंदर बाह्य लेखा परीक्षण से जुड़ी प्रथाओं में समरूपता सुनिश्चित हो सके।

इस पैनल के सभी सदस्य संयुक्त राष्ट्र संघ के वित्तीय संसाधनों का समुचित प्रयोग सुनिश्चित करते हैं साथ ही किफायत बरतते हुए इनका कारगर एवं कुशल प्रयोग हेतु स्वतंत्र रूप से सभी सदस्य देशों एवं अन्य हितधारकों को आश्वस्त करते हैं।

पैनल के सदस्य संयुक्त राष्ट्र एवं उसकी एजेंसियों के कार्यकलाप और उनकी आंतरिक नियंत्रण गतिविधियों को बेहतर बनाने के लिए सहायता करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

पैनल सदस्यों के निष्कर्षों एवं अनुशंसाओं की अवहेलना नहीं होती है साथ ही यह प्रयास किया जाता है कि उनकी अनुशंसाएँ समय पर काफी कारगर ढंग से क्रियान्वित हो सकें। ■

2. स्विफ्ट इंडिया

स्विफ्ट इंडिया (SWIFT India) ने भारतीय स्टेट बैंक (SBI) की पूर्व प्रमुख 'अरुंधति भट्टाचार्य' को अपने बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है।

- स्विफ्ट इंडिया (SWIFT India) शीर्षस्थ भारतीय सार्वजनिक एवं निजी बैंकों तथा विश्वव्यापी अंतरबैंक वित्तीय दूरसंचार सोसाइटी का एक संयुक्त उपक्रम है जिसका उद्देश्य भारतीय वित्तीय समुदाय को उत्तम कोटि की घरेलू वित्त संवाद सेवाएँ उपलब्ध कराना है।
- स्विफ्ट का पूरा नाम "Society for worldwide inter bank financial telecommunication" है अर्थात् "विश्वव्यापी अंतरबैंक वित्तीय दूरसंचार सोसाइटी" है।
- यह एक सहकारी संस्था है जिसमें विश्व के कई देश सदस्य हैं।
- इसका मुख्यालय बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है।
- इसकी स्थापना 1973 में 15 देशों के 239 बैंकों के एक समूह ने की थी।
- इसका उद्देश्य एक सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक सन्देश सेवा (Secured Electronic Messaging Service) विकसित करना तथा सीमा-पार भुगतान की सुविधा के लिए सर्व-सामान्य मानक लागू करना है।
- इसके माध्यम से प्रतिदिन लगभग 26 मिलियन वित्तीय संदेशों का आदान-प्रदान होता है। इसकी सन्देश सेवा का उपयोग करने के लिए ग्राहक को इससे जुड़ना होता है।
- स्विफ्ट (SWIFT) भुगतान आदेश भेजता है, जिसके आधार पर सम्बंधित प्रतिष्ठान एक-दूसरे के खातों के माध्यम से आगे की कार्रवाई कर सकते हैं।
- स्विफ्ट (SWIFT) केवल संदेशों का हस्तांतरण करता है न कि धनराशि का।
- स्विफ्ट एक बैंक से दूसरे बैंक तक सन्देश भेजता है। इस प्रकार यह एक सुरक्षित वित्तीय सन्देश वाहक है।
- स्विफ्ट के द्वारा भेजा गया सन्देश सुरक्षित होता है क्योंकि इसके माध्यम से एक बैंक यदि दूसरे बैंक को संदेश देता है तो इस आदान-प्रदान की जानकारी किसी तीसरे बैंक को नहीं हो पाती है।
- संदेशों की निजता को सुरक्षित करने के लिए स्विफ्ट (SWIFT) द्वारा भेजे गये सन्देश को विशेष सुरक्षा एवं पहचान तकनीक से प्रमाणित किया जाता है। साथ ही जब सन्देश ग्राहक के पास से निकलता है और SWIFT के पास आता है तो उसमें कूट-चिन्ह (Encryption) जोड़ा जाता है।
- स्विफ्ट (SWIFT) के पास हर सन्देश तब तक सुरक्षित रहता है जब तक वह प्राप्तकर्ता के हाथों तक सुरक्षित रूप से पहुँच नहीं जाता है।■

3. बाँध सुरक्षा विधेयक, 2018

हाल ही में संसद के शीतकालीन सत्र में जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय द्वारा 'बांध सुरक्षा विधेयक, 2018' को पेश किया गया। इस विधेयक का उद्देश्य भारत में बाँधों की निगरानी, निरीक्षण, संचालन, रखरखाव और सुरक्षा आदि को मजबूत कानूनी आधार और संस्थागत कार्ययोजना मुहैया कराना है।

बिल के प्रमुख प्रावधान

- यह विधेयक देश में 10 मीटर से अधिक ऊँचे बाँधों पर लागू होता है।
- यह विधेयक वर्तमान में सलाहकार निकाय के रूप में मौजूद 'केन्द्रीय बाँध सुरक्षा संगठन' (CDSO) और 'राज्य बाँध सुरक्षा संगठन' (SDSO) की जगह प्रत्येक राज्य के लिए नियामक निकाय के रूप में एक राज्य बांध सुरक्षा प्राधिकरण (SDSA) और एक राष्ट्रीय बाँध सुरक्षा प्राधिकरण (NDSA) की स्थापना सुनिश्चित करता है।
- एनडीएसए, दिशानिर्देशों का एक ढाँचा स्थापित करेगा जिनके अनुसार बाँधों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना होगा।
- इस विधेयक में बाँध सुरक्षा हेतु राष्ट्रीय समिति (National Committee on Dam Safety) के गठन का भी प्रावधान है, जो बाँध की सुरक्षा एवं देखभाल हेतु नीतियों को बनाएगी।
- यह विधेयक बाँध सुरक्षा हेतु राज्य समिति (State Committee of Dam Safety) के गठन का भी प्रावधान करता है।

बाँध सुरक्षा कानून की आवश्यकता

- आजादी के बाद भारत ने बाँधों और इनसे संबंधित अवसंरचनाओं में काफी अधिक निवेश किया है और बाँधों की संख्या में मामले में भारत विश्व में तीसरे स्थान पर है (यूएसए और चीन के बाद)। भारत में वर्तमान में 5254 बड़े बाँध कार्यरत हैं और लगभग 447 निर्माणाधीन हैं। इसके अलावा हजारों मध्यम और छोटे बाँध भी देश में हैं।
- भारत के 75 फीसद बड़े बाँध 25 वर्ष से भी अधिक पुराने हैं और लगभग 164 बाँध तो सौ साल से भी अधिक पुराने हैं।
- पूर्व में अलग-अलग समय पर देश के भीतर कई बाँधों के टूटने की घटनाएँ हो चुकी हैं जिससे पर्यावरणीय, आर्थिक और जान-माल आदि की वृहद स्तर पर क्षति हुई है। उदाहरण के लिए, 1979 में गुजरात में स्थित 'मच्छु-2' बाँध के टूटने से लगभग 1800 लोगों की मौत हो गई थी।

राज्यों का विरोध

- एक से अधिक राज्यों में फैला बाँध, केन्द्रीय लोग सेवा उपक्रमों (CPSU) के अन्तर्गत आने वाले बाँध और एक राज्य के स्वामित्व वाला बाँध (जो किसी अन्य राज्य की सीमा में आता हो) आदि एनडीएसए के अन्तर्गत आ जायेंगे।
- इसको लेकर तमिलनाडु जैसे राज्यों की ओर से 'बाँध सुरक्षा विधेयक, 2018' का विरोध किया जा रहा है, क्योंकि यह राज्य केरल में कई बाँधों का प्रबंधन करता है, यथा- मुल्ला पेरियार बाँध इत्यादि।
- चूँकि जल राज्य का विषय है, लिहाजा राज्यों को लग रहा है कि यह विधेयक संविधान में प्रदत्त उनकी शक्ति को क्षीण कर देगा। ■

4. भारतीय नौसेना को मिला पहला पनडुब्बी बचाव पोत

गहरे समुद्र में किसी दुर्घटनाग्रस्त पनडुब्बी को बचाने वाला पोत डीएसआरवी (डीप सी रेस्कयु वेहीकल) को मुम्बई स्थित नौसैनिक गोदी में नौसेना प्रमुख एडमिरल सुनील लांबा ने 12 दिसम्बर को नौसेना को सौंपा। इस तरह भारतीय नौसेना दुनिया की चुनिंदा नौसेनाओं में शामिल हो गई है जो पनडुब्बी बचाव वाहन से लैस हो चुकी है। भारतीय नौसेना के पास रूसी, जर्मन और फ्रांसीसी पनडुब्बियों के अलावा परमाणु पनडुब्बियां भी हैं।

- भारतीय नौसेना को जो पनडुब्बी बचाव पोत मिला है वह तीसरी पीढ़ी का एडवांस्ड सबमरीन रेस्क्यु पोत है। इस पोत को दुर्घटनाग्रस्त पनडुब्बी के इलाके में विमान से पहुंचाया जा सकता है।
- यह पोत मुम्बई नौसैनिक अड्डे पर तैनात रहेगा और कहीं भी कुछ घंटे के भीतर तैनात किया जा सकता है।
- यह पोत समुद्र की गहराई में 650 मीटर नीचे डूबी पनडुब्बी और इस पर सवार नौसैनिकों को बचाने में काम आएगा। यह पोत एक साथ 14 नौसैनिकों को पनडुब्बी के भीतर से निकाल सकता है। इस पोत का संचालन तीन चालक दल द्वारा किया जाता है।
- डीएसआरवी का उपयोग उन पनडुब्बियों में फंसे चालक दल को बचाने के लिए किया जाता है जो अक्षम हो जाते हैं।
- डीएसआरवी चालक दल ने 750 मी. की गहराई पर परीक्षण कार्यवाही को संचालित किया तथा 650 मी. की गहराई पर साइड स्कैन सोनार का भी परीक्षण किया।
- मार्च 2016 में भारतीय नौसेना ने दो डीएसआरवी की शुरुआत की थी, दूसरा विशाखापत्तनम में पूर्वी नौसेना कमान में तैनात किया जाएगा।
- तीसरी पीढ़ी वाली प्रणाली का उपयोग करके, वर्तमान में डीएसआरवी को ऑपरेशन में सबसे उन्नत प्रणाली माना जाता है।
- हालांकि पनडुब्बियों के भीतर कर्मियों के बचाव के लिए डीएसआरवी का उपयोग किया जाता है, इसके अलावा ये समुद्र की सतह पर केबल्स बिछाने सहित कई अन्य मिशनों के लिए तैनात किए जाते हैं।

पृष्ठभूमि

भारतीय नौसेना वर्तमान में सिंधुघोश, शिशुमार, कलवारी के साथ-साथ परमाणु संचालित पारंपरिक पनडुब्बियों का संचालन करती है। अगस्त 2013 में, सिंधुरक्षक में बड़ी आग लग गई जिसके बाद विस्फोटों की एक श्रृंखला हुई, जिसमें तीन अधिकारियों समेत सभी 18 नौसेना के कर्मियों की मृत्यु हो गई। परिणामस्वरूप 3,000 टन वजनी सिंधुरक्षक पनडुब्बी डूब गई जिसके बाद से ही इस तरह के पनडुब्बियों की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। ■

5. भूमि जल निकासी के लिए संशोधित दिशानिर्देश

- हाल ही में केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण (CGWA) ने भूमि जल के निष्कर्षण हेतु कई दिशानिर्देशों को जारी किया है। ये दिशानिर्देश 1 जून, 2019 से प्रभावी होंगें।
- यह प्राधिकरण, 'जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय' के अन्तर्गत आने वाला एक सांविधिक निकाय है क्योंकि इसकी स्थापना 'पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986' के तहत की गयी थी।

दिशानिर्देश जारी करने का मकसद

- भूमि जल को विनियंत्रित करने हेतु एक मजबूत तंत्र (Mechanism) को तैयार करना, भूमि जल के अति निष्कर्षण को रोकना।
- हाल ही में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (NGT) ने सीजीडब्ल्यूए को आदेश दिया कि भूमि जल के निष्कर्षण हेतु दिशा-निर्देश काफी पुराने हो चुके हैं, अत: इन्हें समय की जरूरत के अनुसार नए सिरे से संशोधित करके जारी किया जाये।

सीजीडब्ल्यूए के संशोधित नए दिशानिर्देश

- औद्योगिक इकाईयों को सरकार प्रोत्साहित करेगी कि वे पुनर्चक्रित जल (Recycled Water) और उपचारित सीवेज जल का इस्तेमाल करें।
- भूमि जल या अन्य जलीय स्रोतों को प्रदूषित करने वाली कम्पनियों या व्यक्तियों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाये।
- जल को उपयोग करने वाली कम्पनियों को विभिन्न प्रकार के आधुनिक उपकरणों को लगाना जरूरी होगा, यथा- डिजिटल फ्लो मीटर, पीजोमीटर (Piezometer), डिजिटल वॉटर लेवल रिकार्डर इत्यादि।
- बड़ी-बड़ी अवसंरचनाओं वाली सरकारी एवं निजी कम्पनियों को छत के ऊपर वर्षा जल संचयन करना जरूरी होगा।
- कम्पनियाँ समय-समय पर जल के उपयोग से संबंधित लेखा-परीक्षा करायें।

गैर दायित्व प्रमाणपत्र (Non Obligation Certificate, NOC)

- कृषिगत कार्यों के लिए भूमिजल के निष्कर्षण हेतु 'एनओसी' नहीं लेना होगा।
- शारीरिक श्रम द्वारा कुओं या जलपम्पों आदि से भूमिजल निष्कर्षण हेतु भी 'एनओसी' नहीं लेना होगा।
- डिफेंस संबंधित गतिविधियों के लिए भी एनओसी नहीं लेना होगा।
- घरों में पानी यूज के लिए एक इंच से कम व्यास वाले बिजली संचालित पम्पों के लिए भी एनओसी नहीं लेना होगा।

नोट: भूमि जल को निष्कर्षण करने वाली इकाइयों को अब सरकार को फीस देनी होगी। यह फीस कई कारकों पर निर्भर करेगी, यथा-कम्पनी का साइज, कम्पनी का प्रकार, कम्पनी किस क्षेत्र में स्थापित हो रही है इत्यादि। ■

6. सौभाग्य योजना

केन्द्रीय विद्युत तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार सौभाग्य योजना के अंतर्गत अब तक 9 राज्यों ने 100 प्रतिशत घरों में विद्युतीकरण का लक्ष्य हासिल किया हैं। इसके साथ ही देश में अब कुल 16 राज्यों में 100 प्रतिशत घरों का विद्युतीकरण हो गया है। ये आठ राज्य मध्यप्रदेश, त्रिपुरा, बिहार, जम्मू और कश्मीर, मिजोरम, सिक्किम, तेलंगाना, उत्तराखंड तथा पश्चिम बंगाल हैं। सौभाग्य योजना के अंतर्गत अब तक 2.1 करोड़ कनेक्शन जारी किये गये हैं।

महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, अरूणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में विद्युतीकरण से वंचित घर कम संख्या में बचे हैं और उम्मीद है कि सभी घरों का विद्युतीकरण हो जायेगा। देश में 100 प्रतिशत विद्युतीकरण के लिए 24×7 बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 31 मार्च 2019 तक का लक्ष्य निर्धारित किया है।

सौभाग्यि योजना के तहत पुरस्कार विभिन्न बिजली वितरण कंपनियाँ/राज्य के विद्युत विभागों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के लिए 300 करोड़ रुपये की पुरस्कार योजना प्रारंभ की गई है। 100 प्रतिशत घरों के विद्युतीकरण के कार्य को पूरा करने के लिए विद्युत वितरण कंपनियां/विद्युत विभाग के कर्मचारियों के लिए 50 लाख का पुरस्कार और वितरण संरचना पर खर्च के लिए 100 करोड़ रुपये का अनुदान दिया जाएगा। पुरस्कार के उद्देश्य से राज्य को तीन श्रेणियों में बांटा गया है और इन सभी श्रेणियों में पुरस्कार दिए जाएंगे जो निम्न हैं-

- विशेष दर्जा वाले राज्यों (7 पूर्वोत्तर राज्य सिक्किम, जम्मू और कश्मीर तथा उत्तराखंड) के विद्युत विभाग को दिए जाएंगे।
- विशेष दर्जा प्राप्त राज्यों के अलावा अन्य राज्यों (बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल) जिनमें विद्युतीकरण से वंचित पांच लाख से अधिक घर है।
- विशेष दर्जा वाले राज्यों के अलावा अन्य राज्य जहां पांच लाख से कम घर विद्युतीकृत नहीं हैं।

31 दिसम्बसर 2018 तक 100 प्रतिशत घरों के विद्युतीकरण का काम करने वाले राज्यों को सौभाग्ये के अंतर्गत स्वीकृत परियोजना लागत का 15 प्रतिशत (विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए 5 प्रतिशत) अतिरिक्ति अनुदान मिलेगा।

सौभाग्य योजना क्या है?

केंद्र सरकार ने सितंबर 2017 में 'प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना' (सौभाग्य) लांच किया था। इसका उद्देश्य 31 मार्च 2019 तक देश में सम्पूर्ण रूप से घरों के विद्युतीकरण लक्ष्य को हासिल करना था। इस योजना के लांच होने के बाद से राज्य के विद्युत विभागों तथा विद्युत वितरण कम्पनियों के सहयोग से 1.65 करोड़ घरों का विद्युतीकरण हुआ है। यह योजना केंद्र सरकार की प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) का एक हिस्सा है। सौभाग्य एक ऐसी योजना है जिसमें 16,000 करोड़ रुपये का अनुमानित खर्च आएगा और इसमें से 25 प्रतिशत को इस परियोजना के लिए तैनात किए जाने वाले मानव संसाधन एवं उनके पारिश्रमिक पर खर्च किए जाने का अनुमान है। ■

7. 'इंश्योर' पोर्टल

केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री राधामोहन सिंह ने नाबार्ड द्वारा विकसित तथा पशुपालन डेयरी और मत्स्यपालन विभाग के अंतर्गत संचालित राष्ट्रीय पशुधन मिशन– ईडीईजी के इंश्योर पोर्टल का शुभारम्भ किया। राष्ट्रीय पशुधन मिशन पशुधन क्षेत्र के सतत विकास के उद्देश्य से डिजाइन किया गया है। इस मिशन के घटक–ईडीईजी के अंतर्गत कुक्कुट, लघु रूमीनेंट्स, सुअर, इत्यादि से संबंधित गतिविधियों के लिए सब्सिडी प्रदान की जाती है, जो (प्रत्यक्ष लाभ अंतरण) डीबीटी के माध्यम से सीधे लाभार्थी के खाते में जाती है।

डीबीटी के लिए लाभार्थियों की आसानी हेतु सुधार और पारदर्शिता लाने के लिए नाबार्ड द्वारा 'इंश्योर' नामक ऑनलाइन पोर्टल https://ensure-nabard-org विकसित किया है। इस पोर्टल पर लाभार्थी आवेदन की प्रक्रिया की सूचना को आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। कृषि मंत्री के अनुसार मिशन के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों और लाभार्थियों की विभिन्न श्रेणियों के लिए सब्सिडी का अलग–अलग अनुपात तय किया गया है। वर्ष 2014 से अब तक लघु व्यापार/डेयरी और पशुपालन की यूनिटों को प्रारंभ करने के लिए अनेक लाभार्थियों को रु. 417.14 करोड़ राशि प्रदान की गई है।

लाभ

इस नवीन प्रक्रिया के अनुसार बैंक का नियंत्रणाधिकारी/शाखा प्रबंधक, प्रस्ताव की जांच पड़ताल और अनुमोदन करने के पश्चात् पोर्टल में सब्सिडी का दावा अपलोड करेगा। जिससे अब से सब्सिडी, ऋण के अनुमोदन की तिथि से मात्र 30 दिनों के अंदर लाभार्थी के खाते में जमा हो जाएगी। पहले लाभार्थी को ऋण अनुमोदन के बाद भी लंबे समय तक सब्सिडी उसके खाते में नही पहुँच पाती थी। इस प्रक्रिया से सूचना/निधियों का प्रवाह भी अधिक तेज और जवाबदेह हो जाएगा। साथ ही किसानों द्वारा सब्सिडी की राशि पर लंबी अवधि तक ब्याज करने के अतिरिक्त भार में भी पोर्टल आरंभ किए जाने के पश्चात् अब कमी आएगी। इसके अतिरिक्त पोर्टल से वास्तविक समय आधार पर पहुंच भी सुलभ होगी और लाभार्थियों की सूची भी आसानी से तैयार की जा सकेगी। ■

अंतर्राष्ट्रीय

1. अंतर्राष्ट्रीय बाजरा-ज्वार वर्ष

परिचय

- संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन (UNFAO) ने वर्ष 2023 को 'अंतर्राष्ट्रीय बाजरा-ज्वार दिवस' मनाने को मंजूरी प्रदान कर दी है।
- इस प्रस्ताव को भारत ने पेश किया था।
- एफएओ परिषद् ने वर्ष 2020 एवं 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम (WFP) के कार्यकारी बोर्ड में भारत की सदस्यता को भी स्वीकृति दे दी है।

भारत सरकार के प्रयास

- पौष्टिक अनाजों की उपज और खपत को प्रोत्साहित करने के लिए भारत द्वारा वर्ष 2018 को 'राष्ट्रीय बाजरा-ज्वार वर्ष' के रूप में मनाने की पृष्ठभूमि में यह अंतर्राष्ट्रीय स्वीकृति मिली है।
- भारत सरकार द्वारा विभिन्न मोटे अनाजों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में भी वृद्धि की गई है। इनमें ज्वार, बाजरा, रागी आदि प्रमुख हैं।
- मोटे अनाजों को पोषणयुक्त अनाज माना गया है।
- खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग (भारत सरकार) के माध्यम से राज्य सरकारों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों से ज्वार, बाजरा, मक्का आदि को खरीदने की अनुमति दी गई है।
- भारत खाद्य क्षेत्र में कार्यरत अनेक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों व एजेंसियों से जुड़ा है। इनमें विश्व खाद्य कार्यक्रम (WFP), सार्क फूड बैंक (SFB), खाद्य और कृषि संगठन (FAO), अंतर्राष्ट्रीय अनाज परिषद (IGC), अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन (ISO) और विश्व खाद्य सुरक्षा समिति (CFS) आदि शामिल हैं।

खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ)

- खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) की स्थापना 1945 में कृषि उत्पादकता बढ़ाने और ग्रामीण आबादी के जीवन निर्वाह की स्थिति में सुधार करते हुए पोषण तथा जीवन स्तर को उन्नत बनाने के लक्ष्य के साथ की गई थी।
- यह संयुक्त राष्ट्र संघ की एक प्रमुख एजेंसी है।
- एफएओ का मुख्यालय रोम में स्थित है तथा वर्तमान में इस संस्था के 194 सदस्य हैं।

अन्य प्रमुख तथ्य

- विश्व खाद्य कार्यक्रम (WFP), संयुक्त राष्ट्र की खाद्य सहायता शाखा है और भूख को संबोधित करने और खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने वाला दुनिया का सबसे बड़ा मानवतावादी संगठन है। इसका मुख्यालय रोम (इटली) में है।
- विश्व खाद्य सुरक्षा समिति (सीएफएस), खाद्य का उत्पादन, खाद्य तक भौतिक और आर्थिक पहुंच सहित विश्व खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम (WFP) से संबंधित नीतियों की समीक्षा और अनुपालन के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के एक तंत्र के रूप में कार्य करती है।
- वर्ष 2007 में नई दिल्ली में आयोजित 14वें सार्क शिखर सम्मेलन के दौरान 'सार्क फूड बैंक' स्थापित करने का निर्णय लिया गया था। इस फूड बैंक के रखरखाव को सभी सदस्य देश मिलकर करेंगे। यह बैंक विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय निकायों (FAO, IFAD, WFP आदि) के साथ सहयोग भी करती है।
- अंतर्राष्ट्रीय अनाज परिषद (IGC) की स्थापना 1949 में हुयी थी और इसका मुख्यालय लंदन में है। यह परिषद गेहूँ और मोटे अनाज के आयात-निर्यात करने वाले देशों का अंतर-सरकारी (Inter-governmental) मंच है। यह परिषद 'Grains Trade Convention 1995' को भी प्रशासित करती है।
- अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन भी लंदन स्थित एक अंतर-सरकारी संगठन है। ■

2. श्रीलंका के नए प्रधानमंत्रीः रानिल विक्रमसिंघे

हाल ही में रानिल विक्रमसिंघे ने श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। उन्हें 26 अक्टूबर, 2018 को प्रधानमंत्री पद से हटाकर महिन्दा राजपक्षे को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिन्दा राजपक्षे ने 15 दिसंबर, 2018 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया।

राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना के राजनीतिक मोर्चे वाली यूनाइटेड पीपुल्स फ्रीडम अलायन्स (UPFA) ने रानिल विक्रमसिंघे की पार्टी यूनाइटेड नेशनल पार्टी (UNP) के साथ गठबंधन की सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया था। वर्ष 2015 में दोनों पार्टियों ने मिलकर गठबंधन की सरकार बनायी थीं, तब मैत्रीपाला सिरिसेना रानिल विक्रमसिंघे के समर्थन से राष्ट्रपति बने थे। मैत्रीपाला सिरिसेना द्वारा महिंदा राजपक्षे को प्रधानमंत्री बनाये जाने पर श्रीलंका में संवैधानिक संकट उत्पन्न हो गया था। श्रीलंका के संविधान के अनुसार विक्रमसिंघे को पद से नहीं हटाया जा सकता था।

वैश्विक परिप्रेक्ष्य में श्रीलंका सामरिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक दृष्टि से भारत का एक अहम पड़ोसी देश है। भारत और श्रीलंका के सांस्कृतिक संबंध सदियों पुराने हैं। भारत और श्रीलंका के मध्य पाक जलडमरूमध्य एक विभाजनकारी आभासी लकीर है। श्रीलंका के साथ संबंधों में मजबूती भारत के लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है।

भारत ने हमेशा पड़ोसी देशों के साथ घनिष्ठ संबंधों को बनाए रखने का अभूतपूर्व प्रयास किया है ताकि वर्तमान के वैश्विक युग में भारत के साथ-साथ

पड़ोसी देशों का भी बेहतर माहौल में सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक विकास अबाधित रूप से होता रहे। श्रीलंका में 2015 में सत्ता परिवर्तन के साथ संबंधों में नवीन युग की शुरूआत माना जा रहा है क्योंकि राष्ट्रपति मैत्रिपाला सिरिसेना भारत के साथ बेहतर संबंध बनाने की ओर लगातार अग्रसर हैं। इसी संदर्भ में सत्ता पर काबिज होने के पश्चात राष्ट्रपति सिरीसेना ने सर्वप्रथम विदेश यात्रा हेतु भारत को चुना। उनकी यात्रा भारत श्रीलंका संबंधों को सुदृढ़ता प्रदान करने के साथ-साथ अविश्वासों को दूर करने का संकेत थी क्योंकि पूर्व राष्ट्रपति महिन्दा राजपक्षे के शासन काल में भारत श्रीलंका संबंध अविश्वास से परिपूर्ण होने के कारण संबंधों में विकृति आ गयी थी। चीन ने इसका लाभ उठाने की भरपूर कोशिश की और इसमें कामयाब भी रहा।

हमनटोटा बंदरगाह का विकास कर चीन श्रीलंका के माध्यम से भारत के दक्षिणी भाग में हिंद महासागर में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है जो भारत के सामरिक हित में नहीं है।

भारत सरकार द्वारा श्रीलंका के साथ संबंधों को लगातार बेहतर बनाने के प्रयास जारी हैं। संबंधों को बेहतर बनाने हेतु आर्थिक, राजनीतिक, सामरिक कूटनीति के साथ-साथ सांस्कृतिक कूटनीति महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसलिए वर्तमान समय में प्रधानमंत्री मोदी ने सांस्कृतिक कूटनीति पर भी ध्यान केन्द्रित किया है। सबका साथ सबका विकास भारत की सीमा के बाहर भी चरितार्थ होता है। इसी संदर्भ में श्रीलंका में पिछले साल आकस्मिक एम्बुलेंस सेवा भारत के सहयोग से शुरू की गयी जो वहां के लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है। ■

3. पार्टनर्स फोरम 2018

12 दिसंबर, 2018 को भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नई दिल्ली में 'पार्टनर्स फोरम 2018' का उद्घाटन किया। इस दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन भारत सरकार द्वारा मातृत्व, नवजात एवं बाल स्वास्थ्य के लिए पार्टनरशिप (PMNCH) के साथ मिलकर किया जा रहा है। इस सम्मेलन में 8 देशों से 1500 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। इस सम्मेलन से आशय है- महिलाओं, बच्चों एवं किशोरों के स्वास्थ्य में सुधार करना।

पार्टनर्स फोरम-2018 में 6 क्षेत्रों से प्राप्त सूचना पर 6 थीम तैयार की गयी हैं, जो निम्नलिखित हैं-

- प्रारंभिक बाल विकास:- जर्मनी एवं चिली
- किशोरावस्था एवं स्वास्थ्य:- अमेरिका एवं इंडोनेशिया
- सेवा में सम्मान एवं गुणवत्ता:- भारत तथा कंबोडिया
- यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य:- मलावी एवं मलेशिया
- महिलाओं, लड़कियों एवं समुदायों का सशक्तिकरण:- दक्षिण अफ्रीका एवं ग्वाटेमाला
- मानवीय तथा संकटकालीन परिस्थितियाँ:- सियरा लिओन एवं अफगानिस्तान

इस फोरम का लक्ष्य मातृत्व तथा बाल मृत्यु दर को कम करना साथ ही उनके स्वास्थ्य में सुधार करना भी है। इसे प्राप्त करने के लिए विश्व के कई देश इस फोरम से संबद्ध हैं। वैश्विक स्वास्थ्य पार्टनरशिप फोरम को सितम्बर, 2005 में लाँच किया गया था। उसके पश्चात इसका आयोजन 2007 में तंजानिया में, 2010 में भारत में तथा 2014 में दक्षिण अफ्रीका में किया जा चुका है। यह मिशन सतत विकास लक्ष्य (SDG) को प्राप्त करने के लिए वैश्विक स्वास्थ्य समुदाय का समर्थन करता है। ■

4. सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस

सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस प्रतिवर्ष 12 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य सभी शेयरधारकों को सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना है। इसे विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा बढ़ावा दिया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस 2018 का थीम है- ''सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के लिए एकत्रित हों, यह सामूहिक रूप से कदम उठाने का समय है।''

सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज में संयुक्त राष्ट्र द्वारा नए सतत विकास लक्ष्य अपनाने को शामिल किया गया है।

सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (यूएचसी) का अर्थ देश के किसी भी भाग में बसे नागरिक की आय के स्तर, सामाजिक स्थिति, लिंग, जाति या धर्म के बिना सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज का न्यायसंगत उपयोग सुनिश्चित करना है। इसका उद्देश्य वहनीय, उत्तरदायी, गुणवत्तापूर्ण एवं यथोचित स्वास्थ्य सेवाओं के आश्वासन को सुनिश्चित करना है। इसमें रोकथाम, उपचार एवं पुनर्वास देखभाल शामिल हैं।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के अनुसार विश्वभर में कम से कम लगभग एक अरब लोग आवश्यकतानुसार स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं को प्राप्त करने में असमर्थ हैं।

इसके अलावा लगभग एक सौ पचास मिलियन लोग प्रतिवर्ष वित्तीय संकट के अधीन आ जाते हैं तथा सौ मिलियन लोग स्वास्थ्य भुगतान के परिणामस्वरूप गरीबी रेखा से नीचे आ जाते हैं।

सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज से जाति, धर्म, राजनीतिक विश्वास एवं सामाजिक-आर्थिक स्थिति के भेदभाव के बिना शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य का आनंद लेना हर मनुष्य का अधिकार है। प्रत्येक मनुष्य को सभ्य जीवन मानक जैसे कि स्वास्थ्य एवं परिवार की तंदुरुस्ती, भोजन, वस्त्र, आवास व चिकित्सा देखभाल की प्राप्ति का अधिकार है। अच्छा स्वास्थ्य दीर्घकालिक आर्थिक विकास का आधार है। सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज का दोहरा लाभ प्राप्त करने के परिणामस्वरूप स्वस्थ समुदाय एवं मजबूत अर्थव्यवस्था के विकास के लिए अनेक देश इसे अंगीकार कर रहे हैं।

'सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज' डब्ल्यूएचओ के अनुसार , स्वास्थ्य मनुष्य का मौलिक अधिकार है तथा यह सभी को स्वास्थ्य के उच्चतम स्तर की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। ■

5. नेपाल ने 200, 500 और 2000 रुपये के भारतीय नोट बैन किए

नेपाल ने 200 रुपये, 500 रुपये और 2000 रुपये के भारतीय नोट बैन कर दिए हैं। अब इन्हें रखना, इनसे कोई सामान खरीदना या भारत से इन्हें नेपाल ले जाना गैर-कानूनी हो गया है।

भारत सरकार ने दो साल पहले देश में नोटबंदी की थी और अब नेपाल ने 100 रुपये से अधिक के भारतीय नोटों के चलन पर रोक लगा दी है। नेपाल सरकार ने तत्काल प्रभाव से इस आदेश को लागू करने का आदेश दिया है।

नेपाल सरकार ने लोगों से अपील की है कि वे अब 100 रुपये से ज्यादा के भारतीय नोट यानी 200, 500 और 2000 रुपये का नोट ना रखें। यानी नेपाल में अब 100 रुपये तक के ही भारतीय नोट मान्य होंगे।

यदि कोई भी व्यक्ति इन भारतीय रुपयों के साथ पकड़ा जाएगा तो उस पर आर्थिक अपराध के तहत मामला दर्ज होगा साथ ही गिरफ्तार कर जेल भी भेजा जाएगा।

इस निर्णय से दोनों देश के व्यापार पर असर पड़ेगा। इससे नेपाल का पर्यटन उद्योग भी प्रभावित होगा। भारत के विभिन्न शहरों के लोग भारतीय मुद्रा के साथ नेपाल जाते हैं और आसानी से सामान खरीदकर लाते हैं। अब इससे नेपाल का खुदरा बाजार भी प्रभावित होगा। नेपाल सरकार के फैसले से वहां जाने वाले लाखों भारतीय पर्यटकों और भारत में काम करने वाले नेपाली नागरिकों पर इसका असर पड़ेगा।

भारत में जब नोटबंदी हुई थी, तब नेपाल में बड़ी मात्रा में 500 और 1000 के पुराने नोट थे, जिसके कारण वो नोट वहां पर ही रह गए थे। इसी समस्या को देखते हुए नेपाल में अब इन नोटों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गयी है।

भारतीय मुद्रा नेपाल में आसानी से चलती थी। नेपाल के कई बैंकों में सैकड़ों करोड़ पुराने नोट फँसे हुए थे, जो वापस नहीं हो पाए थे।

भारत सरकार ने 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी का घोषणा की थी, जिसमें 500 और 1000 रुपये के पुराने नोटों पर बैन लगा दिया गया था। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नोटबंदी को भ्रष्टाचार और कालाधन की समस्या से निजात का रास्ता बताया था। ■

6. विश्व का पहला तैरता हुआ परमाणु ऊर्जा प्लांट

11 दिसम्बर, 2018 को रूस का एकेडमिक लोमोनोसोव परमाणु ऊर्जा संयंत्र कार्यशील हुआ। यह विश्व का पहला तैरता हुआ परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। रूसी परमाणु ऊर्जा एजेंसी रोस्तोम ने घोषणा की है कि संयंत्र की 10% क्षमता का उपयोग शुरू कर दिया गया है।

एकेडमिक लोमोनोसोव का निर्माण रूस की सरकारी परमाणु ऊर्जा फर्म रोस्तोम द्वारा किया गया है। इसकी लम्बाई 144 मीटर तथा चौड़ाई 30 मीटर है। इसकी विस्थापन क्षमता 21,500 टन है तथा इसमें 69 लोग कार्य कर सकते हैं। ऊर्जा उत्पादन के लिए इसमें दो परिवर्तित KLT-40 नेवल प्रोपल्शन न्यूक्लियर रिएक्टर का उपयोग किया गया है। इससे 70 मेगावाट विद्युत तथा 300 मेगावाट ऊष्मा का उत्पादन किया जा सकता है। इसका नाम रूसी शिक्षाविद मिखाइल लोमोनोसोव पर रखा गया है।

इसमें नवीनतम सुरक्षा व्यवस्था का उपयोग किया गया, इसे विश्व के सबसे सुरक्षित परमाणु संयंत्रों में से एक माना जाता है। इसका उपयोग आर्कटिक क्षेत्र में तेल उत्पादन करने वाले विश्व उपकरणों को ऊर्जा प्रदान करने के लिए किया जायेगा। ■

7. मोमेंटम फॉर चेंज पुरस्कार

इस वर्ष विश्व की 15 क्रान्तिकारी परियोजनाओं को मोमेंटम फॉर चेंज (Momentum for Change) नामक संयुक्त राष्ट्र जलवायु पुरस्कार दिए गये हैं जिनमें एक परियोजना भारत की भी है। इस निजी परियोजना का नाम हेल्प अस ग्रीन (Help Us Green) है।

इस परियोजना में उत्तर प्रदेश के कई शहरों के मंदिरों आदि से फूल इकट्ठे किये जाते हैं और उन फूलों से प्राकृतिक गंध, जैविक खाद और जैव-विघटनीय पैकेज बनाए जाते हैं। इस परियोजना में अभी उत्तर प्रदेश की 1,260 स्त्रियाँ काम कर रही हैं।

हेल्प अस ग्रीन परियोजना के फलस्वरूप मंदिरों के कचरे के माध्यम से नदी में जा रहे रासायनिक कीटनाशक को रोकने में सहायता मिलती है। हेल्प अस ग्रीन मंदिरों के कचरे के लाभप्रद निपटारे के लिए बनी विश्व की पहली योजना है। इस योजना में उन स्त्रियों को लगाया जाता है जो पहले हाथ से साफ-सफाई का काम किया करती थीं।

इस योजना का लक्ष्य 5,100 स्त्रियों को आजीविका देना और 2021 तक प्रतिदिन 51 टन मन्दिर का कचरा फिर से प्रयोग में लाना है। इस कार्यक्रम के अधीन अभी तक 11,060 मीट्रिक टन मन्दिर के कचरे का फिर से उपयोग कर विभिन्न उत्पाद बनाए जा चुके हैं। परिणामतः मंदिर के कचरों से नदी में जाने वाले 110 मीट्रिक टन रासायनिक कीटनाशकों को रोक दिया गया है।

यह संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सचिवालय के द्वारा चलाई गई एक पहल है जो विश्व-भर में चल रही उन गतिविधियों को प्रकाश में लाता है जो कार्बन के उत्सर्जन में कमी लाने में लगी हुई हैं। यह पुरस्कार नवाचार एवं रूपान्तरकारी समाधानों के लिए दिया जाता है जिससे जलवायु परिवर्तन के साथ-साथ आर्थिक, सामाजिक एवं पर्यावरण विषयक चुनैतियों का समाधान भी हो सकें।■

सात ब्रेन बूस्टर्स

प्रत्यर्पण

चर्चा का कारण

1.1 हाल ही में यू.के. (United Kingdom) की कोर्ट ने माल्या के प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी है।

1.2 माल्या ने यू.के. की कोर्ट में मुकदमे के दौरान तरह-तरह के भारत के खिलाफ तर्क दिये, लेकिन कोर्ट ने उन पर ध्यान नहीं दिया।

1.3 इसके अतिरिक्त हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात से ब्रिटिश व्यावसायिक और अगस्ता वेस्टलैण्ड हेलीकॉप्टर डील के बिचौलिये 'क्रिश्चन मिशेल' को भारत में प्रत्यर्पित किया गया।

प्रत्यर्पण क्या है?

2.1 जब किसी व्यक्ति को एक देश से दूसरे देश में न्यायालय में मुकदमे के ट्रायल (Trial) हेतु स्थानांतरित किया जाता है तो इस प्रक्रिया को प्रत्यर्पण कहते हैं।

2.2 भारत सरकार की विदेशों में सन् 2000 से लेकर आज तक प्रत्यर्पण से जुड़े कुल आवेदनों का एक तिहाई ही स्वीकृत हो पाया है।

2.3 भारत ने प्रत्यर्पण के मामलों में सबसे ज्यादा सफलता संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में पाई है।

2.4 भारत ने प्रत्यर्पण से जुड़ी संधि (Extradition Treaties) 44 देशों के साथ की है।

2.5 प्रत्यर्पण से संबंधित संधि मुख्यत: द्विपक्षीय होती है। लेकिन यदि किसी संगठन (यथा-आसियान आदि) से जुड़ी प्रत्यर्पण संधि है तो उस पर भी भारत हस्ताक्षर कर सकता है।

2.6 भारत में प्रत्यर्पण से जुड़ी नोडल अथॉरिटी 'विदेश मंत्रालय (भारत सरकार)' है।

2.7 'प्रत्यर्पण अधिनियम, 1962', प्रत्यर्पण से जुड़े मुद्दों को भारत में कानूनी आधार प्रदान करता है। इस अधिनियम की 'धारा 2(क)' में 'प्रत्यर्पण संधि' के बारे में उल्लेख है।

2.8 भारत ने कई देशों के साथ ऐसी भी प्रत्यर्पण संधि कर रखी है कि अमुक देश भारतीय नागरिकों को किसी अन्य देश को नहीं सौंपेगा और भारत भी संबंधित देश के नागरिक को किसी अन्य देश को नहीं सौंपेगा; यथा- संयुक्त अरब अमीरात, नेपाल, सऊदी अरब इत्यादि।

प्रत्यर्पण से बचने हेतु माल्या के तर्क

3.1 भारत की न्यायिक प्रक्रिया काफी धीमी व जटिल है और यहाँ निर्णय आने में दशकों लग जाते हैं।

3.2 भारतीय राजनीतिक पार्टियाँ मेरा इस्तेमाल वोट बैंक हेतु कर सकती हैं।

3.3 भारत में जेल बंदियों की दशा अत्यन्त सोचनीय है।

3.4 भारत की जाँच एजेंसियों पर राजनीतिक दलों का प्रभाव है, यथा-सीबीआई विवाद।

यूके की कोर्ट ने क्या कहा?

4.1 यू.के. की कोर्ट ने कहा कि माल्या केस की प्रारंभिक जाँच से यही ज्ञात होता है कि उन्होंने (माल्या) जिस उद्देश्य हेतु बैंक से ऋण लिया, उस उद्देश्य से इतर ऋण का इस्तेमाल किया।

4.2 माल्या पर मनी लॉंड्रिंग के आरोप भी सिद्ध होते दिखते हैं।

आगे की राह

5.1 माल्या के प्रत्यर्पण के संबंध में भारत की उपलब्धि सराहनीय है। भारत सरकार को इसी प्रकार की रणनीतियाँ अन्य केसों में भी अपनानी चाहिए।

5.2 यह उपलब्धि विशुद्ध रूप से 'कूटनीतिक' विजय है तथा इसे घरेलू राजनीतिक रंग देने से बचना चाहिए।

5.3 भारत को अपनी न्यायिक व्यवस्था में सुधार की ओर गंभीर प्रयास करने होंगे ताकि अन्य भगोड़े अपराधियों को देश में लाया जा सके।

पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र (ESZ)

चर्चा का कारण

1.1 सुप्रीम कोर्ट ने 'पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय' को आदेश दिया है कि देश के विभिन्न क्षेत्रों में अवस्थित 21 राष्ट्रीय पार्क और वन्यजीव अभयारण्य के आस-पास के 10 किमी क्षेत्र को पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र' (Eco-Sensitive Zone, ESZ) घोषित करें।

क्या है?

2.1 सरकार 'पर्यावरण संरक्षण कानून, 1986' के तहत् पारिस्थितिकी दृष्टि से संवेदनशील राष्ट्रीय पार्क, वन्यजीव अभयारण्य और पक्षी अभयारण्य आदि के आस-पास के क्षेत्र को 'पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र' घोषित करती है।

2.2 'पर्यावरण संरक्षण कानून, 1986' में 'पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र' (ESZ) जैसे शब्द का कोई उल्लेख नहीं है।

2.3 परंतु यदि 'पर्यावरण संरक्षण कानून, 1986' की 'धारा 3(2)(V)' और 'धारा 5' का अवलोकन करें तो इसमें 'ईएसजेड' जैसी विशेषताओं का वर्णन है।

2.4 पर्यावरण संरक्षण कानून की इन दोनों धाराओं के अनुसार, सरकार पारिस्थितिकी, जैवविविधता या अन्य पर्यावरणीय दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र को संरक्षित क्षेत्र घोषित कर सकती है।

2.5 इस संरक्षित क्षेत्र में मुख्यत: औद्योगिक गतिविधियों या पर्यावरण को हानि पहुँचाने वाली विशेष परियोजनाओं को प्रतिबंधित कर दिया जाता है या पहले से ही स्थापित औद्योगिक इकाइयों की निगरानी की जाती है।

2.6 पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र में पर्यावरण को कम हानि पहुँचाने वाली मानव की अन्य गतिविधियों (यथा-पर्यटन, कृषि आदि) को विनियमन के साथ जारी रखा जाता है।

2.7 सरकार 'ईएसजेड' के भूमि उपयोग को भी प्रबंधित (Manage) कर सकती है, जैसे- उच्च रसायन युक्त कृषि की जगह जैविक कृषि करने का आदेश दिया जा सकता है।

लाभ

3.1 मानवीय गतिविधियों से उत्पन्न प्रदूषण एवं संक्रमण आदि का 'ईएसजेड' में पहुँचने का खतरा कम हो जाता है।

3.2 राष्ट्रीय पार्क आदि की सुरक्षा एवं संरक्षा अपेक्षाकृत अधिक आसान हो जाती है।

चुनौतियाँ

4.1 बढ़ती जनसंख्या व शहरीकरण प्राकृतिक जंगलों को कंक्रीट के जंगलों में बदल रहे हैं।

4.2 पर्यावरण प्रदूषण व जलवायु परिवर्तन के बीच इन संवेदनशील क्षेत्रों को परिरक्षित करना एक बड़ी चुनौती है।

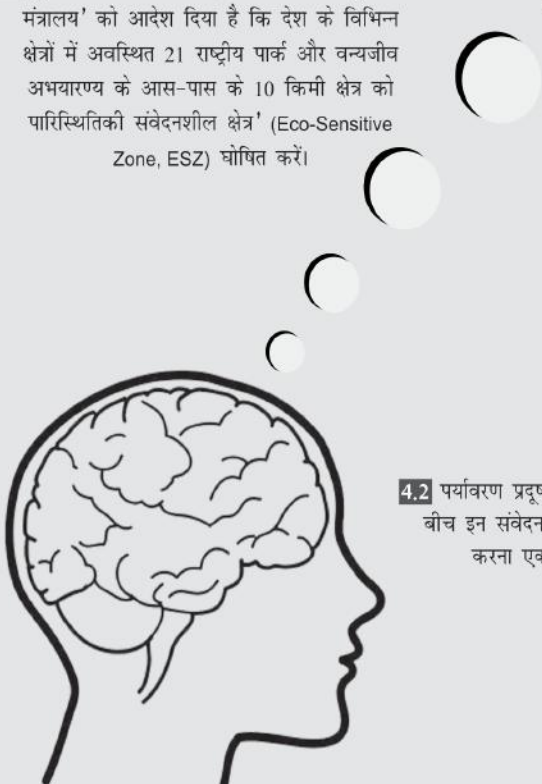

रासायनिक हथियार निषेध संगठन (OPCW)

चर्चा का कारण

1.1 हाल ही में 'रासायनिक हथियारों के निषेध हेतु संगठन' (OPCW) के संचालन की समीक्षा हेतु सदस्य देशों की विशेष बैठक हुयी।

1.2 इस बैठक में सर्वसम्मति से कोई भी प्रस्ताव पारित नहीं हो सका।

1.3 इस बैठक के दौरान भारत ने अपनी यह प्रतिबद्धता दोहराई है कि वह इस विषय में देशों को एकजुट करने और मतभेदों को दूर करने की दिशा में अपना काम जारी रखेगा।

समीक्षा की आवश्यकता क्यों?

2.1 रासायनिक हथियारों को नष्ट और इनके प्रयोग को प्रतिबंधित करने के लिए 'ओपीसीडब्ल्यू' तथा इससे संबंधित संधि (CWC) की समीक्षा समय-समय पर आवश्यक है।

2.2 रासायनिक हथियारों में अब नए-नए विषाक्त रसायनों का प्रयोग हो रहा है, जो मानव एवं अन्य जीव समुदाय के लिए काफी घातक है।

2.3 एक बड़ा खतरा यह है कि रासायनिक हथियार एसे संगठनों द्वारा भी प्रयुक्त हो सकते हैं जो किसी देश की सरकार से जुड़े नहीं हों, जैसे- इस्लामिक स्टेट और अन्य आतंकवादी गुट। यह खतरा नित्य बढ़ता जा रहा है।

2.4 रासायनिक हथियारों को नष्ट करने की दिशा में सफलता तभी मिल सकती है जब वैश्विक सुरक्षा की बढ़ती हुई जटिलता को देखते हुए 'ओपीसीडब्ल्यू' और सदस्य देश दोनों पहले से अधिक निगरानी रखें।

2.5 बहुत प्रयास करने के बावजूद विश्व के कई भागों से रासायनिक हथियार प्रयोग करने की घटनाओं में वृद्धि हुई है, जैसे- मलेशिया, इंग्लैंड, उत्तरी आयरलैंड, सीरिया और इराक में।

ओपीसीडब्ल्यू (OPCW) क्या है?

3.1 यह एक स्वतंत्र और स्वायत्त अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में काम करता है। इसका गठन 1997 में किया गया था और इसका मुख्यालय हेग (नीदरलैण्ड) में है।

3.2 1997 में एक 'रासायनिक हथियार संधि' (Chemical Weapons Convention – CWC) हुई थी। इसके प्रमुख प्रावधान निम्नांकित हैं-

3.2.1 सभी रासायनिक हथियारों को अंतर्राष्ट्रीय निगरानी में नष्ट किया जाए।

3.2.2 रासायनिक उद्योग पर नजर रखना जिससे कि फिर से रासायनिक हथियार न बनने लगें।

3.2.3 रासायनिक हथियार के खतरों से देशों को सहायता और सुरक्षा प्रदान करना।

3.2.4 संधि के प्रावधानों को लागू करने में सभी देशों का सहयोग लेना और रसायनों के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना।

3.3 रासायनिक हथियार निषेध संगठन (OPCW) को 'CWC संधि' के प्रावधानों को क्रियान्वित करने के लिए गठित किया गया था।

3.4 रासायनिक हथियारों को समाप्त करने की दिशा में इसके द्वारा किए गये व्यापक कार्य के लिए 2013 में इस संगठन को नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था।

रासायनिक हथियार संधि (CWC) में किये गये निषेध

5.1 रासायनिक हथियारों का निर्माण करना, उत्पादन करना, अधिग्रहण करना, भंडारण करना।

5.2 रासायनिक हथियारों को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष ढंग से स्थानांतरित करना।

5.3 रासायनिक हथियारों का सैन्य प्रयोग करना।

5.4 संधि द्वारा निषिद्ध गतिविधियों में अन्य देशों को शामिल करना साथ ही उन्हे सहायता पहुँचाना और प्रोत्साहित करना।

5.5 दंगा नियंत्रण में रासायनिक हथियारों का उपयोग करना।

वॉयजर इंटरस्टेलर मिशन (VIM)

चर्चा का कारण

1.1 हाल ही में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी 'नासा' ने कहा है कि 'वॉयजर इंटरस्टेलर मिशन' (Voyager Interstellar Mission) का दूसरा अंतरिक्ष यान 'वॉयजर-2' हेलियोस्फीयर से निकलकर 'इंटरस्टेलर अंतरिक्ष' में प्रवेश कर गया है।

पृष्ठभूमि

2.1 वीआईएम के तहत नासा ने दो अंतरिक्ष यानों (वॉयजर-1 और वॉयजर-2) को लॉन्च किया था।

2.2 इन दोनों यानों का उद्देश्य अलग-अलग मार्गों से होते हुए और सौरमण्डल के ग्रहों और उनके वातावरण (वृहस्पति उपग्रह, शनि के रिंग, यूरेनस, नेपच्यून और सूर्य की प्लाज्मा किरणें आदि) के बारे में पड़ताल करते हुए इंटरस्टेलर अंतरिक्ष में पहुँचना था।

2.3 वॉयजर-1, इंटरस्टेलर अंतरिक्ष में पहले ही प्रवेश कर चुका था और अब वॉयजर-2 पहुँच चुका है।

2.4 इन दोनों यानों के अलावा अभी तक कोई भी अंतरिक्ष यान या अन्य मानव निर्मित वस्तु इंटरस्टेलर अंतरिक्ष में नहीं पहुँची है।

हीलियोस्फीयर और इंटरस्टेलर अंतरिक्ष

3.1 हीलियोस्फीयर, अंतरिक्ष का वह क्षेत्र है जहाँ तक सूर्य का प्रभाव रहता है अर्थात् सूर्य की रोशनी व चुम्बकीय क्षेत्रों का प्रभाव रहता है।

3.2 हीलियोस्फीयर, वरुण (Neptune) ग्रह के बाद लगभग समाप्त हो जाता है और फिर इंटरस्टेलर अंतरिक्ष की शुरूआत हो जाती है।

3.3 इंटरस्टेलर, दो शब्दों से मिलकर बना है- इंटर और स्टेलर।

3.4 इंटर का अर्थ 'मध्य भाग' है और स्टेलर का अर्थ 'तारा' (Star) है।

3.5 इस प्रकार इंटरस्टेलर का अर्थ हुआ कि सूर्य (एक तारा) और ब्रह्मांड के दूसरे तारे (कोई भी तारा) के मध्य का भाग या अंतरिक्ष।

3.6 हमें अभी तक इंटरस्टेलर अंतरिक्ष की कोई उल्लेखनीय जानकारी नहीं है किन्तु इन दोनों अंतरिक्ष यानों के इस अंतरिक्ष में पहुँचने पर ब्रह्मांड के कई रहस्यों से पर्दा उठेगा।

3.7 इंटरस्टेलर अंतरिक्ष में कॉस्मिक किरणों का अत्यधिक प्रभाव है, जो हमारे सौरमण्डल पर भी प्रभाव छोड़ती हैं।

आईएमएपी

4.1 आईएमएपी (Interstellar Mapping and Accelaration Probe), नासा का एक आगामी मिशन है जिसे वह सन् 2024 में लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है।

4.2 यह मिशन वॉयजर मिशन से अधिक उन्नत तकनीकों पर आधारित होगा, जिससे इंटरस्टेलर अंतरिक्ष के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त होगी।

राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS)

चर्चा का कारण

1.1 हाल ही में भारत सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) में सरकार का योगदान बढ़ाकर कर्मचारी के मूल वेतन का 14% कर दिया है।

क्या है?

2.1 राष्ट्रीय पेंशन योजना 1 जनवरी, 2004 को सभी नागरिकों (18 से 65 वर्ष के बीच के नागरिक) को सेवानिवृत्ति आय प्रदान करने के उद्देश्य से आरंभ की गई थी।

2.2 एनपीएस का लक्ष्य पेंशन सुधारों को स्थापित करना और नागरिकों में सेवानिवृत्ति के लिए बचत की आदत को बढ़ावा देना है।

2.3 इस योजना के तहत केन्द्र, राज्य निजी और असंगठित आदि सभी क्षेत्रों के कर्मचारियों को शामिल किया गया है।

2.4 इस योजना के तहत दो तरह के खातों को खुलवाया जा सकता है, टियर-1 और टियर-2

2.5 टियर-1 में जमा राशि को उम्र के 60 साल होने पर निकाला जा सकता है।

2.6 टियर-2 में जमा राशि का 60% कर्मचारी कभी भी निकाल सकता है और यह 60% राशि पर इन्कम टैक्स भी नहीं लगता है।

2.7 इस योजना में पहले प्रावधान था कि कर्मचारी अपने मूल वेतन का 10% पेंशन खाते में योगदान देगा और इतने ही प्रतिशत का सरकार भी योगदान देगी, किन्तु अब इस योजना में बदलाव करके सरकारी योगदान को बढ़ाकर 14% कर दिया गया है।

2.8 केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कर्मचारियों के 10 फीसदी तक योगदान के लिए आयकर कानून की धारा 80C के तहत टैक्स छूट को भी मंजूरी दे दी। कर्मचारियों का न्यूनतम योगदान 10 फीसदी बना रहेगा।

सरकारी खजाने पर असर

3.1 एनपीएस में सरकार के योगदान में की गई वृद्धि से सरकारी खजाने पर 2019-20 में 2840 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।

एनपीएस के लाभ

4.1 एनपीएस पारदर्शी और लागत प्रभावी प्रणाली है जिसमें पेंशन के अंशदान का निवेश पेंशन निधि योजनाओं में किया जाता है और कर्मचारी दैनिक आधार पर निवेश का मूल्य जान सकते हैं।

4.2 सभी अभिदाताओं को अपने नोडल कार्यालय में खाता खोलना होता है और एक 'स्थाई सेवा निवृत्ति खाता संख्या' (पीआरएएन) लेना होता है।

4.3 प्रत्येक कर्मचारी को एक विशिष्ट संख्या से पहचाना जाता है और उसकी एक पृथक पीआरएएन होती है जो अंतरण योग्य है, अर्थात् यह कर्मचारी के किसी अन्य कार्यालय में स्थानांतरित होने पर भी समान बनी रहती है।

पीएफआरडीए

5.1 पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA), राष्ट्रीय पेंशन योजना के कार्यान्वयन हेतु प्रमुख एजेंसी है। पीएफआरडीए, एक स्वायत्त और सांविधिक निकाय है। इसकी स्थापना 2013 में संसद से पारित एक अधिनियम के तहत भारत में पेंशन बाजार के विकास और विनियमन हेतु की गयी थी।

फेम इंडिया योजना

चर्चा का कारण

1.1 देश में पर्यावरण के अनुकूल वाहनों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 'राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन योजना' (MEMMP) के तहत 2015 में भारी उद्योग विभाग द्वारा 'फेम इंडिया स्कीम' शुरू की गई थी, जिसका विस्तार हाल ही में 31 मार्च, 2019 तक किया गया है।

1.2 इस कार्यक्रम पर 5500 करोड़ रुपये खर्च होंगे और इस योजना के लिए कैबिनेट की तरफ से भी मंजूरी मिल चुकी है।

1.3 इस योजना को कई चरणों में लागू किया जाएगा।

उद्देश्य

2.1 इस योजना के अंतर्गत पाँच साल के लिए सभी इलेक्ट्रिक वाहनों- दो पहिया, तिपहिया और चार पहिया वाहनों की खरीद पर सब्सिडी दी जाएगी।

2.2 देश में प्रदूषण कम करने और पेट्रोल-डीजल के आयात पर निर्भरता घटाने के लिए सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल बढ़ाना चाहती है।

2.3 फेम इंडिया योजना के तहत प्रौद्योगिकी के आधार पर बैटरी से चलने वाले स्कूटर/बाइक पर 1800 से 29,000 रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी, वहीं तीन पहिया वाहनों पर 3300 से 61000 रुपये का प्रोत्साहन दिया जाएगा।

2.4 इसका उद्देश्य 2030 तक भारत को 100 प्रतिशत बिजली से चलने वाले वाहनों वाला देश बनाना है।

2.5 फेम इंडिया के तहत साल 2022 तक देश को प्रदूषण मुक्त बनाना है।

2.6 इस स्कीम के जरिए साल 2022 तक देशभर में 60-70 लाख हाइब्रिड और इलेक्ट्रिकल वाहनों को दौड़ाने का लक्ष्य है। इससे करीब 950 करोड़ लीटर पेट्रोल एवं डीजल की खपत में कमी आएगी।

2.7 यह योजना मुख्यत: चार क्षेत्रों पर फोकस करती है-

- 2.7.1 प्रौद्योगिकी विकास
- 2.7.2 माँग निर्माण (Demand Creation)
- 2.7.3 पायलट परियोजनाएँ (Pilot Projects)
- 2.7.3 वाहन की चार्जिंग हेतु आधारभूत संरचना का विकास

मुख्य तथ्य

3.1 फेम इंडिया स्कीम का प्रथम चरण अप्रैल 2015 में आरंभ किया गया था और यह 2017 तक चला। अब इसके दूसरे चरण को शुरू किया गया है जो 2019 तक चलेगा।

3.2 फेम इंडिया की सफलता के लिए सरकार ने ऑटोमेटिक रूट से 100 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति दे रखी है।

सुझाव

4.1 परिवहन उद्योग में विद्यमान व्यवधानों को समाप्त किया जाना चाहिए और सार्वजनिक परिवहन के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

4.2 नीति आयोग, वरिष्ठ अधिकारियों और विभिन्न वाहन कंपनियों ने इस योजना को सफल बनाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं।

4.3 इलेक्ट्रिक और आधुनिक वाहनों के विनिर्माण से संबंधित उद्योगों को भी सब्सिडी दी जानी चाहिए ताकि इनका स्वदेशीकरण हो सके, जिससे नए रोजगार में इजाफा हो।

4.4 अनुसंधान एवं विकास (आर एण्ड डी) को प्रोत्साहन।

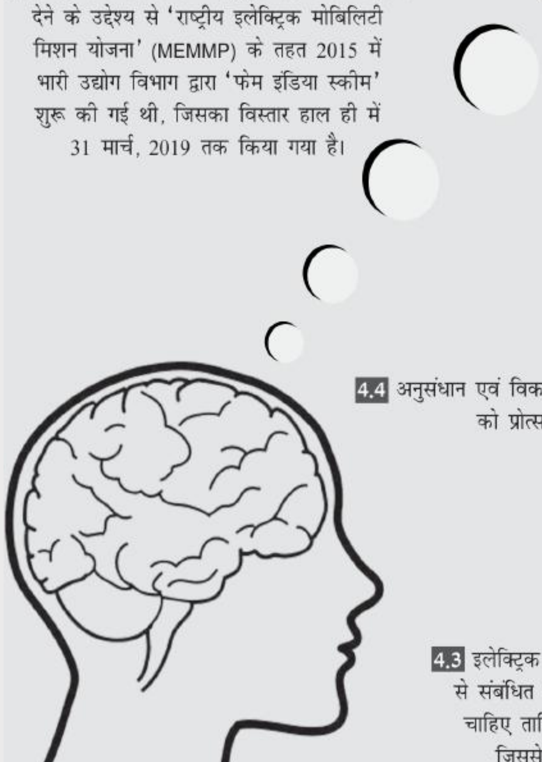

चालू खाता घाटा (CAD)

चर्चा का कारण

1.1 हाल ही में रिज़र्व बैंक ऑफ इण्डिया (आरबीआई) ने आँकड़ों से व्यक्त किया है कि कच्चे तेल की ऊँची कीमतों के कारण देश का चालू खाता घाटा (CAD) 'जुलाई-सितंबर तिमाही' में बढ़कर सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 2.9% हो गया है।

1.2 वर्तमान में 'चालू खाता घाटा' का स्तर पिछले चार वर्षों में सबसे ज्यादा है।

भुगतान संतुलन

2.1 अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आइएमएफ) के अनुसार भुगतान संतुलन (Balance of Payment, BoP) एक स्टैटिस्टिकल स्टेटमेंट (Statistical Statement) है जो एक देश के निवासियों के अन्य देशों के साथ एक निश्चित अवधि (यथा- तिमाही, सालाना इत्यादि) में किए गए आर्थिक लेन-देन (वस्तुओं, सेवाओं और पूँजी का आयात-निर्यात) का सार प्रस्तुत करता है।

2.2 निवासी से आशय देश के नागरिकों से नहीं बल्कि उन व्यक्तियों या कंपनियों से है जिनका आर्थिक हित उस देश में है।

2.3 सरल शब्दों में कहें तो एक देश के निवासी व्यक्ति या कंपनियाँ और वहां की सरकार एक साल या तिमाही के भीतर अन्य देशों के साथ जब वस्तुओं, सेवाओं और पूँजी का आयात-निर्यात करते हैं तो आँकड़ों के रूप में दिए गए उसके सार को भुगतान संतुलन (BoP) कहते हैं।

2.4 जब एक देश के निवासी दूसरे देशों के साथ आर्थिक लेन-देन करते हैं तो भुगतान संतुलन में उन्हें दो खातों चालू खाता (Current Account) और पूँजी खाता (Capital Account) के रूप में दर्ज किया जाता है।

2.5 जब किसी देश का भुगतान संतुलन डगमगाता है तो वहां की अर्थव्यवस्था पर उसके गंभीर प्रभाव पड़ते हैं।

2.6 नब्बे के दशक के शुरू में जब भारत में भुगतान संतुलन का संकट गहराया तो सरकार को संकट से उबरने के लिए उदारीकरण और आर्थिक सुधारों की शुरूआत करनी पड़ी।

चालू खाता घाटा

3.1 चालू खाता में वस्तुओं और सेवाओं के कुल आयात-निर्यात का लेखा-जोखा होता है।

3.2 देश के कुल निर्यात और आयात के बीच के अंतर को 'चालू खाता घाटा' कहा जाता है।

3.3 व्यापार के संदर्भ में सिर्फ वस्तुओं के आयात-निर्यात का लेखा-जोखा होता है और वस्तुओं के निर्यात और आयात के अन्तर को 'व्यापार घाटा' कहा जाता है।

3.4 लघु अवधि के लिए 'चालू खाता घाटा' फायदेमंद साबित हो सकता है क्योंकि निवेशक ऐसी अर्थव्यवस्थाओं में पैसा लगा सकते हैं लेकिन लंबी अवधि तक बढ़ता चालू खाता घाटा किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित कर सकता है।

3.5 चालू खाता घाटा बढ़ने से देश की मुद्रा में कमजोरी आ सकती है और देश में आने वाला निवेश घट सकता है। भारत में कच्चे तेल और सोने की बड़ी मात्रा में आयात की वजह से चालू खाते पर दबाव दिखता रहा है।

3.6 जब चालू खाते का घाटा बढ़ जाता है तो वित्तीय खाते के तहत उधार लेकर या विदेशी पूँजी निवेश के जरिए उसे पाटने की कोशिश की जाती है।

3.7 हमारे देश में रिज़र्व बैंक भुगतान संतुलन के आँकड़े जारी करता है। इसमें चालू खाते के घाटे का ब्यौरा दिया जाता है जबकि व्यापार घाटे के आँकड़े वाणिज्य मंत्रालय आयात और निर्यात के आँकड़ों के साथ जारी करता है।

चालू खाता घाटा कम करना

4.1 चालू खाता घाटा कम करने के लिए आम तौर पर निर्यात (माल देश से बाहर जा रहा है) में वृद्धि या आयात (विदेश से देश में आने वाला माल) में कमी की जाती है।

4.2 विदेशी खरीददारों के लिए निर्यात को सस्ता बनाने के लिए विनिमय दर को प्रभावित करने से परोक्ष रूप से भुगतान संतुलन में वृद्धि होगी।

4.3 यह मुख्य रूप से घरेलू मुद्रा के अवमूल्यन से किया जाता है।

4.4 चालू खाता घाटा कम करने के लिए अधिक प्रभावी पद्धतियों में शामिल उपाय है राष्ट्रीय सरकार द्वारा उधार में कमी सहित, घरेलू बचत में वृद्धि।

आगे की राह

5.1 हाल में 'चालू खाता घाटा' इस वजह से बढ़ा क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें काफी अधिक हो गयी थीं।

5.2 सरकार को चाहिए कि अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए अन्य वैकल्पिक स्रोत भी तलाशें। यथा- सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा इत्यादि।

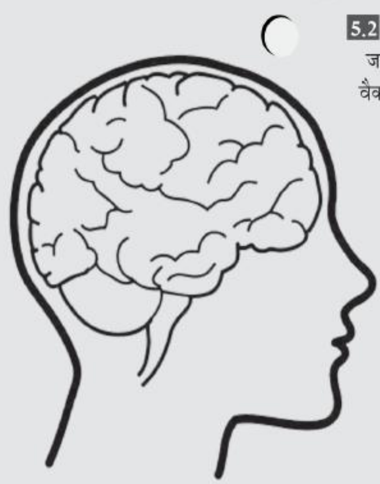

सात वस्तुनिष्ठ प्रश्न तथा उनके व्याख्या सहित उत्तर
(ब्रेन बूस्टर्स पर आधारित)

1. प्रत्यर्पण

प्र. प्रत्यर्पण के परिप्रेक्ष्य में निम्न कथनों पर विचार कीजिए-

1. भारत को प्रत्यर्पण के मामलों में अत्यधिक सफलता संयुक्त राज्य अमेरिका में मिली है।
2. भारत ने 54 देशों के साथ प्रत्यर्पण संधि (Extradition Treaties) की है।
3. भारत में प्रत्यर्पण से जुड़ी नोडल अथॉरिटी 'गृह मंत्रालय' (भारत सरकार) है।

उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 1 और 3

(c) केवल 2 और 3 (d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

उत्तर: (d)

व्याख्या: भारत ने प्रत्यर्पण के मामलों में अत्यधिक सफलता संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में पाई है, ना कि संयुक्त राज्य अमेरिका में। भारत ने 44 देशों के साथ प्रत्यर्पण संधि की है। भारत में प्रत्यर्पण से जुड़ी नोडल अथॉरिटी 'विदेश मंत्रालय' (भारत सरकार) है, इसलिए सभी कथन गलत हैं। इस प्रकार सही उत्तर (d) है। ■

2. पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र (ESZ)

प्र. पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र (ESZ) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचर कीजिए-

1. सरकार 'पर्यावरण संरक्षण कानून 1986' के अंतर्गत पारिस्थितिकी दृष्टि से संवेदनशील राष्ट्रीय पार्क, वन्यजीव अभयारण्य और पक्षी अभयारण्य आदि के आसपास के क्षेत्र को 'पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र' घोषित करती है।
2. हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने 'पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय' को आदेश दिया है कि देश के विभिन्न क्षेत्रों में अवस्थित 21 राष्ट्रीय पार्क एवं वन्यजीव अभयारण्य के आसपास 15 किमी. क्षेत्र को 'पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र' घोषित करें।
3. पर्यावरण संरक्षण कानून, 1986 में 'पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र' का शाब्दिक उल्लेख किया गया है।

उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 1 और 2

(c) केवल 2 और 3 (d) उपर्युक्त सभी

उत्तर: (a)

व्याख्या: सरकार 'पर्यावरण संरक्षण कानून, 1986' के अंतर्गत पारिस्थितिकी दृष्टि से संवेदनशील राष्ट्रीय पार्क, वन्यजीव अभयारण्य और पक्षी अभयारण्य आदि के आसपास के क्षेत्र को 'पारिस्थितिकी संवदेनशील क्षेत्र' घोषित करती है। इसलिए पहला कथन सही है। सर्वोच्च न्यायालय ने 'पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय' को आदेश दिया है कि देश के विभिन्न क्षेत्रों में अवस्थित 21 राष्ट्रीय पार्क और वन्यजीव अभयारण्य के आसपास के 10 किमी. क्षेत्र को 'पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र' घोषित करें ना कि 15 किमी. क्षेत्र को। इसलिए दूसरा कथन गलत है। पर्यावरण संरक्षण कानून, 1986 में 'पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र' जैसे शब्द को कोई उल्लेख नहीं है। इसलिए तीसरा कथन भी गलत है। ■

3. रासायनिक हथियार निषेध संगठन (OPCW)

प्र. रासायनिक हथियार निषेध संगठन (OPCW) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. यह एक स्वतंत्र एवं स्वायत्त अंतर्राष्ट्रीय संगठन है।
2. यह संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में कार्य करता है।
3. इसका गठन 1999 में हुआ था।
4. इसका मुख्यालय पेरिस (फ्रांस) में है।

उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 3 (b) केवल 1 और 2

(c) केवल 1, 2 और 3 (d) केवल 1, 2 और 4

उत्तर: (b)

व्याख्या: यह एक स्वतंत्र और स्वायत्त अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। यह संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में कार्य करता है, इसलिए पहला एवं दूसरा कथन सही है। इसका गठन 29 अप्रैल, 1997 को किया गया था और इसका मुख्यालय हेग (नीदरलैण्ड) में है, इसलिए तीसरा और चौथा कथन गलत है।■

4. वॉयजर इंटरस्टेलर मिशन (VIM)

प्र. वॉयजर इंटरस्टेलर मिशन (VIM) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. वीआईएम के अंतर्गत नासा (NASA) ने दो अंतरिक्ष यानों को लॉन्च किया था।
2. यह दोनों अंतरिक्ष यान (वॉयजर-1 और वॉयजर-2) इंटरस्टेलर अंतरिक्ष में पहली बार पहुँचे हैं।
3. इन दोनों अंतरिक्ष यानों के इंटरस्टेलर अंतरिक्ष में पहुँचने से ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने में मदद मिलेगी।

उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3 (d) उपर्युक्त सभी

उत्तरः (d)

व्याख्याः हाल ही में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी 'नासा' ने कहा है कि 'वॉयजर इंटरस्टेलर मिशन' (Voyager Interstellar Mission) का दूसरा अंतरिक्ष यान 'वॉयजर-2' हीलियोस्फीयर से निकलकर 'इंटरस्टेलर अंतरिक्ष' में प्रवेश कर गया है। वीआईएम के अंतर्गत नासा ने दो अंतरिक्ष यानों (वॉयजर-1 और वॉयजर-2) को लाँच किया था। इसमें अभी तक इंटरस्टेलर अंतरिक्ष की कोई उल्लेखनीय जानकारी नहीं है किन्तु इन दोनों अंतरिक्ष यानों के इस अंतरिक्ष में पहुँचने पर ब्रह्मांड के कई रहस्यों को जानने में मदद मिलेगी। इसलिए सभी कथन सही हैं। ■

5. राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS)

प्र. राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए-

1. केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में अपना अनिवार्य अंशदान मौजूदा 10% से बढ़ाकर 14% कर दिया है।
2. इससे वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान राजकोष पर लगभग 2840 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार पड़ने का अनुमान है।
3. राष्ट्रीय पेंशन योजना की शुरूआत 2004 में की गयी थी।
4. पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA), राष्ट्रीय पेंशन योजना के कार्यान्वयन हेतु प्रमुख एजेंसी है।

उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1, 2 और 3 (b) केवल 2 और 4
(c) केवल 1, 3 और 4 (d) उपर्युक्त सभी

उत्तरः (d)

व्याख्याः हाल ही में भारत सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) में अपना अंशदान 10% से बढ़ाकर 14% कर दिया है। एनपीएस में सरकार के योगदान में की गई वृद्धि से सरकारी खजाने पर 2019-20 में 2840 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। राष्ट्रीय पेंशन योजना 1 जनवरी, 2004 को सभी नागरिकों (18 से 65 वर्ष की आयु के बीच के नागरिक) को सेवानिवृत्ति आय प्रदान करने के उद्देश्य से आरंभ की गयी थी। पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA), राष्ट्रीय पेंशन योजना के कार्यान्वयन हेतु प्रमुख एजेंसी है। इसलिए सभी कथन सही हैं। इस प्रकार सही उत्तर (d) होगा। ■

6. फेम इंडिया योजना

प्र. फेम इंडिया योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. इस योजना के तहत सीएनजी युक्त स्वच्छ ईंधन के वाहनों को बढ़ावा दिया जायेगा।
2. फेम इंडिया की सफलता हेतु ऑटोमेटिक रूट से 100 प्रतिशत एफडीआई को मंजूरी प्रदान की गयी है।
3. इसके तहत् वर्ष 2022 तक देश को प्रदूषण मुक्त बनाना है।
4. इसका उद्देश्य वर्ष 2030 तक भारत को 100 प्रतिशत बिजली से चलने वाले वाहनों वाला देश बनाना है।

उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से सही नहीं है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2, 3 और 4
(c) केवल 2 और 4 (d) केवल 1, 3 और 4

उत्तरः (a)

व्याख्याः यह योजना देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने हेतु शुरू की गयी है। यह योजना मुख्यतः चार क्षेत्रों पर फोकस करती हैं- प्रौद्योगिकी विकास, माँग निर्माण, पायलट परियोजनाएँ तथा वाहन की चार्जिंग हेतु आधारभूत संरचना का विकास, इसलिए पहला कथन गलत है। फेम इंडिया की सफलता हेतु ऑटोमेटिक रूट से 100 प्रतिशत एफडीआई को मंजूरी प्रदान की गयी है। इसलिए दूसरा कथन सही है। फेम इंडिया योजना के तहत वर्ष 2022 तक देश को प्रदूषण मुक्त बनाना है और इसका उद्देश्य वर्ष 2030 तक भारत को 100 प्रतिशत बिजली से चलने वाले वाहनों वाला देश बनाना है, इसलिए तीसरा और चौथा कथन भी सही हैं। इस प्रकार सही उत्तर (a) है। ■

7. चालू खाता घाटा

प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. 'चालू खाता घाटा' के आँकड़ों को वित्त मंत्रालय जारी करता है।
2. किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए 'चालू खाता घाटा' लम्बी अवधि के लिए फायदेमंद होता है।

उपर्युक्त में कौन-सा/से कथन सही नहीं है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

उत्तरः (c)

व्याख्याः हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने आँकड़ों से व्यक्त किया है कि कच्चे तेल की ऊँची कीमतों के कारण देश का चालू खाता घाटा (CAD) 'जुलाई-सितंबर तिमाही' में बढ़कर सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 2.9% हो गया है, इससे स्पष्ट है कि 'चालू खाता घाटा' के आँकड़े आरबीआई जारी करता है। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए लम्बी अवधि के लिए चालू खाता घाटा नुकसानदेह होता है क्योंकि इससे तरह-तरह की आर्थिक समस्याएँ (यथा- मँहगाई, निवेश में कमी आदि) जन्म लेती हैं। ■

सात महत्वपूर्ण तथ्य

1. 67वें मिस यूनिवर्स 2018 का खिताब किसने जीता?

-कैट्रिओना ग्रे (फिलीपींस)

2. 'सेक्सटॉर्शन' (Sextortion) को अपराध मानने वाला देश का पहला राज्य कौन-सा है?

-जम्मू-कश्मीर

3. बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड टूर-फाइनल्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय शटलर कौन है?

-पीवी सिन्धु

4. 54वाँ ज्ञानपीठ पुरस्कार 2018 से किसे सम्मानित किया गया है?

-अमिताव घोष (प्रथम अंग्रेजी लेखक)

5. हाल ही में रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?

-शक्तिकांत दास

6. जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक (CCPI) -2019 में भारत को कौन-सा स्थान प्राप्त हुआ है?

- 11वाँ (पिछले वर्ष 14वाँ था)

7. किस भारतीय खिलाड़ी को 'मेथोइलीमा' की उपाधि से सम्मानित किया गया है?

-मैरी कॉम

सात महत्वपूर्ण डिजिटल पहलें

1. सुगम्य पुस्तकालय

- सुगम्य पुस्तकालय, एक ऑनलाइन लाइब्रेरी है जो प्रिंट-अक्षम लोगों (जो प्रिंटेड मैटेरियल नहीं पढ़ पाते हैं) के लिए सुलभता से सामग्री उपलब्ध करायेगी। इस लाइब्रेरी में विविध विषयों और भाषाओं के कई प्रारूप प्रकाशित किये जायेंगे। यह लाइब्रेरी लगभग 2 लाख किताबों को भारत एवं विश्व के प्रमुख पुस्तकालयों से लेकर डिजिटल रूप में प्रकाशित करेगी।
- सुगम्य पुस्तकालय, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार) की पहल है जिसमें 'डेजी फोरम ऑफ इंडिया (DFI)' और टीसीएस (टाटा कन्सल्टेंसी सर्विस) भी मदद कर रहे हैं। इसके अलावा, सुगम्य पुस्तकालय का हिस्सा कोई यूनिवर्सिटी, लाइब्रेरी, संस्था या व्यक्ति भी बन सकता है।

2. स्वयं (SWAYAM)

- स्वयं, भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक 'वेबसाइट कार्यक्रम' है जो अध्ययन या सीखने की प्रक्रिया को इंटरनेट के द्वारा काफी आसान बनाता है। इसमें शिक्षा के तीन मूलभूत सिद्धांतों को अपनाया गया है- पहुँच (Access), इक्विटी (Equity) और गुणवत्ता (Quality)। स्वयं वेबसाइट कार्यक्रम के द्वारा सरकार डिजिटल क्रांति के इस दौर में शैक्षणिक स्तर में व्याप्त खाई और डिजिटल डिवाइड आदि को पूरा करना चाहती है।
- इस कार्यक्रम के द्वारा नागरिकों को हर प्रकार के शैक्षणिक कोर्स एवं उसके अनुप्रयोगों को फ्री में डिजिटल रूप से सरकार उपलब्ध करा रही है। इस कार्यक्रम हेतु आईटी प्लेटफार्म मानव संसाधन विकास मंत्रालय और भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) के द्वारा स्वदेशी तकनीकों द्वारा तैयार किया जा रहा है, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट कम्पनी भी मदद प्रदान कर रही है।

3. निक्षय (NIKSHAY)

- देश में टीबी मरीजों को प्रबंधित (Manage) करने के लिए सरकार ने 'निक्षय' नामक ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत की थी। इस प्रणाली को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (NIC) द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया था। वर्ष 2025 तक देश से क्षय रोग (टीबी) को पूरी तरह खत्म करने हेतु 'निक्षय पोर्टल-1' की जगह उन्नत तकनीकी पर आधारित 'निक्षय पोर्टल-2' की शुरुआत की गयी। ज्ञातव्य है कि सरकार की ओर से टीबी के मरीजों और टीबी का इलाज करने वाले सभी सरकारी और गैर-सरकारी संस्थानों को आर्थिक मदद दी जाती है। सरकार अब इस मदद को सीधे मरीज के खाते में पहुँचाना चाहती है, इसके लिए उसे स्वास्थ्य मंत्रालय के 'निक्षय पोर्टल-2' पर बैंक खाते एवं आधार नंबर के साथ रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा।

4. खोया-पाया

- सरकार ने लापता बच्चों की जानकारी को सुगम व व्यवस्थित बनाने हेतु 'खोया-पाया वेब प्लेटफार्म' बनाया है। इस वेब पोर्टल को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और संचार मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया गया है। खोया-पाया वेबसाइट में दो अनुभाग (Sections) हैं-

  (i) मेरा बच्चा गुम है (My Child Missing)

  (ii) मैनें एक बच्चा देखा है (I have Sighted a Child)
- इस साइट पर लापता बच्चों से सम्बन्धित जानकारी (टेक्स्ट, वीडियो आदि के रूप में) होगी और जिनका बच्चा खोया है वो लोग भी इस साइट पर अपने बच्चे से सम्बन्धित जानकारी डाल सकेंगे।

5. फसल बीमा ऐप

- कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने 'फसल बीमा' नामक एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप से किसानों को न केवल अपने क्षेत्र में उपलब्ध बीमा कवर के बारे में सटीक जानकारी मिलेगी बल्कि बीमा के अन्तर्गत अधिसूचित फसलों और उनकी प्रीमियम दरों आदि की भी आसानी से जानकारी उपलब्ध होगी।
- इसके अलावा फसल बीमा ऐप किसान द्वारा बैंक से लिए गए ऋण और सरकार द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली विभिन्न

सब्सिडियों के बारे में भी जानकारी देगा। यदि कोई राज्य फसल बीमा ऐप को स्थानीय भाषा में तब्दील करना चाहेगी तो केन्द्र सरकार उसे तकनीकी सहायता भी देगा।

- उल्लेखनीय है कि सफल बीमा से किसान को अप्रत्याशित घटनाओं से होने वाले नुकसान से सुरक्षा मिलती है। इसलिए फसल बीमा को अधिक से अधिक विस्तारित करने हेतु केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों और विभिन्न निजी कम्पनियों आदि की भी मदद ले रही है।

6. ई–संपर्क

- ई-संपर्क, भारत सरकार का एक तंत्र (Mechanism) है जिसमें सरकार और नागरिकों के बीच की दूरी सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) के माध्यम से कम की जायेगी। ई-सम्पर्क में सरकार और नागरिक ई-मेल, कॉल और एसएमएस आदि के माध्यम से जुड़ेगें। यह प्लेटफार्म (ई-सम्पर्क) न सिर्फ सरकार और नागरिकों के बीच सक्रिय संचार को स्थापित करेगा बल्कि सरकारी अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और नागरिकों के मध्य हुए पिछले सम्पर्को का डाटाबेस भी रखेगा, जिसके आधार पर उच्च अथॉरिटी कड़े निर्णय भी ले सकेंगी। ई-सम्पर्क से सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और जवाबदेही, दोनों बढ़ेंगी। ई-सम्पर्क प्लेटफार्म को राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (NIC) तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा मिलकर तैयार किया गया है।

7. अपराध एवं अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क प्रणाली (CCTNS)

- पुलिस को सूचना प्रौद्योगिकी से युक्त आधुनिक बनाने के लिए भारत सरकार ने 'राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस' योजना के अन्तर्गत 'अपराध एवं अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क प्रणाली' को शुरू किया। सीसीटीएनएस प्रणाली को कार्यान्वित करने हेतु नोडल एजेंसी 'राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB)' है जो गृह मंत्रालय के साथ संलग्न एक कार्यालय है। इसका मुख्यालय दिल्ली में स्थित है।
- एनसीआरबी ने प्रत्येक राज्य में एक 'राज्य अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो' और प्रत्येक जिले में 'जिला अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो' की स्थापना में योगदान दिया है ताकि अपराधियों से सम्बन्धित जानकारियों का एक राष्ट्रीय व एकीकृत डाटाबेस तैयार हो सके।
- आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी (CCEA) ने अंत:क्रियात्मक आपराधिक न्याय प्रणाली (Interoperable Criminal Justice System, ICJS) को भी लागू करने का फैसला किया है, जिसे ई-न्यायालय, ई-जेल और फोरेंसिक जाँच और सीसीटीएनएस आदि को एकीकृत करके विकसित किया जायेगा।

सात महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न (मुख्य परीक्षा हेतु)

1. सोशल ऑडिट क्या होता है? सोशल ऑडिट को सशक्त करने के लिए विभिन्न कदम उठाने की जरूरत क्यों है?

2. इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) के इस्तेमाल संबंधी हाल के विवाद के आलोक में, भारत में चुनावों की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए भारत के निर्वाचन आयोग के समक्ष क्या-क्या चुनौतियाँ हैं? स्पष्ट कीजिए।

3. ''भारतीय कला एवं विरासत का संरक्षण वर्तमान समय की आवश्यकता है।'' व्याख्या कीजिए।

4. भारत आर्कटिक प्रदेश के संसाधनों में किस कारण गहन रुचि ले रहा है? चर्चा कीजिए।

5. भारत में स्थानीय शासन के एक भाग के रूप में पंचायत प्रणाली के महत्व का आकलन कीजिए।

6. निरंतर उत्पन्न किए जा रहे ठोस कचरे की विशाल मात्राओं का निस्तारण करने में क्या-क्या बाधाएँ हैं? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए।

7. सिक्किम भारत में प्रथम 'जैविक राज्य' है। जैविक राज्य के पारिस्थितिकी एवं आर्थिक लाभ क्या-क्या होते हैं?

ध्येय IAS
most trusted since 2003

EDGE for IAS

Dhyeya Student Portal

***FREE** REGISTRATION*

ध्येय IAS (most trusted since 2003) संस्थान ने सिविल सेवा परीक्षा की वर्तमान मांगों को समझते हुए अंग्रेजी के साथ-साथ हिन्दी माध्यम, विशेषकर **ग्रामीण पृष्ठभूमि** के अभ्यर्थियों को लाभान्वित करने हेतु, ''ध्येय स्टुडेन्ट पोर्टल'' के रूप में एक ई-प्लेटफार्म का प्रारंभ किया है।

''ध्येय स्टुडेंट पोर्टल'', अंग्रेजी एवं विशेषकर हिन्दी में, **प्रतिदिन उत्तर लेखन अभ्यास** एवं उनका **मूल्यांकन** तथा **निबंध लेखन** व **समसामयिक मुद्दों** पर सटीक सामग्री उपलब्ध करवाने के साथ-साथ उनकी चर्चा के लिए एक प्रभावी प्लेटफार्म उपलब्ध करवाता है।

ON LINE TEST : VIDEOS: CURRENT AFFAIRS: DISCUSSION	DAILY Q & A CHECKING ARTICLE ANALYSIS ESSAY AND MUCH MORE

अन्य संस्थानों एवं ई-पोर्टलों की अपेक्षा ध्येय पोर्टल की विशिष्टता–

IAS/PCS परीक्षाओं में सफलता हेतु अपेक्षित मानदण्ड		**ध्येय स्टुडेन्ट पोर्टल**	**अन्य पोर्टल एवं साइट्स**
● उत्तर लेखन अभ्यास (प्रतिदिन)	हिन्दी	✓	✗
	अंग्रेजी	✓	✓
● उत्तर का मूल्याकंन (प्रतिदिन)	हिन्दी	✓	✗
	अंग्रेजी	✓	✓ (कुछ साइट्स)
● मॉडल उत्तर (प्रतिदिन)	हिन्दी	✓	✗
	अंग्रेजी	✓	✗
समसामयिक घटनाएं/मुद्दे ● विश्लेषण व प्रश्नोत्तर (दैनिक एवं साप्ताहिक)	हिन्दी	✓	✓ (कुछ साइट्स)
	अंग्रेजी	✓	✓
निबंध-लेखन और Ethics case study ● अभ्यास एवं मूल्यांकन (पाक्षिक)	हिन्दी	✓	✗
	अंग्रेजी	✓	✗

For details Login www.Dhyeyaias.com ⟶ Students Portal Login

Toll Free: 18004194445, 9205274741/42/43/44

ध्येय IAS®
most trusted since 2003

UPPCS Mains Test Series 2018

02 Dec. — **Test-1 - (12:00Noon-3:00pm)**
Modern India, India After Independence, World History, History of Uttar Pradesh

09 Dec. — **Test-2 - (12:00Noon-3:00pm)**
Social Issues, Art & Culture , Uttar Pradesh (Social Issues, Art & Culture)

16 Dec. — **Test-3 - (12:00Noon-3:00pm)**
World Geography, Indian Geography, Geography of Uttar Pradesh

23 Dec. — **Test-4 - (12:00Noon-3:00pm)**
Indian Polity, Constitution, In special reference of Uttar Pradesh

30 Dec. — **Test-5 - (12:00Noon-3:00pm)**
Governance and Public Policy, International Relation In Special Reference of Uttar Pradesh

06 Jan. — **Test-6 - (12:00Noon-3:00pm)**
Indian Economy, Internal Security in Special Reference of Uttar Pradesh

13 Jan. — **Test-7 - (12:00Noon-3:00pm)**
Science & Tech., Disaster Management, Ecology & Environment

20 Jan. — **Test-8 - (12:00Noon-3:00pm)**
Ethics (Paper-I)
Ethics and Human Interface, Attitude, E.I. and Thinkers with Case Study

27 Jan. — **Test-9 - (12:00Noon-3:00pm)**
Ethics (Paper-II)
Aptitude and Value of Civil Services, Ethics in P.A., Probity in Govt. with Case Study

03 Feb. — **Test-10 - (12:00Noon-3:00pm)**
General Studies (Paper-I) Full Test
Test-11 - (3:30pm-6:30pm)
Hindi Full Test

10 Feb. — **Test-12 - (12:00Noon-3:00pm)**
General Studies (Paper-II) Full Test
Test-13 - (3:30pm-6:30pm)
Essay

17 Feb. — **Test-14 - (12:00Noon-3:00pm)**
General Studies (Paper-III) Full Test
Test-15 - (3:30pm-6:30pm)
Hindi Full Test

24 Feb. — **Test-16 - (12:00Noon-3:00pm)**
General Studies (Paper-IV) Full Test
Test-17 - (3:30pm-6:30pm)
Essay

635, Ground Floor, Main Road,
Dr. Mukherjee Nagar, Delhi

011-49274400 | dhyeyaias.com

Registration Starts

ध्येय IAS अब व्हाट्सएप पर
Dhyeya IAS Now on Whatsapp

ध्येय IAS के व्हाट्सएप ग्रुप से जुडने के लिए 9205336039 पर "Hi Dhyeya IAS" लिख कर मैसेज करें

आप हमारी वेबसाइट के माध्यम से भी जुड सकते हैं

www.dhyeyaias.com
www.dhyeyaias.in

ध्येयIAS
most trusted since 2003

Address: 635, Ground Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi 110009
Phone No: 011-47354625/ 26 , 9205274741/42, 011-49274400